



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2018-2019



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू एवं कश्मीर सरकार

विनियोग लेखे

2018-2019

जम्मू एवं कश्मीर सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापन

वर्ष 2018-19 के लिए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के ये वित्त एवं विनियोग लेखे संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित किए जा रहे हैं।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, ये लेखे परवर्ती केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उप राज्यपालों को भी प्रेषित किए जा रहे हैं।



(इला सिंह)

स्थान: श्रीनगर/जम्मू

दिनांक: 31 अगस्त 2020

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख

विषय-सूची

					पृष्ठ
	प्रस्तावना	..			iii-iv
	विनियोग लेखाओं का सारांश	..			v-xv
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र				xvi-xvii
	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम				
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	1-13
2.	गृह विभाग	14-20
3.	योजना, विकास तथा निगरानी विभाग	21-26
4.	सूचना विभाग	27-29
5.	लद्दाख मामले विभाग	30-32
6.	विद्युत विकास विभाग	33-44
7.	शिक्षा विभाग	45-51
8.	वित्त विभाग	52-66
9.	संसदीय मामले विभाग	67-69
10.	विधि विभाग	70-74
11.	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	75-82
12.	कृषि विभाग	83-96
13.	पशु/ भेड़ पालन विभाग	97-106
14.	राजस्व विभाग	107-111
15.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	112-115
16.	लोक निर्माण विभाग	116-124
17.	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	125-141
18.	समाज कल्याण विभाग	142-152

विषय-सूची (समाप्त)

	पृष्ठ
19 आवास तथा शहरी विकास विभाग	153-160
20 पर्यटन विभाग	161-167
21 वन विभाग	168-174
22 सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण विभाग	175-183
23 जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	184-187
24 आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	188-191
25 श्रम, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण विभाग	192-196
26 मत्स्य पालन विभाग	197-199
27 उच्चतर शिक्षा विभाग	200-203
28 ग्रामीण विकास विभाग	204-210
29 परिवहन विभाग	211-213
30 जनजाति मामले विभाग	214-216
31 संस्कृति विभाग	217-219
32 बागवानी विभाग	220-223
33 आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	224-227
34 युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	228-231
35 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	232-234
36 सहकारी विभाग	235-236
परिशिष्ट	
I आकस्मिकता निधि से लिए अग्रिमों से किया गया व्यय	239
II लेखाओं में समायोजित व्यय की कटौती सहित वसूलियों के संदर्भ में अनुमानों तथा वास्तविक अनुदान-वार विवरण	240-241

प्रस्तावना

वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विनियोग लेखाओं का यह संकलन जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 81 तथा 82 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ सलंगन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे को प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में:-

'ओ' मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

'एस' अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

'आर' सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, आहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग तथा व्यय *तिरछे अक्षरों* में दिखाया गया है।

2. जम्मू एवं कश्मीर नियम पुस्तिका में परिकल्पित बजटीय पद्धति से महत्वपूर्ण विचलन में, राज्य सरकार ने विभिन्न प्राथमिक इकाइयों वाली कुछ विशिष्ट योजनाओं के प्रति नियंत्रक अधिकारियों के साथ एक मुश्त बजटीय अनुदान कर दिया तथा आहरण तथा संवितरण अधिकारियों ने संस्वीकृत अनुदान की मांग में अपेक्षित, विभिन्न योजनाओं पर नियमित रूप से व्यय किया।

इन बुनियादी सरकारी लेखांकन सिद्धांतों से विचलनों के कारण, लेखापरीक्षा निम्नलिखित से वंचित रही:

(क) उप-शीर्ष वार आधिक्य/ बचत की तुलना करने से।

(ख) यह टिप्पणी करने हेतु कि क्या योजनाओं पर किया गया व्यय विधिक रूप से उपलब्ध था तथा संस्वीकृत अनुदान की मांग में अनुपलब्ध किसी "सेवा के नए साधन/ नई सेवा" पर प्रयुक्त नहीं हुआ।

- (ग) यह टिप्पणी करने हेतु कि क्या किसी विशेष योजना के लिए अतिरिक्त निधि प्राप्त करने की आवश्यकता थी अथवा तथा क्या प्राप्त अनुपूरक अनुदान का पूर्ण रूप से उन योजनाओं पर व्यय किया गया जिनके लिए निधियां प्राप्त की गई थी।

इस प्रकाशन में संबंधित अनुदानों में उपयुक्त टिप्पणियां की गई हैं।

विनियोग लेखाओं का सारांश									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व(%)		पूँजीगत(%)		
					2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
(₹ हजार में)									
1	सामान्य प्रशासन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	4,23,42,04	3,53,17,42	70,24,62	-	14	17		
	प्रभारित	24,49,40	21,26,56	3,22,84	-	11	13		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	42,30,00	4,72,60	37,57,40	-			95	89
2	गृह विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	75,53,75,30	67,76,14,05	7,77,61,25	-	14	10		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	9,21,50,59	3,35,90,46	5,85,60,13	-			55	64
3	योजना, विकास तथा निगरानी विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	77,31,80	4,48,29,28	-	3,70,97,48 (3,70,97,47,570)	4,88	4,80		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	26,31,65,29	4,51,66,90	21,79,98,39	-			79	83
4	सूचना विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	78,92,14	66,29,57	12,62,57	-	29	16		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	2,30,60	1,06,36	1,24,24	-			9	54

नोट: कोष्ठक में आंकड़े विनियोग लेखाओं के सारांश में पूरे रुपये दर्शाते हैं।

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)								
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत			
					राजस्व(%)		पूंजीगत(%)	
					2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
				(₹ हजार में)				
5	लद्दाख मामले विभाग-							
	राजस्व							
दत्तमत	8,82,49,60	8,73,60,95	8,88,65	-	7	1		
	पूंजीगत							
दत्तमत	3,16,15,74	3,17,69,20		1,53,46 (1,53,46,000)			12	..
6	विद्युत विकास विभाग-							
	राजस्व							
दत्तमत	91,58,00,88	75,42,75,05	16,15,25,83	-	51	18		
	पूंजीगत							
दत्तमत	55,90,42,41	2,06,15,96	53,84,26,45	-			89	96
7	शिक्षा विभाग-							
	राजस्व							
दत्तमत	99,04,85,24	85,51,21,22	13,53,64,02	-	7	14		
	पूंजीगत							
दत्तमत	11,48,43,62	6,17,20,17	5,31,23,45	-			51	46
8	वित्त विभाग-							
	राजस्व							
दत्तमत	1,07,75,54,53	81,49,69,96	26,25,84,57	-	10	24		
प्रभारित	56,65,46,00	52,08,68,05	4,56,77,95	-	10	8		
	पूंजीगत							
दत्तमत	25,95,06,00	25,22,92	25,69,83,08	-			90	99
प्रभारित	1,79,76,69,00	2,06,46,60,81	-	26,69,91,81 (26,69,91,81,238)			26	15

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व(%)		पूंजीगत(%)		
					2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
(₹ हजार में)									
9	संसदीय मामले विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	61,36,44	54,84,35	6,52,09	-	10	11		
	प्रभारित	1,65,70	1,13,72	51,98	-	74	31		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	1,76,70	1,17,00	59,70	-			1	34
10	विधि विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	5,87,68,21	5,01,68,63	85,99,58	-	42	15		
	प्रभारित	49,38,00	46,65,05	2,72,95	-	11	6		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	91,27,00	38,23,92	53,03,08	-			93	58
11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	3,46,08,14	3,13,68,86	32,39,28	-	22	9		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	2,43,63,05	1,52,34,40	91,28,65	-			12	37
12	कृषि विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	15,72,94,21	11,31,11,28	4,41,82,93	-	15	28		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	8,91,56,79	1,52,71,29	7,38,85,50	-			37	83

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व(%)		पूंजीगत(%)		
					2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
(₹ हजार में)									
13	पशु/ भेड़ पालन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	5,91,30,54	5,65,19,33	26,11,21	-	15	4		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	1,02,22,05	38,62,45	63,59,60	-			63	62
14	राजस्व विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	6,03,79,19	4,85,30,38	1,18,48,81	-	37	20		
	प्रभारित	20,00	62	19,38	-	..			
	पूंजीगत								
	दत्तमत	8,62,50	4,12,07	4,50,43	-			77	52
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	2,28,62,28	2,42,04,44	-	13,42,16 (13,42,15,914)	1	6		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	3,43,05,80	2,87,24,81	55,80,99	-			17	16
16	लोक निर्माण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	9,53,65,36	24,88,64,20	-	15,34,98,84 (15,34,98,84,124)	1,45	1,61		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	23,61,49,70	11,03,13,17	12,58,36,53	-			10	53

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व(%)		पूंजीगत(%)		
					2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
(₹ हजार में)									
17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	37,25,63,26	35,49,39,54	1,76,23,72	-	5	5		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	8,53,58,89	8,74,35,58	-	20,76,69			36	2
					(20,76,68,870)				
18	समाज कल्याण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	17,88,59,36	13,84,62,00	4,03,97,36	-	21	23		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	3,56,15,58	34,19,34	3,21,96,24	-			72	90
19	आवास तथा शहरी विकास विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	7,46,05,16	7,38,01,68	8,03,48	-	..	1		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	16,85,71,70	4,77,29,56	12,08,42,14	-			53	72
20	पर्यटन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,56,16,19	1,34,98,99	21,17,20	-	4	14		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	4,29,38,88	93,49,32	3,35,89,56	-			81	78

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत / आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व(%)		पूँजीगत(%)		
					2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
(₹ हजार में)									
21	वन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	8,32,07,45	8,21,91,29	10,16,16	-	16	1		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,35,84,21	37,22,38	98,61,83	-			61	73
22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	7,85,85,94	6,55,33,46	1,30,52,48	-	18	17		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	15,75,42,31	2,77,49,13	12,97,93,18	-			73	82
23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	15,28,98,79	15,22,38,89	6,59,90	-	4	..		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	6,60,34,43	5,23,23,98	1,37,10,45	-			35	21
24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	2,66,85,68	2,57,59,85	9,25,83	-	7	3		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	97,61,44	81,47,98	16,13,46	-			88	17

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत / आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व(%)		पूंजीगत(%)		
					2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
(₹ हजार में)									
25	श्रम, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	93,52,87	89,47,26	4,05,61	-	18	4		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	1,05,03,03	45,54,84	59,48,19	-			84	57
26	मत्स्य पालन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,05,65,36	99,65,71	5,99,65	-	1	6		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	15,87,00	11,36,89	4,50,11	-			12	28
27	उच्चतर शिक्षा विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	10,68,57,27	10,20,37,68	48,19,59	-	14	5		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	2,28,93,60	1,31,88,85	97,04,75	-			41	42
28	ग्रामीण विकास विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	4,87,85,42	4,58,07,14	29,78,28	-	12	6		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	30,62,87,68	18,05,20,52	12,57,67,16	-			23	41

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत / आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व(%)		पूंजीगत(%)		
					2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
(₹ हजार में)									
29	परिवहन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	71,53,75	64,43,93	7,09,82	-	31	10		
	प्रभारित	6,00	6,00	0	-	..			
	पूंजीगत								
	दत्तमत	59,35,40	53,37,67	5,97,73	-			60	10
30	जनजाति मामले विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	54,03,23	49,54,61	4,48,62	-	..	8		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	8,90,29	28,82,87	-	19,92,58			..	2,24
					(19,92,58,472)				
31	संस्कृति विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	68,95,99	53,61,49	15,34,50	-	..	22		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	17,13,06	10,95,61	6,17,45	-			..	36
32	बागवानी विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,42,18,05	1,34,27,50	7,90,55	-	..	6		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	3,86,15,00	1,24,66,11	2,61,48,89	-			..	68

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)								
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
					राजस्व(%)		पूँजीगत(%)	
					2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
				(₹ हजार में)				
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	7,56,59,72	6,86,33,90	70,25,82	-	..	9	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	7,10,69,23	80,86,22	6,29,83,01	-		..	89
34	युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	5,55,44,77	4,81,24,20	74,20,57	-	..	13	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	2,37,19,89	39,16,64	1,98,03,25	-		..	83
35	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	13,35,83	12,23,50	1,12,33	-	..	8	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	7,26,45,00	33,15,36	6,93,29,64	-		..	95
36	सहकारी विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	64,43,56	54,96,36	9,47,20	-	..	15	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	5,00,00	3,75,29	1,24,71	-		..	25
	कुल :							
	राजस्व-							
	दत्तमत-	5,71,12,13,55	5,08,12,17,95	82,19,34,08	19,19,38,48			
	प्रभारित	57,41,25,10	52,77,80,00	4,63,45,10	-			
	पूँजीगत-							
	दत्तमत-	2,86,49,14,46	85,04,77,82	2,01,86,59,37	42,22,73			
	प्रभारित	1,79,76,69,00	2,06,46,60,81	..	26,69,91,81			

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों के आधिक्यों को नियमित किए जाने की आवश्यकता है:

राजस्व खंड

- 03- योजना, विकास तथा निगरानी विभाग
- 15- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग
- 16- लोक निर्माण विभाग

पूंजीगत खंड

- 05- लद्दाख मामले विभाग
- 17- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
- 30- जनजाति मामले विभाग

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों के आधिक्यों को नियमित किए जाने की आवश्यकता है;

पूंजीगत खंड

- 08- वित्त विभाग

विनियोग लेखाओं का सारांश (समाप्त)

जैसा कि अनुदान तथा प्रभारित विनियोग सकल राशियों के व्यय के लिए आवश्यक है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में व्यय की कमी में लेखाओं में समायोजित वसूली सम्मिलित नहीं है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं। वर्ष 2018-19 के लिए विनियोग लेखाओं में दिखाए गए कुल व्यय तथा उस वर्ष के लिए वित्त लेखाओं के बीच समेकन नीचे दिया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजारों में)			
कुल व्यय विनियोग लेखे	52,77,80,00	2,06,46,60,81	5,08,12,17,95	85,04,77,82
परिशिष्ट-II में दर्शाई गई वसूलियों की कटौती	-	-	-	22,04,84
वित्त लेखाओं की विवरण संख्या 11 में दर्शाए गए कुल शुद्ध व्यय	52,77,80,00	2,06,46,60,81	5,08,12,17,95	84,82,72,98

उपरोक्त उल्लिखित वसूलियों का विवरण "परिशिष्ट-II" में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 81 तथा 82 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष में सरकार की प्राप्तियों तथा संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागारों, कार्यालयों तथा/ अथवा विभाग मुख्यतः प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्ग, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे महत्वपूर्ण गलत विवरण से रहित हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन

में दी गई अभियुक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 81 तथा 82 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान संचालित की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत ध्यान देने योग्य विषय 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

अति महत्वपूर्ण प्रकरण

में अति महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की सत्यता, पारदर्शिता एवं समग्रता तथा लोक वित्त पर विधान के वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एक विनियोजन तथा छः अनुदानों के अंतर्गत राज्य विधायिका द्वारा निर्मित प्राधिकार से अधिक ₹ 4,631.53 करोड़ का संवितरण किया गया। राज्य विधानमंडल द्वारा वर्ष 1980-81 से 2017-18 तक संबंधित सभी 29 अनुदानों/ विनियोगों में शामिल ₹ 1,14,061.35 करोड़ के अधिक संवितरण को नियमित किया जाना अभी शेष है। यह जम्मू एवं कश्मीर संविधान की धारा 81 तथा 82 का उल्लंघन है जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए विनियोग को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन आहरण न करने का प्रावधान है। यह बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था को निष्फल बनाती है तथा लोक संसाधनों के प्रबंधन में अनियमितताओं को बढ़ावा देती है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उक्त विषय पर विस्तार से लेखापरीक्षा टिप्पणी की गई है।



(राजीव महर्षि)

दिनांक: 3 अगस्त 2020

स्थान: नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या 1 - सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2012 राष्ट्रपति/ उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक

2013 मंत्रिपरिषद्

2015 निर्वाचन

2051 लोक सेवा आयोग

2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएं

2055 पुलिस

2062 सर्तकता

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2251 सचिवालय - सामाजिक सेवाएं

3435 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण

3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं

3452 पर्यटन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	3,31,33,05	3,53,17,42	(-)70,24,62
		4,23,42,04	
अनुपूरक	92,08,99		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..
प्रभारित			
मूल	16,83,90	21,26,56	(-)3,22,84
		24,49,40	
अनुपूरक	7,65,50		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

4075 विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	42,30,00	4,72,60	(-)37,57,40
		42,30,00	
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

अनुदान संख्या 1 (जारी)

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 92,08.99 लाख का अनुपूरक अनुदान ₹ 70,24.62 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 70,24.62 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान भी ₹ 46,52.76 लाख की बचत हुई थी।					
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2013	मंत्रिपरिषद्				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय तथा बी ई के प्रति चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में शून्य व्यय।	
101	मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन					
0099	सामान्य					
0412	शिक्षा विभाग					
	मूल	40.40				
	अनुपूरक	..	40.40	13.25		(-)27.15
0418	वित्त विभाग					
	मूल	43.40				
	अनुपूरक	..	43.40	9.15		(-)34.25
0426	समाज कल्याण विभाग					वेतन तथा टी ई के संबंध में बी ई से कम व्यय।
	मूल	39.40				
	अनुपूरक	..	39.40	8.67	(-)30.73	
0429	वन विभाग				वेतन तथा विवेकानुदान के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	73.60				
	अनुपूरक	3.01	76.61	24.47		(-)52.14
0431	मुख्यमंत्री सचिवालय				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय तथा एम आर तथा विवेकानुदान के अंतर्गत शून्य व्यय।	
	मूल	78.10				
	अनुपूरक	..	78.10	5.55		(-)72.55
0437	परिवहन विभाग				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अंतर्गत शून्य व्यय।	
	मूल	34.20				
	अनुपूरक	..	34.20	5.87		(-)28.33
0440	लोक निर्माण विभाग (आर एंड बी)					
	मूल	40.40				
	अनुपूरक	0.59	40.99	16.82		(-)24.17

अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2013	मंत्रिपरिषद्				
101	मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय।
0099	सामान्य				
0445	विद्युत विकास विभाग				
	मूल	59.40			
	अनुपूरक	..	59.40	15.71	(-)43.69
0469	पशु तथा भेड़ पालन विभाग				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अंतर्गत शून्य व्यय।
	मूल	37.40			
	अनुपूरक	..	37.40	9.58	
0472	सहकारी विभाग				
	मूल	39.40			
	अनुपूरक	..	39.40	9.17	
0477	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा				
	मूल	46.40			
	अनुपूरक	..	46.40	10.70	
0479	राजस्व विभाग				
	मूल	78.60			
	अनुपूरक	..	78.60	13.35	
0490	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग				
	मूल	44.40			
	अनुपूरक	..	44.40	7.42	
0496	कृषि उत्पादन विभाग				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय।
	मूल	35.60			
	अनुपूरक	..	35.60	10.05	
0508	उपभोक्ता मामले तथा लोक वितरण विभाग				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अंतर्गत शून्य व्यय।
	मूल	38.40			
	अनुपूरक	..	38.40	9.46	
1237	आवास तथा शहरी विकास विभाग				
	मूल	30.20			
	अनुपूरक	..	30.20	15.62	
1341	ग्रामीण विकास विभाग				
	मूल	42.40			
	अनुपूरक	..	42.40	11.20	
1825	योजना तथा विकास विभाग				
	मूल	40.20			
	अनुपूरक	..	40.20	8.09	

अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2013	मंत्रिपरिषद्					
101	मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अंतर्गत शून्य व्यय।	
0099	सामान्य					
1936	तकनीकी शिक्षा विभाग					
	मूल	40.90				
	अनुपूरक	..	40.90	11.56		(-)29.34
2185	उच्चतर शिक्षा विभाग					
	मूल	45.20				
	अनुपूरक	..	45.20	4.18		(-)41.02
2273	पी एच ई / सिंचाई विभाग					
	मूल	43.40				
	अनुपूरक	..	43.40	10.38		(-)33.02
2457	बागवानी विभाग					
	मूल	40.40				
	अनुपूरक	..	40.40	12.30	(-)28.10	
2015	निर्वाचन					
102	निर्वाचन अधिकारी				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0414	निर्वाचन विभाग					
	मूल	25.32				
	अनुपूरक	8.25	33.57	24.89	(-)8.68	
2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं					
090	सचिवालय				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0418	वित्त विभाग					
	मूल	10,07.64				
	अनुपूरक	4,24.19	14,31.83	12,72.89	(-)1,58.94	
0431	मुख्यमंत्री सचिवालय				वेतन तथा आतिथ्य घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	15,42.09				
	अनुपूरक	5,00.00	20,42.09	16,39.17		(-)4,02.92

अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं					
090	सचिवालय				वेतन तथा आतिथ्य घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0443	गृह विभाग					
	मूल	5,39.21				
	अनुपूरक	3,83.55				
	पुनर्विनियोजन	2.00	9,24.76	7,26.83		(-)1,97.93
0479	राजस्व विभाग					
	मूल	6,33.00				
	अनुपूरक	1,92.12	8,25.12	5,66.61		(-)2,58.51
0507	विधि विभाग					
	मूल	13,93.50				
	अनुपूरक	21,09.87				
	पुनर्विनियोजन	(-)2.00	35,01.37	13,83.36	(-)21,18.01	
0518	सामान्य प्रशासन विभाग					
	मूल	34,80.00				
	अनुपूरक	7,57.70	42,37.70	35,32.52	(-)7,05.18	
092	सचिवालय				वेतन घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0448	प्रशिक्षण शाखा- सामान्य शाखा					
	मूल	1,85.65				
	अनुपूरक	69.02	2,54.67	1,35.16	(-)1,19.51	
0451	विधि विभाग का अनुवाद प्रकोष्ठ				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय तथा बी ई के प्रति लेखन सामाग्री तथा मुद्रण के संबंध में शून्य व्यय।	
	मूल	2,60.35				
	अनुपूरक	26.60	2,86.95	1,98.42		(-)88.53
0463	व्यवसायिक प्रवेश परीक्षाओं का बोर्ड				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय तथा बी ई के प्रति वर्दियों के संबंध में शून्य व्यय।	
	मूल	3,07.60				
	अनुपूरक	1,18.48	4,26.08	3,19.15		(-)1,06.93

अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं					
092	सचिवालय				वेतन घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0516	सेवा चयन बोर्ड					
	मूल	8,46.34				
	अनुपूरक	4,29.34	12,75.68	10,48.69	(-)2,26.99	
0519	प्रशासनिक सुधार एवं निरीक्षण विभाग				गुप्त सेवाओं के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	2,39.10				
	अनुपूरक	91.65	3,30.75	2,33.64		(-)97.11
1342	पूर्व मुख्यमंत्री को सुविधाएं					
	मूल	68.10			मुआवजों के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	अनुपूरक	29.71	97.81	56.89		(-)40.92
2055	पुलिस					
117	आंतरिक सुरक्षा				मुआवजों के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0431	मुख्यमंत्री सचिवालय					
	मूल	15,00.00				
	अनुपूरक	..	15,00.00	14,93.10	(-)6.90	
0450	सामान्य प्रशासन विभाग				एयर लिफ्ट प्रभारों के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	10,00.00				
	अनुपूरक	..	10,00.00	4,33.75		(-)5,66.25
0460	सिविल विमानन विभाग					
	मूल	3,00.00			वेतन तथा आर आर टी घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	अनुपूरक	..	3,00.00	1,04.11		(-)1,95.89
2062	सतर्कता					
104	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के सतर्कता आयोग				वेतन तथा आर आर टी घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
2369	राज्य सतर्कता आयुक्त					
	मूल	6,49.50				
	अनुपूरक	2,60.66	9,10.16	5,41.36	(-)3,68.80	

अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2062	सतर्कता					
105	अन्य सतर्कता एजेंसियां				वेतन घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0517	निदेशक सतर्कता संगठन					
	मूल	25,92.35				
	अनुपूरक	12,93.40	38,85.75	35,84.95	(-)3,00.80	
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
003	प्रशिक्षण				अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ जैसा कि व्यय जी आई ए के संबंध में मूल बजट के अनुमान के स्तर तक भी नहीं आ सका।	
0099	सामान्य					
0262	प्रबंधन तथा लोक प्रशासन का संस्थान					
	मूल	13,70.00				
	अनुपूरक	2,80.00	16,50.00	6,23.00		(-)10,27.00
105	विशेष जांच आयोग					
0099	सामान्य					
0456	जम्मू एवं कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण					
	मूल	6,28.25				
	अनुपूरक	40.05	6,68.30	5,02.75		(-)1,65.55
800	अन्य व्यय				पुरस्कार घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निदेशन एवं प्रशासन					
	मूल	80.00				
	अनुपूरक	40.00	1,20.00	41.26	(-)78.74	
2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं					
090	सचिवालय				मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0332	राज्य शिक्षा तकनीकी बोर्ड					
	मूल	3,69.82				
	अनुपूरक	1,15.83	4,85.65	4,24.31		(-)61.34
0412	शिक्षा विभाग					
	मूल	6,35.10				
	अनुपूरक	2,24.59	8,59.69	7,51.88		(-)1,07.81
0419	शिक्षा आयुक्त					
	मूल	5,26.73				
	अनुपूरक	1,17.10	6,43.83	5,64.08	(-)79.75	

अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
090	सचिवालय			मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत बी ई से कम व्यय।
0099	सामान्य			
0421	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग			
	मूल	5,46.25		
	अनुपूरक	1,83.61	7,29.86	
			6,35.69	
			(-)94.17	
0426	समाज कल्याण विभाग			
	मूल	4,08.23		
	अनुपूरक	1,13.94	5,22.17	
			4,85.47	
			(-)36.70	
0428	राहत एवं पुनर्वास विभाग			
	मूल	3,09.22		
	अनुपूरक	72.38	3,81.60	
			3,05.43	
			(-)76.17	
0430	सचिवालय औषधालय			
	मूल	63.80		
	अनुपूरक	24.07	87.87	
			73.40	
			(-)14.47	
1237	आवास तथा शहरी विकास विभाग			
	मूल	4,89.70		
	अनुपूरक	1,60.71	6,50.41	
			5,53.39	
			(-)97.02	
2301	संस्कृति विभाग			
	मूल	1,55.24		
	अनुपूरक	63.71	2,18.95	
			1,93.73	
			(-)25.22	
2426	जनजाति मामले विभाग			
	मूल	2,03.72		
	अनुपूरक	93.65	2,97.37	
			2,74.41	
			(-)22.96	
3435	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण			
04	निवारण तथा प्रदूषण नियंत्रण			
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।
0099	सामान्य			
0438	विज्ञान एवं तकनीक			
	मूल	2,17.92		
	अनुपूरक	..	2,17.92	
			1,83.16	
			(-)34.76	

अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
090	सचिवालय			मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत बी ई से कम व्यय।
0099	सामान्य			
0411	सूचना विभाग			
	मूल	1,54.26		
	अनुपूरक	1,03.97	2,58.23	
			1,83.86	
			(-)74.37	
0425	कृषि विभाग			
	मूल	6,11.29		
	अनुपूरक	99.24	7,10.53	
			6,15.31	
			(-)95.22	
0429	वन विभाग			
	मूल	4,79.70		
	अनुपूरक	7.91	4,87.61	
			4,72.32	
			(-)15.29	
0437	परिवहन विभाग			
	मूल	3,26.25		
	अनुपूरक	22.81	3,49.06	
			3,13.49	
			(-)35.57	
0440	लोक निर्माण विभाग (आर एंड बी विभाग)			
	मूल	4,99.61		
	अनुपूरक	3,84.03	8,83.64	
			8,53.00	
			(-)30.64	
0445	विद्युत विकास विभाग			
	मूल	4,73.92		
	अनुपूरक	1,58.74	6,32.66	
			5,45.91	
			(-)86.75	
0490	उद्योग तथा वाणिज्यिक विभाग			
	मूल	5,92.50		
	अनुपूरक	..	5,92.50	
			4,93.20	
			(-)99.30	
0508	उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग			
	मूल	4,33.20		
	अनुपूरक	..	4,33.20	
			3,78.31	
			(-)54.89	
2458	सड़क सुरक्षा परिषद्			लेखन-सामग्री एवं मुद्रण तथा कार्यालय उपकरण के संबंध में बी ई के प्रति शून्य व्यय।
	मूल	8.75		
	अनुपूरक	..	8.75	
			2.11	
			(-)6.64	
3452	पर्यटन			
80	सामान्य			मुख्यतः वेतन तथा एम एंड आर घटक के अंतर्गत बी ई से कम व्यय।
001	निदेशन एवं प्रशासन			
0099	सामान्य			
0244	सिविल विमानन			
	मूल	15,04.96		
	अनुपूरक	..	15,04.96	
			12,87.94	
			(-)2,17.02	

अनुदान संख्या 1 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं					
090	सचिवालय				कार्यालय उपस्कर तथा उपकरण के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।	
0099	सामान्य					
0712	सूचना तकनीक					
	मूल	3,79.50				
	अनुपूरक	66.95	4,46.45	4,78.49	(+)32.04	
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं					
090	सचिवालय				वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।	
0099	सामान्य					
0465	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग					
	मूल	1,44.15				
	अनुपूरक	..	1,44.15	1,59.99		(+)15.84
0467	श्रम विभाग					
	मूल	2,93.54				
	अनुपूरक	..	2,93.54	2,99.08		(+)5.54
0469	पशु तथा भेड़ पालन विभाग					
	मूल	3,76.50				
	अनुपूरक	..	3,76.50	3,79.95		(+)3.45
0472	सहकारी विभाग					
	मूल	2,74.66				
	अनुपूरक	..	2,74.66	3,86.02		(+)1,11.36
1241	पर्यटन विभाग					
	मूल	3,01.85				
	अनुपूरक	..	3,01.85	4,13.59		(+)1,11.74
1341	ग्रामीण विकास विभाग					
	मूल	4,34.95				
	अनुपूरक	..	4,34.95	4,55.46	(+)20.51	
1825	योजना विभाग					
	मूल	8,63.00				
	अनुपूरक	..	8,63.00	12,42.75	(+)3,79.75	
2273	पी एच ई/ सिंचाई विभाग					
	मूल	4,19.81				
	अनुपूरक	..	4,19.81	4,77.14	(+)57.33	

अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
090	सचिवालय			वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य			
2454	परियोजना निगरानी इकाई			
	मूल	50.25		
	अनुपूरक	..	50.25	
			52.02	
			(+)1.77	
2457	बागवानी विभाग			
	मूल	2,58.81		
	अनुपूरक	..	2,58.81	
			3,05.88	
			(+)47.07	
4.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ		
			(₹ लाख में)	
2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं			
092	सचिवालय			
0099	सामान्य			
0420	राज्य विषय आयोग (राजस्व विभाग)		50.00	
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
104	सतर्कता			
0099	सामान्य			
2272	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सूचना आयोग		5,28.83	
5.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ		
			(₹ लाख में)	
2055	पुलिस			
117	आंतरिक सुरक्षा			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
0460	सिविल विमानन विभाग		6,82.10	
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0262	प्रबंधन तथा लोक प्रशासन संस्थान		10,27.00	

अनुदान संख्या 1 (जारी)

6.	प्रभारित राजस्व खंड में ₹7,65.50 लाख का अनुपूरक अनुदान ₹ 3,22.84 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 3,22.84 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
7.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
2012	राष्ट्रपति/ उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक					
03	राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक					
090	सचिवालय			मुख्यतः वेतन, आतिथ्य, विद्युत प्रभारों तथा वर्दियों के घटक के अंतर्गत बी ई से कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0461	सचिवालय					
	मूल	8,69.00				
	अनुपूरक	4,70.50	13,39.50			11,87.07
2051	लोक सेवा आयोग					
102	राज्य लोक सेवा आयोग			मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत बी ई से कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0439	राज्य लोक सेवा आयोग					
	मूल	8,14.90				
	अनुपूरक	2,87.00	11,01.90			9,31.49

पूँजीगत खंड

8.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹42,30.00 लाख का मूल प्रावधान ₹ 37,57.40 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 37,57.40 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी ₹ 5,49,11.59 लाख की बचत हुई थी।					
9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय			कैपेक्स के अंतर्गत गलत बजट अनुमान		
0011	सामान्य					
0270	सिविल विमानन					
	मूल	40,00.00				
	अनुपूरक	..	40,00.00			10.82

अनुदान संख्या 1 (समाप्त)

10.	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय				
60	<i>अन्य भवन</i>				
051	निर्माण				निर्माण घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
0011	सामान्य				
0439	राज्य लोक सेवा आयोग				
	मूल	15.00			
	अनुपूरक	..	15.00	66.78	
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय।
0011	सामान्य				
0262	प्रबंधन तथा लोक प्रशासन संस्थान				
	मूल	2,15.00			
	अनुपूरक	..	2,15.00	3,95.00	

अनुदान संख्या 2 - गृह विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2056 जेजे

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	50,82,52,89	67,76,14,05	(-)7,77,61,25
		75,53,75,30	
अनुपूरक	24,71,22,41		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
दत्तमत			
मूल	8,71,49,00	3,35,90,46	(-)5,85,60,13
		9,21,50,59	
अनुपूरक	50,01,59		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 24,71,22.41 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 7,77,61.25 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 7,77,61.25 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान हुई निरंतर बचत भी निम्नानुसार है:			
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)
	(₹ लाख में)			
	2013-2014	35,17,06.26	31,86,83.68	(-)3,30,22.58
	2014-2015	40,41,91.94	33,47,76.12	(-)6,94,15.82
	2015-2016	45,52,50.27	42,07,82.03	(-)3,44,68.24
	2016-2017	45,91,32.60	43,60,38.10	(-)2,30,94.50
	2017-2018	54,13,40.14	46,49,37.49	(-)7,64,02.65

अनुदान संख्या 2 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण नहीं सूचित किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2055	पुलिस				वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
0758	सशस्त्र पुलिस					
	मूल	14,35,94.90				
	अनुपूरक	4,49,97.60	18,85,92.50	18,61,22.32		(-)24,70.18
0780	यातायात पुलिस					
	मूल	91,81.60				
	अनुपूरक	56,96.40	1,48,78.00	1,29,33.56		(-)19,44.44
0789	पुलिस महानिदेशक					
	मूल	1,61,53.19				
	अनुपूरक	33,27.99	1,94,81.18	1,64,97.71		(-)29,83.47
003	शिक्षा तथा प्रशिक्षण					
0099	सामान्य					
0181	शिक्षा तथा प्रशिक्षण					
	मूल	77,17.41				
	अनुपूरक	40,01.09	1,17,18.50	1,09,04.24		(-)8,14.26
101	अपराधी अन्वेषण तथा सतर्कता					
0099	सामान्य					
0764	अपराधी अन्वेषण विभाग सी आई डी					
	मूल	1,27,62.31				
	अनुपूरक	51,54.17	1,79,16.48	1,74,24.79		(-)4,91.69
0779	सी आई डी (अपराध)					
	मूल	54,92.37				
	अनुपूरक	24,33.13	79,25.50	76,45.49	(-)2,80.01	
0785	सी आई डी वी आई पी सुरक्षा					
	मूल	46,91.87				
	अनुपूरक	10,12.63	57,04.50	56,91.97	(-)12.53	
1357	सुरक्षा स्कंध					
	मूल	2,97,27.82				
	अनुपूरक	1,94,44.18	4,91,72.00	4,65,25.07	(-)26,46.93	

अनुदान संख्या 2 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
2055	पुलिस			वेतन घटक के अंतर्गत ₹ 1,02.00 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
104	विशेष पुलिस					
0099	सामान्य					
1358	आई आर पी बटालियन					
	मूल	..				
	अनुपूरक	1,02,32.00	1,02,32.00	51,09.56	(-)51,22.44	
109	जिला पुलिस			वेतन घटक के अंतर्गत ₹ 4,35.05 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0754	कार्यकारी बल कश्मीर रेंज					
	मूल	9,50,47.31				
	अनुपूरक	4,35,65.09	13,86,12.40		13,45,11.90	(-)41,00.50
0778	कार्यकारी बल जम्मू रेंज			वेतन घटक के अंतर्गत ₹ 3,32.54 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
	मूल	7,22,33.16				
	अनुपूरक	3,32,88.62	10,55,21.78		9,44,78.48	(-)1,10,43.30
111	रेलवे पुलिस				वेतन घटक के अंतर्गत ₹ 38.89 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य					
1320	रेलवे पुलिस					
	मूल	1,17,04.13				
	अनुपूरक	38,89.37	1,55,93.50	1,50,16.71		(-)5,76.79
115	पुलिस बल का आधुनिकीकरण			उप शीर्ष 0735 और 1333 क्रमशः के प्रति वेतन घटक के अंतर्गत ₹ 19.76 करोड़ तथा ₹ 46.28 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0735	पुलिस अस्पताल का उन्नयन					
	मूल	27,94.51				
	अनुपूरक	19,76.59	47,71.10		37,06.74	(-)10,64.36
1333	पुलिस संचार का पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण			वेतन घटक के अंतर्गत ₹ 2.87 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आधिक्य सिद्ध हुआ।		
	मूल	1,28,35.61				
	अनुपूरक	46,37.89	1,74,73.50		1,66,09.24	(-)8,64.26
116	न्यायिक विज्ञान				वेतन घटक के अंतर्गत ₹ 2.87 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आधिक्य सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य					
0727	न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक एफ एस एल जे एंव के					
	मूल	12,30.47				
	अनुपूरक	3,65.90	15,96.37	13,69.52		(-)2,26.85

अनुदान संख्या 2 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2055	पुलिस			विद्युत प्रभारों तथा आहार व्यय घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
117	आंतरिक सुरक्षा				
0099	सामान्य				
0729	जले				
	मूल	5,24.00			
	अनुपूरक	28,42.00	33,66.00	32,41.34	(-1,24.66)
0957	आंतरिक सुरक्षा			अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	4,68,23.00			
	अनुपूरक	5,02,10.62	9,70,33.62		6,14,63.93
2056	जले			वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।	
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
0312	निदेशन कार्यालय				
	मूल	3,02.32			
	अनुपूरक	31.67	3,33.99	2,43.26	(-90.73)
101	जले			वेतन के अंतर्गत ₹ 20.46 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0729	जले				
	मूल	74,92.75			
	अनुपूरक	21,18.12	96,10.87		76,65.11
2056	जले			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
102	जेल विनिर्माता				
0099	सामान्य				
0741	जेल विनिर्माता				
	मूल	1,06.09			
	अनुपूरक	..	1,06.09	39.46	(-66.63)
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			वेतन घटक के संबंध में ₹ 0.26 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
105	विशेष जांच आयोग				
0099	सामान्य				
0485	पी एस अधिनियम 78 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड				
	मूल	96.60			
	अनुपूरक	26.40	1,23.00		90.71

अनुदान संख्या 2(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			वेतन घटक के संबंध में ₹ 2.25 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
106	नागरिक सुरक्षा				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन तथा प्रशासन				
	मूल	5,38.90			
	अनुपूरक	2,32.30	7,71.20	5,83.32	(-1,87.88)
107	होम गार्ड्स			वेतन घटक के संबंध में ₹ 5.96 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
1702	होम गार्ड्स का पुनः सक्रिय होना				
	मूल	10,90.85			
	अनुपूरक	15,55.80	26,46.65	21,52.49	(-4,94.16)
2156	राज्य आपदा मोचन बल			वेतन के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	62,14.40			
	अनुपूरक	41,25.25	1,03,39.65		88,05.53
108	अग्नि सुरक्षा तथा नियंत्रण			वेतन के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0749	अग्नि सुरक्षा तथा नियंत्रण				
	मूल	1,86,85.22			
	अनुपूरक	13,07.10	1,99,92.32		1,68,59.39
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
02	समाज कल्याण				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन तथा प्रशासन				
	मूल	11,62.10			
	अनुपूरक	6,50.50	18,12.60	13,09.18	(-5,03.42)

अनुदान संख्या 2 (जारी)

4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2055	पुलिस				मुआवजे के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
2395	पीडितों को मुआवजा				
	मूल	50.00			
	अनुपूरक	..	50.00	57.98	(+)7.98
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
2055	पुलिस				
101	अपराधी अन्वेषण तथा सतर्कता				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2391	अपराध तथा अपराधी निगरानी तंत्र तथा प्रणाली (सी सी टी एन एस)			6,06.80	

पूंजीगत खंड

6.	पूंजीगत दत्तमत खंड में ₹ 50,01.59 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ जैसा कि व्यय ₹ 8,71,49.00 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 5,85,60.13 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 5,85,60.13 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान भी ₹ 5,10,86.13 लाख की बचत हुई थी।				
7.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
207	राज्य पुलिस				
0011	सामान्य				
0704	पुलिस का आधुनिकीकरण				
	मूल	10,00.00			
	अनुपूरक	..	10,00.00	15.00	(-)9,85.00

अनुदान संख्या 2 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
207	राज्य पुलिस			
0011	सामान्य			
1158	आई आर पी बटालियन			
	मूल	1,20,00.00		
	अनुपूरक	..	1,20,00.00	
			69,14.99	
			(-)50,85.01	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
0704	पुलिस का आधुनिकीकरण			
	मूल	90,00.00		
	अनुपूरक	..	90,00.00	
			61,47.89	
			(-)28,52.11	
0099	सामान्य			
0740	आंतरिक सुरक्षा			
	मूल	2,00,00.00		
	अनुपूरक	50,01.59	2,50,01.59	
			1,94,49.87	
			(-)55,51.72	
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
60	अन्य भवन			
800	अन्य व्यय			निर्माण घटक के संबंध में कैपेक्स बजट के अंतर्गत गलत अनुमान।
0011	सामान्य			
2340	एन एफ बी होम			
	मूल	4,47,74.00		
	अनुपूरक	..	4,47,74.00	
			7,63.68	
			(-)4,40,10.32	
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
0979	राज्य योजना अग्निशमन सेवाएं			
	मूल	3,75.00		
	अनुपूरक	..	3,75.00	
			2,99.03	
			(-)75.97	

अनुदान संख्या 3 - योजना, विकास तथा निगरानी विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

- 3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं
 3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
 3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल		77,31,80	4,48,29,28	(+)3,70,97,48
			77,31,80	
अनुपूरक		..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

- 4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय
 5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल		26,31,65,29	4,51,66,90	(-)21,79,98,39
			26,31,65,29	
अनुपूरक		..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹77,31.80 लाख का मूल प्रावधान 3,70,97.48 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, जिसे नियमित किए जाने की आवश्यकता है, पिछले वर्ष के दौरान भी ₹ 3,68,72.82 लाख का आधिक्य हुआ।
----	--

अनुदान संख्या 3 (जारी)

2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः अनुदान में आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
01	जनगणना				
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन घटक के अंतर्गत बी ई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1018	निदेशालय का पुनर्गठन				
	मूल	3,65.37			
	अनुपूरक	..	3,65.37	3,86.67	(+)21.30
02	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
112	आर्थिक सलाह तथा सांख्यिकी				
0099	सामान्य				
0557	योजना मशीनरी				
	मूल	37,24.51			
	अनुपूरक	..	37,24.51	38,21.14	(+)96.63
1010	आर्थिक विश्लेषण				
	मूल	19.88			
	अनुपूरक	..	19.88	26.88	(+)7.00
1011	आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय				
	मूल	2,83.35			
	अनुपूरक	..	2,83.35	4,04.77	(+)1,21.42
1012	मार्केट इंटेलिजेंस में सुधार				
	मूल	38.67			
	अनुपूरक	..	38.67	44.41	(+)5.74
1024	योजना को जिला मुख्यालय स्तर पर सुदृढ़ बनाना				
	मूल	2,15.57			
	अनुपूरक	..	2,15.57	2,34.83	(+)19.26
1026	योजना मशीनरी को सुदृढ़ करना				
	मूल	1,46.34			
	अनुपूरक	..	1,46.34	1,65.77	(+)19.43

अनुदान संख्या 3 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				ओ ई, पी ओ एल तथा प्रशिक्षण के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
02	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
112	आर्थिक सलाह तथा सांख्यिकी					
0099	सामान्य					
0564	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
	मूल	10,49.91				
	अनुपूरक	..	10,49.91	10,08.87	(-)41.04	
1009	सांख्यिकी ब्यूरो को सुदृढ़ करना				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	84.36				
	अनुपूरक	..	84.36	69.85		(-)14.51
1021	स्थानीय सर्वेक्षण तथा मूल्य सांख्यिकी				वेतन, ओ ई तथा पी ओ एल के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	1,19.90				
	अनुपूरक	..	1,19.90	83.11		(-)36.79
1025	पूँजीगत निरूपण के अनुमानों का निर्धारण				वेतन तथा टी ए के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	28.72				
	अनुपूरक	..	28.72	22.21		(-)6.51
201	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान				वेतन, ओ ई तथा पी ओ एल के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1017	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण					
	मूल	6,17.97				
	अनुपूरक	..	6,17.97	5,97.87	(-)20.10	
1023	सांख्यिकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण				वेतन तथा टी ए के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	3,77.43				
	अनुपूरक	..	3,77.43	3,48.63		(-)28.80
205	राज्य सांख्यिकी एजेंसी				वेतन तथा टेलीफोन के संबंध में कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1008	जिला सांख्यिकी एजेंसियां					
	मूल	2,88.30				
	अनुपूरक	..	2,88.30	2,58.78	(-)29.52	
1019	मूल्यांकन मशीनरी				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	1,93.92				
	अनुपूरक	..	1,93.92	1,83.43		(-)10.49
1020	राज्य आय के लिए इकाई				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
	मूल	42.05				
	अनुपूरक	..	42.05	35.06		(-)6.99

अनुदान संख्या 3 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
02	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
205	राज्य सांख्यिकी एजेंसी					
0099	सामान्य					
1022	विभिन्न विभागों में सांख्यिकी प्रकोष्ठ					
	मूल	31.16				
	अनुपूरक	..	31.16	16.18		(-)14.98
2302	आवास तथा भवन सांख्यिकी					
	मूल	21.27				
	अनुपूरक	..	21.27	11.87		(-)9.40
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं					
800	अन्य व्यय				अनुदानों के लिए मांग में नहीं रखे गए सभी सी एस एस के संबंध में बी ई।	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
1518	लघु सिंचाई योजनाओं की गणना					17.02

पूँजीगत खंड

5.	यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना की राशियों को राजस्व क्षेत्र में रखा जाना था, परंतु राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 5475 "सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय" के अंतर्गत पूँजीगत खंड की अनुदान संख्या 03 निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में ऐसी योजनाओं के लिए ₹ 3,70,00.00 लाख का प्रावधान रखा गया। मुख्य शीर्ष 3451 "सचिवालय आर्थिक सेवाएं" के अंतर्गत ₹ 3,70,17.67 लाख का व्यय प्रदर्शित होता है।
6.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 26,31,65.29 लाख का मूल प्रावधान ₹ 21,79,98.39 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 21,79,98.39 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी ₹ 18,72,38.81 लाख की बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 3 (जारी)

7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				विस्तृत शीर्ष निर्माण के अंतर्गत मुख्यतः अधिक बजट के अनुमान से कम व्यय होने के कारण मुख्यतः उप शीर्ष में बचत थी।	
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0555	ब्लॉक स्तरीय योजना					
	मूल	4,00,00.00				
	अनुपूरक	..	4,00,00.00	51,46.21		(-)3,48,53.79
0557	योजना मशीनरी					
	मूल	43,00.31				
	अनुपूरक	..	43,00.31	24,24.66		(-)18,75.65
0564	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
	मूल	40,00.00				
	अनुपूरक	..	40,00.00	10,28.61		(-)29,71.39
2154	नए जिलों का निर्माण करना					
	मूल	15,00.00				
	अनुपूरक	..	15,00.00	12,93.12		(-)2,06.88
2338	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम					
	मूल	50,00.00				
	अनुपूरक	..	50,00.00	36,64.19		(-)13,35.81
2396	बाढ़ के लिए पी एम पैकेज					
	मूल	1,50,00.00				
	अनुपूरक	..	1,50,00.00	28.83	(-)1,49,71.17	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0553	सीमा क्षेत्र विकास उन्नयन अनुदान					
	मूल	1,20,00.00				
	अनुपूरक	..	1,20,00.00	1,16,23.73	(-)3,76.27	
8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				बी ए डी पी के संबंध में गलत बजट अनुमान।	
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0553	सीमा क्षेत्र विकास उन्नयन अनुदान					
	मूल	13,33.00				
	अनुपूरक	..	13,33.00	16,16.46	(+)2,83.46	

अनुदान संख्या 3 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
5475	अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष निर्माण के अंतर्गत आधिक्य व्यय।
0011	सामान्य				
2498	डी डी सी एस के लिए संयुक्त निधियां				
	मूल	11,00.00			
	अनुपूरक	..	11,00.00	30,75.54	(+)19,75.54
9.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय				
60	अन्य भवन				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0459	एन एफ बी योजना			13,31.98	
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2337	फास्ट ट्रैक परियोजनाओं को पूर्ण करना			1,50,00.00	
2365	विशेष टास्क फोर्स परियोजना जम्मू			5,00.00	
2491	प्रायोगिक परियोजना			50,00.00	
2492	स्थाई पुनःस्थापन			8,00,00.00	
2493	ए डी बी को समकक्ष धन देना			1,00,00.00	
2494	शहरी क्षेत्र का ई ए पी			3,00,00.00	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2346	लघु सिंचाई सांख्यिकी			1,00.00	
10.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)				
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2144	आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी			1,52,65.56	

अनुदान संख्या 4 - सूचना विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2220 सूचना तथा प्रचार

	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	71,93,45	66,29,57	(-)12,62,57
		78,92,14	
अनुपूरक	6,98,69		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4220 सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
दत्तमत			
मूल	2,30,60	1,06,36	(-)1,24,24
		2,30,60	
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 6,98.69 लाख का अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 71,93.45 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 12,62.57 लाख की अंतिम बचत हुई थी। ₹ 12,62.57 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2220	सूचना तथा प्रचार			वेतन तथा प्रकाशन के अंतर्गत बी ई के प्रति कम व्यय	
60	अन्य				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
0828	संयुक्त निदेशक जम्मू				
	मूल	1,17.43			
	अनुपूरक	53.62	1,71.05	1,16.84	(-)54.21

अनुदान संख्या 4 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
2220	सूचना तथा प्रचार			वेतन के अंतर्गत कम व्यय तथा टेलीफोन तथा विद्युत प्रभारों के अंतर्गत गलत अनुमान। फर्नीचर तथा फिक्सचर के अंतर्गत शून्य व्यय।		
60	अन्य					
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
0835	निदेशन कार्यालय					
	मूल	7,09.15				
	अनुपूरक	2,26.20	9,35.35	8,32.05	(-)1,03.30	
101	विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार			विज्ञापन तथा प्रचार के अंतर्गत ₹ 200.20 लाख की वृद्धि अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई।		
0099	सामान्य					
0118	विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार					
	मूल	36,00.16				
	अनुपूरक	2,00.20	38,00.36	34,32.42	(-)3,67.94	
102	सूचना केंद्र			वृद्धि के माध्यम से अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ जैसा कि व्यय, वेतन घटक के संबंध में मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका।		
0099	सामान्य					
0816	जिला सूचना केंद्र					
	मूल	16,94.54				
	अनुपूरक	1,58.31	18,52.85		11,92.82	(-)6,60.03
0817	सूचना ब्यूरो नई दिल्ली					
	मूल	79.48				
	अनुपूरक	3.48	82.96	37.83	(-)45.13	
106	स्थानीय प्रचार			वेतन घटक के अंतर्गत बी ई के प्रति कम व्यय		
0099	सामान्य					
0825	लिखित तथा सूचना प्रचार					
	मूल	6,37.23				
	अनुपूरक	..	6,37.23		5,84.53	(-)52.70
109	फोटो सेवाएं					
0099	सामान्य					
0830	फोटो तथा फिल्म यूनिट					
	मूल	2,21.69				
	अनुपूरक	..	2,21.69	1,46.74	(-)74.95	

अनुदान संख्या 4 (समाप्त)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				विज्ञापन तथा प्रचार के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
2220	सूचना तथा प्रचार				
60	अन्य				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
0815	संयुक्त निदेशक कश्मीर				
	मूल	1,33.77			
	अनुपूरक	56.88	1,90.65	2,86.35	(+)95.70

पूँजीगत खंड

4.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 2,30.60 लाख का मूल प्रावधान ₹ 1,24.24 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,24.24 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				कैपेक्स बजट के अंतर्गत गलत अनुमान
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय				
60	अन्य				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1238	सूचना पर पूँजीगत परिव्यय				
	मूल	2,30.60			
	अनुपूरक	..	2,30.60	1,06.36	(-)1,24.24

अनुदान संख्या 5 - लद्दाख मामले विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	6,71,69,69		8,73,60,95	(-)8,88,65
		8,82,49,60		
अनुपूरक	2,10,79,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..	

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल	2,35,21,88		3,17,69,20	1,53,46
		3,16,15,74		
अनुपूरक	80,93,86			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 6,71,69.69 लाख का मूल प्रावधान ₹ 8,88.65 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 8,88.65 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			वेतन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
02	पिछड़े क्षेत्र				
255	पुलिस				
0099	सामान्य				
0877	लेह पुलिस				
	मूल	22,59.02			
	अनुपूरक	10.00	22,69.02	18,47.30	(-)4,21.72

अनुदान संख्या 5 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				वेतन घटक के संबंध में उप शीर्ष 0880 तथा 1193 के अंतर्गत ₹ 2,80.00 लाख तथा ₹ 2,15.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
02	पिछड़े क्षेत्र					
334	विद्युत परियोजना					
0099	सामान्य					
0880	डीजल विद्युत उत्पादन					
	मूल	12,55.45				
	अनुपूरक	2,80.00	15,35.45	14,14.48		(-)1,20.97
1193	कारगिल डीजल योजना					
	मूल	6,31.50				
	अनुपूरक	2,15.00	8,46.50	7,73.80		(-)72.70
670	उप संचरण लाइने तथा वितरण प्रणाली में सुधार				वेतन घटक के संबंध में ₹ 1,78.29 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य					
0478	संचरण तथा वितरण					
	मूल	5,58.92				
	अनुपूरक	1,78.29	7,37.21	6,75.66		(-)61.55
3.	यद्यपि लद्दाख/ कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद निधि को हस्तांतरित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान चिन्हित नहीं किए गए थे, फिर भी ₹8,26,49.71 लाख (₹ 3,78,72.60 लाख लेह के लिए तथा ₹ 4,47,77.11 लाख कारगिल के लिए) की एक राशि मुख्य शीर्ष 2575 "अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम" से अलग लेखा निधि में हस्तांतरित की गई थी, जैसा कि विभाग ने सूचित किया था।					
पूंजीगत खंड						
4.	पूंजीगत दत्तमत खंड में यद्यपि लद्दाख/ कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद निधि को हस्तांतरित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान चिन्हित नहीं किए गए थे, फिर भी ₹3,17,69.20 लाख (₹ 1,67,51.32 लाख लेह के लिए और ₹ 1,50,17.88 लाख कारगिल के लिए) की एक राशि मुख्य शीर्ष 4575 "अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय" से अलग लेखा निधि में हस्तांतरित की गई थी, जैसा कि विभाग ने सूचित किया था।					
5.	उचंत संव्यवहार: अनुदान में राजस्व लेखा के अंतर्गत "उचंत" के अंतर्गत शून्य संव्यवहार प्रदर्शित होता है, जो कि अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। यह अन्य बातों के साथ-साथ लेखा शीर्ष में लंबित संव्यवहारों को अंतिम रूप देने हेतु समायोजन करने में सामंजस्य स्थापित करता है। "उचंत" उप-शीर्ष के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष शेष को आगे बढ़ाया जाता है। चार उप शीर्षों (क) खरीद (ख) स्टॉक (ग) विविध निर्माण अग्रिम तथा (घ) कार्यशाला उचंत के अंतर्गत संव्यवहारों की प्रकृति का नीचे वर्णन किया गया है:					

अनुदान संख्या 5 (समाप्त)

(क)	<p>खरीद:- जब माह के दौरान स्टॉक को होल्ड करते हुए बिना कीमत चुकाए या किसी विशेष कार्य के लिए सामग्री प्राप्त होती है, तो उसकी लागत "खरीद" उप-शीर्ष में प्रति अनुबंध के विशेष कार्य हेतु लेखा शीर्ष या स्टॉक शीर्ष जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत डेबिट कर दी जाती है। जब भुगतान कर दिया जाता है या स्टोर इत्यादि के हस्तांतरण द्वारा लागत का समायोजन किया जाता है, तो इस शीर्ष को राशि के साथ घटा दिया जाता है अर्थात् पिछले क्रेडिट का समाधान कर दिया जाता है। इसलिए यह शीर्ष हमेशा एक नकारात्मक या क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, जो स्टोर की प्राप्त लागत को लेकिन भुगतान या समायोजित न किए जाने को प्रस्तुत करेगा।</p>				
(ख)	<p>स्टॉक:- इस उप शीर्ष को, डिवीजन के किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं, बल्कि साधारण प्रयोग हेतु स्टॉक उद्देश्यों के लिए के प्राप्त सामग्री की लागत से कम कर दिया जाता है। कार्य के लिए जारी सामग्री की लागत के साथ यह क्रेडिट की जाती है या किसी अन्य डिवीजन को हस्तांतरित की जाती है या अन्यथा इसका निपटान कर दिया जाता है। शेष, स्टॉक में सामग्री के मूल्य को प्रस्तुत करता है।</p>				
(ग)	<p>विविध निर्माण अग्रिम:- इस उप शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट पर विक्रय हुए स्टोरो की लागत, अधिक क्रेडिट प्राप्त पर क्रेडिट कार्य पर हुआ व्यय, नकदी या स्टोरों की हानि जो अभी लिखी जानी है तथा सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारियों से वसूली जाने वाली इत्यादि शामिल राशियों के लिए कम कर दिया जाता है। इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष, अंतिम शीर्ष के लिए वसूल की जाने वाली राशि या डेबिट समायोजन को प्रस्तुत करता है।</p>				
(घ)	<p>कार्यशाला उचंत:- लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला में किए गए कार्य तथा अन्य परिचालनों के लिए इस उप-शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित प्रभार वसूली या समायोजन के लिए लंबित है।</p>				
6.	<p>वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदान में "उचंत" के अंतर्गत संव्यवहारों के विश्लेषण के साथ आरंभिक शेष तथा अंत शेष का विवरण नीचे दिया गया है:-</p>				
	मुख्य लेखा शीर्ष/ विवरण	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अंत शेष
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
	खरीद	(-)36.91	-	-	(-)36.91
	स्टॉक	(+)11,05.26	-	-	(+)11,05.26
	विविध अग्रिम	(+)4,79.81	-	-	(+)4,79.81
	कार्यशाला उचंत	(+)37.98	-	-	(+)37.98
	कुल	(+)15,86.14	-	-	(+)15,86.14

अनुदान संख्या 6 - विद्युत विकास विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2801 विद्युत

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	83,41,04,97	75,42,75,05	(-)16,15,25,83
		91,58,00,88	
अनुपूरक	8,16,95,91		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल	47,12,02,00	2,06,15,96	(-)53,84,26,45
		55,90,42,41	
अनुपूरक	8,78,40,41		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 8,16,95.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 83,41,04.97 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका। परिणामस्वरूप ₹ 16,15,25.83 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 16,15,25.83 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले दो वर्षों के दौरान भी अनुदान में बचत हुई थी।				
2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2801	विद्युत				
01	हाइडल जनरेशन				
101	विद्युत की खरीद			विद्युत की खरीदी के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0933	मुख्य अभियंता वाणिज्यिक तथा सर्वेक्षण स्कंध जम्मू				
	मूल	62,00,00.00			
	अनुपूरक	5,61,00.00	67,61,00.00	52,65,02.43	(-)14,95,97.57

अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2801	विद्युत			
05	संचरण तथा वितरण			
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य			
0933	मुख्य अभियंता वाणिज्यिक तथा सर्वेक्षण स्कंध जम्मू			
	मूल	11,97.85		
	अनुपूरक	3,09.76		
	पुनर्विनियोजन	(-)0.50	15,07.11	
			12,96.10	
			(-)2,11.01	
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन कश्मीर			
	मूल	22,88.53		
	अनुपूरक	12,57.02	35,45.55	
			28,87.30	
			(-)6,58.25	
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन जम्मू			
	मूल	27,43.55		
	अनुपूरक	13,72.43	41,15.98	
			33,28.14	
			(-)7,87.84	
2455	समर्पित परियोजना स्कंध			
	मूल	11,72.66		
	अनुपूरक	6,90.26	18,62.92	
			15,71.14	
			(-)2,91.78	
052	मशीनरी तथा उपकरण			मशीनरी तथा उपकरण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य			
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन कश्मीर			
	मूल	28.00		
	अनुपूरक	..	28.00	
			4.40	
			(-)23.60	
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन जम्मू			
	मूल	10.00		
	अनुपूरक	11.00	21.00	
			12.35	
			(-)8.65	
603	संचरण लाइन बेमिना श्रीनगर			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य			
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन कश्मीर			
	मूल	8,24.08		
	अनुपूरक	3,02.76	11,26.84	
			10,35.33	
			(-)91.51	
604	संचरण लाइन जानीपुर			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य			
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन जम्मू			
	मूल	9,15.49		
	अनुपूरक	3,08.60	12,24.09	
			11,91.47	
			(-)32.62	

अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2801	विद्युत				
05	संचरण तथा वितरण				
605	संचरण लाइन ग्लाडनी			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन जम्मू				
	मूल	8,80.66			
	अनुपूरक	3,16.40	11,97.06	10,64.59	(-)1,32.47
606	संचरण लाइन उधमपुर			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन जम्मू				
	मूल	13,00.26			
	अनुपूरक	2,75.82	15,76.08	14,97.35	(-)78.73
607	संचरण लाइन पंपोर			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन कश्मीर				
	मूल	13,07.30			
	अनुपूरक	5,89.81	18,97.11	14,77.87	(-)4,19.24
06	ग्रामीण विद्युतीकरण				
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	मूल	6,13,27.52			
	अनुपूरक	4,04.24	6,17,31.76	6,15,49.22	(-)1,82.54
1678	मुख्य अभियंता खरीदी तथा सामग्री प्रबंधन जम्मू			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
	मूल	75,66.01			
	अनुपूरक	4,25.95	79,91.96		77,66.98
052	मशीनरी तथा उपकरण			मशीनरी तथा उपकरण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	मूल	45.00			
	अनुपूरक	..	45.00	33.86	(-)11.14

अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2801	विद्युत				
06	ग्रामीण विद्युतीकरण				
611	ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	मूल	1,11,29.15			
	अनुपूरक	59,45.69	1,70,74.84	1,45,61.75	(-)25,13.09
612	ग्रामीण विद्युतीकरण कठुआ			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	मूल	33,71.75			
	अनुपूरक	17,74.57	51,46.32	45,52.91	(-)5,93.41
613	ग्रामीण विद्युतीकरण पुंछ			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	मूल	13,24.13			
	अनुपूरक	6,68.31	19,92.44	16,57.75	(-)3,34.69
614	ग्रामीण विद्युतीकरण रजौरी			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	मूल	29,41.87			
	अनुपूरक	18,10.25	47,52.12	35,96.83	(-)11,55.29
615	ग्रामीण विद्युतीकरण उधमपुर			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	मूल	43,79.66			
	अनुपूरक	15,51.15	59,30.81	51,56.25	(-)7,74.56

अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
2801	विद्युत			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
06	ग्रामीण विद्युतीकरण					
616	ग्रामीण विद्युतीकरण बटोट					
0099	सामान्य					
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू					
	मूल	10,53.76				
	अनुपूरक	1,81.53	12,35.29		10,57.47	(-1,77.82)
617	ग्रामीण विद्युतीकरण डोडा					
0099	सामान्य					
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू					
	मूल	11,49.05				
	अनुपूरक	5,37.24	16,86.29		15,20.95	(-1,65.34)
618	ग्रामीण विद्युतीकरण श्रीनगर					
0099	सामान्य					
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर					
	मूल	1,32,12.95				
	अनुपूरक	20,62.64	1,52,75.59		1,49,70.56	(-3,05.03)
620	ग्रामीण विद्युतीकरण अंबतीपुरा					
0099	सामान्य					
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर					
	मूल	13,66.56				
	अनुपूरक	6,33.32				
	पुनर्विनियोजन	(-)15.00	19,84.88		14,00.78	(-5,84.10)
621	ग्रामीण विद्युतीकरण पुलवामा					
0099	सामान्य					
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर					
	मूल	32,01.91				
	अनुपूरक	1,09.64	33,11.55	31,23.19	(-1,88.36)	
622	ग्रामीण विद्युतीकरण बारामुला					
0099	सामान्य					
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर					
	मूल	16,07.38				
	अनुपूरक	38.55	16,45.93	11,77.01	(-4,68.92)	

अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2801	विद्युत				
06	ग्रामीण विद्युतीकरण				
623	ग्रामीण विद्युतीकरण बड़गाम			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	मूल	19,87.70			
	अनुपूरक	3,29.48	23,17.18	22,92.22	(-)24.96
624	ग्रामीण विद्युतीकरण हंदवाडा			अनुरक्षण तथा मरम्मत के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	मूल	24,98.61			
	अनुपूरक	49.40	25,48.01	20,89.47	(-)4,58.54
625	ग्रामीण विद्युतीकरण कुलगाम			अनुरक्षण तथा मरम्मत के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	मूल	13,13.50			
	अनुपूरक	2,62.70	15,76.20	15,48.59	(-)27.61
626	ग्रामीण विद्युतीकरण संबल			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ	
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	मूल	14,44.50			
	अनुपूरक	46.72	14,91.22	9,63.33	(-)5,27.89
627	ग्रामीण विद्युतीकरण सोपोर				
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	मूल	50,88.88			
	अनुपूरक	3,59.70	54,48.58	52,49.65	(-)1,98.93
628	ग्रामीण विद्युतीकरण बिजेबेहारा				
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	मूल	35,01.44			
	अनुपूरक	62.70	35,64.14	31,89.97	(-)3,74.17

अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2801	विद्युत			
06	ग्रामीण विद्युतीकरण			
629	ग्रामीण विद्युतीकरण गांदरबल			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ
0099	सामान्य			
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर			
	मूल	21,29.75		
	अनुपूरक	6,27.06	27,56.81	
			24,52.96	
			(-)3,03.85	
630	ग्रामीण विद्युतीकरण विजयपुर			
0099	सामान्य			
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू			
	मूल	14,89.28		
	अनुपूरक	6,33.34	21,22.62	
			18,95.26	
			(-)2,27.36	
633	ग्रामीण विद्युतीकरण किश्तवाड			
0099	सामान्य			
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू			
	मूल	12,25.19		
	अनुपूरक	2,72.29	14,97.48	
			12,39.52	
			(-)2,57.96	
80	सामान्य			
001	निदेशन तथा प्रशासन			व्यवसायिक तथा विशेष प्रभारों के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य			
1673	विद्युत विकास आयुक्त			
	मूल	4,79.26		
	अनुपूरक	1,21.00	6,00.26	
			5,91.66	
			(-)8.60	
004	अनुसंधान तथा विकास			व्यवसायिक तथा विशेष प्रभारों के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य			
2169	मुख्य अभियंता योजना एवं डिजाइन			
	मूल	6,67.71		
	अनुपूरक	1,88.71	8,56.42	
			8,36.86	
			(-)19.56	
005	अन्वेषण			वेतन के संबंध में अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ
0099	सामान्य			
2170	निदेशक प्रशिक्षण, जांच, निरीक्षण तथा कमिश्निंग स्कंध जम्मू एवं कश्मीर			
	मूल	4,40.90		
	अनुपूरक	2,17.30	6,58.20	
			5,92.23	
			(-)65.97	

अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2801	विद्युत				
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				वेतन तथा व्यवसायिक तथा विशेष प्रभारों के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
2111	राज्य विद्युत नियामक आयोग (एस ई आर सी)				
	मूल	2,58.42			
	अनुपूरक	6.54	2,64.96	1,36.18	(-)1,28.78
3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2801	विद्युत				
05	संचरण तथा वितरण				
602	संचरण लाइन सोपोर				वेतन तथा विद्युत प्रभारों के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय
0099	सामान्य				
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली तथा परिचालन कश्मीर				
	मूल	8,92.95			
	अनुपूरक	2,88.27	11,81.22	14,45.58	(+)2,64.36
610	लोड डिस्पेच एमटी श्रीनगर				वेतन के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय
0099	सामान्य				
0933	मुख्य अभियंता वाणिज्यिक तथा सर्वेक्षण स्कंध कश्मीर				
	मूल	3,72.60			
	अनुपूरक	65.40	4,38.00	4,57.72	(+)19.72
06	ग्रामीण विद्युतीकरण				
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के बाद भी वेतन के संबंध में बजट से आधिक्य व्यय
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	मूल	6,15,50.55			
	अनुपूरक	1,64.81			
	पुनर्विनियोजन	15.00	6,17,30.36	6,22,26.00	(+)4,95.64

अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
2801	विद्युत			वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय		
06	ग्रामीण विद्युतीकरण					
619	ग्रामीण विद्युतीकरण अनंतनाग					
0099	सामान्य					
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर					
	मूल	18,76.48				
	अनुपूरक	1,75.26	20,51.74		20,57.20	(+)5.46
80	सामान्य					
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
1686	एफ ए विद्युत परियोजनाएं संगठन					
	मूल	2,40.76				
	अनुपूरक	57.20	2,97.96	6,36.06	(+)3,38.10	

पूँजीगत खंड

4.	पूँजीगत खंड में ₹8,78,40.41 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹47,12,02.00 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹53,84,26.45 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹53,84,26.45 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान भी अनुदान में निरंतर बचत हुई।				
	वर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
	2013-2014	8,65,95.00	3,80,93.47	(-)4,85,01.53	
	2014-2015	3,92,71.25	1,42,46.69	(-)2,50,24.56	
	2015-2016	10,06,21.25	2,98,61.21	(-)7,07,60.04	
	2016-2017	28,77,07.30	6,99,45.93	(-)21,77,61.37	
	2017-2018	62,51,49.31	6,60,22.18	(-)55,91,27.13	
6.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
01	हाइडल जनरेशन				
800	अन्य व्यय			कैपेक्स बजट का गलत अनुमान	
0011	सामान्य				
2021	जनरेशन				
	मूल	7,44,96.57			
	अनुपूरक	2,49,53.43	9,94,50.00	10,10.40	(-)9,84,39.60

अनुदान संख्या 6 (जारी)

पूंजीगत खंड

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
05	संचरण तथा वितरण			
800	अन्य व्यय			कैपेक्स बजट का गलत अनुमान
0011	सामान्य			
0250	सर्वेक्षण तथा अन्वेषण			
	मूल	2,25.00		
	अनुपूरक	..	2,25.00	
			1,12.50	
			(-)1,12.50	
0306	ग्रामीण विद्युतीकरण			
	मूल	25,00.00		
	अनुपूरक	35.00	25,35.00	
			3,21.52	
			(-)22,13.48	
0478	संचरण तथा वितरण			
	मूल	21,79,10.73		
	अनुपूरक	..	21,79,10.73	
			1,90,41.22	
			(-)19,88,69.51	
2463	आई पी डी एस			
	मूल	5,00.00		
	अनुपूरक	..	5,00.00	
			89.77	
			(-)4,10.23	
2464	डी डी यू जी जे वाई			
	मूल	5,00.00		
	अनुपूरक	..	5,00.00	
			40.55	
			(-)4,59.45	
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)			
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
05	संचरण तथा वितरण			
601	132 के.वी. बादामपुरा संचरण लाइन			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
1873	त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम			5,00,00.00

अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग				अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
05	संचरण तथा वितरण				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2465	आर जी जी वी वाई		5,12.00		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2463	आई डी पी एस		1,00,00.00		
2464	डी डी यू जी जे वाई		1,00,00.00		
06	ग्रामीण विद्युतीकरण				
052	मशीनरी तथा उपकरण				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2465	आर जी जी वी वाई		45,57.70		
80	सामान्य				
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश				
0099	सामान्य				
1370	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम				
8.	उचंत संव्यवहार: अनुदान में व्यय के अंतर्गत राजस्व व पूंजीगत दोनो में "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत ₹59,99.92 लाख शामिल है, जो कि अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। उचंत शीर्ष के अंतर्गत संव्यवहारों की प्रकृति तथा लेखांकन पद्धति का लक्षात् मामले विभाग की अनुदान संख्या 05 के नोट 05 में वर्णन किया है। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान अनुदान में उचंत शीर्ष के अंतर्गत संव्यवहारों के विश्लेषण के साथ, आरंभिक शेष तथा अंत शेष को नीचे दिया गया है:				
	मुख्य लेखा शीर्ष/ विवरण	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अंत शेष
			(₹ लाख में)		
2801	विद्युत				
	खरीद	(-)35.44	-	-	(-)35.44
	विविध	4,77.81	-	-	4,77.81
	स्टॉक	3,69.65	59,99.92	-	63,69.57
	कार्यशाला	29.38	-	-	29.38
	कुल- 2801	8,41.40	59,99.92	-	68,41.32
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
	खरीद	(-)1,13.14	-	-	(-)1,13.14
	स्टॉक	4,78.25	-	-	4,78.25
	विविध	98.52	-	-	98.52
	कार्यशाला	28.85	-	-	28.85
	कुल- 4801	4,92.48	-	-	4,92.48

अनुदान संख्या 6 (समाप्त)

9.	विद्युत विकास विभाग के संयंत्र तथा उपकरणों की स्थापना प्रभारों की समीक्षा: वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान, विद्युत विकास विभाग में संयंत्र तथा तथा उपकरणों की स्थापना पर हुए व्यय के निर्माण परिव्यय के प्रतिशत को नीचे तालिका में इंगित किया गया है:					
मुख्य लेखा शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	उपकरण तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए उपकरण तथा संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत	
				(₹ लाख में)		
2801	विद्युत					
	2016-2017	52,03.29	80,29,38.49	1,54,31.36	69.99	1.34
	2017-2018	1,28,37.54	49,33,53.46	38,43.00	-	-
	2018-2019	2,46,75.48	72,94,60.38	29,56.22	1,39.19	0.56
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
	2016-17	6,98,92.89	-	-	53.03	0.08
	2017-18	6,60,22.18	-	-	-	-
	2018-19	2,06,15.95	-	-	-	-

अनुदान संख्या 7 - शिक्षा विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2202 सामान्य शिक्षा

2204 खेल तथा युवा सेवाएं

		कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल	65,86,93,88		85,51,21,22	(-)13,53,64,02
		99,04,85,24		
अनुपूरक	33,17,91,36			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	11,48,43,62		6,17,20,17	(-)5,31,23,45
		11,48,43,62		
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 33,17,91.36 लाख का अनुपूरक अनुदान ₹ 13,53,64.02 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 13,53,64.02 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान भी अनुदान में ₹ 4,45,68.25 लाख की बचत हुई थी।				
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2202	सामान्य शिक्षा				
01	प्रारंभिक शिक्षा			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम निर्गम	
101	सरकारी प्राथमिक विद्यालय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0449	सर्व शिक्षा अभियान				
	मूल	18,00,00.00			
	अनुपूरक	..	18,00,00.00	12,26,29.44	(-)5,73,70.56

अनुदान संख्या 7 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2202	सामान्य शिक्षा				
<i>01</i>	<i>प्रारंभिक शिक्षा</i>				
101	सरकारी प्राथमिक विद्यालय			अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2322	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान				
	मूल	2,19,37.50			
	अनुपूरक	29,89.38	2,49,26.88	48,08.48	(-)2,01,18.40
0099	सामान्य				वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0254	निदेशक विद्यालय शिक्षा जम्मू (प्राथमिक विद्यालय बालक)				
	मूल	8,70,45.74			
	अनुपूरक	3,95,27.44	12,65,73.18	12,28,81.13	(-)36,92.05
2418	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान				जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति कम निर्गम
	मूल	96,04.47			
	अनुपूरक	..	96,04.47	17,45.70	(-)78,58.77
104	निरीक्षण				वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0214	निदेशक शिक्षा कश्मीर				
	मूल	10,04,50.85			
	अनुपूरक	5,77,82.61	15,82,33.46	13,32,66.84	(-)2,49,66.62
800	अन्य व्यय				बी ई के प्रति कम निर्गम
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1030	मिड डे मिल				
	मूल	38,48.50			
	अनुपूरक	..	38,48.50	14.44	(-)38,34.06
<i>02</i>	<i>माध्यमिक शिक्षा</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0214	निदेशक शिक्षा कश्मीर				
	मूल	10,98,91.00			
	अनुपूरक	6,98,79.91	17,97,70.91	15,33,59.71	(-)2,64,11.20
80	<i>सामान्य</i>				
107	छात्रवृत्ति				जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति कम निर्गम
0099	सामान्य				
2436	बेटी अनमोल				
	मूल	2,00.00			
	अनुपूरक	..	2,00.00	1,68.68	(-)31.32

अनुदान संख्या 7 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2202	सामान्य शिक्षा					
01	प्रारंभिक शिक्षा					
111	सर्व शिक्षा अभियान				जी आई ए के अंतर्गत बी ई से आधिक्य	
0099	सामान्य शिक्षा					
0449	सर्व शिक्षा अभियान					
	मूल	2,86,00.00				
	अनुपूरक	10,41,04.50	13,27,04.50	13,46,03.27	(+)18,98.77	
02	माध्यमिक शिक्षा					
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अंतर्गत बी ई से आधिक्य	
0099	सामान्य					
0274	निदेशक शिक्षा जम्मू					
	मूल	10,60,57.66				
	अनुपूरक	5,75,07.52	16,35,65.18	16,44,00.08	(+)8,34.00	
107	छात्रवृत्ति				जी आई ए के अंतर्गत बी ई से आधिक्य	
0099	सामान्य					
0243	सैनिक स्कूल मानसबल					
	मूल	5,25.00				
	अनुपूरक	..	5,25.00	6,65.48	(+)1,40.48	
109	सरकारी माध्यमिक विद्यालय				वेतन के अंतर्गत बी ई से आधिक्य	
0099	सामान्य					
1057	प्रवासियों पर व्यय					
	मूल	66,86.26				
	अनुपूरक	..	66,86.26	1,07,47.51	(+)40,61.25	
80	सामान्य					
003	प्रशिक्षण				वेतन के अंतर्गत बी ई से आधिक्य	
0099	सामान्य					
0271	राज्य शिक्षा संस्थान, कश्मीर					
	मूल	3,64.50				
	अनुपूरक	..	3,64.50	4,67.71		(+)1,03.21
0277	राज्य शिक्षा संस्थान, जम्मू					
	मूल	2,92.86				
	अनुपूरक	..	2,92.86	5,78.91	(+)2,86.05	

अनुदान संख्या 7 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)	
2204	खेल तथा युवा सेवाएं				
102	छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			वेतन के अंतर्गत बी ई से आधिक्य	
0099	सामान्य				
0954	राष्ट्रीय कैडेट कोर				
	मूल	12,03.00			
	अनुपूरक	..	12,03.00	12,35.25	(+)32.25
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ			
			(₹ लाख में)		
2202	सामान्य शिक्षा				
<i>01</i>	<i>प्रारंभिक शिक्षा</i>				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0987	शिक्षक शिक्षा		16,20.00		
<i>02</i>	<i>माध्यमिक शिक्षा</i>				
107	छात्रवृत्ति				
0099	सामान्य				
0932	युद्ध में मारे गए सैनिकों के बच्चे		5.94		
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ			
			(₹ लाख में)		
2202	सामान्य शिक्षा				
<i>01</i>	<i>प्रारंभिक शिक्षा</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2448	साक्षर भारत अभियान		19,49.61		
105	अनौपचारिक शिक्षा				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0274	निदेशक शिक्षा जम्मू		55.18		

अनुदान संख्या 7 (जारी)

शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारंभिक शिक्षा		
107	शिक्षक प्रशिक्षण		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
1398	प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (कश्मीर)	11,24.65	
800	अन्य व्यय		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
2280	जिला स्तरीय कार्यालय/ जम्मू	8.50	
02	माध्यमिक शिक्षा		
109	सरकारी माधमिक विद्यालय		
0099	सामान्य		
1664	10+2 पद्धति बालक (कश्मीर)	72.77	

पूँजीगत खंड

6.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 11,48,43.62 लाख का मूल प्रावधान ₹ 5,31,23.45 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 5,31,23.45 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी ₹ 6,39,39.46 लाख की बचत हुई थी।
7.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01	सामान्य शिक्षा			
201	प्रारंभिक शिक्षा			निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0011	सामान्य			
0632	प्रारंभिक शिक्षा			
	मूल	40,00.00		
	अनुपूरक	..	40,00.00	
			27,15.73	
			(-)12,84.27	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
0449	सर्व शिक्षा अभियान			
	मूल	3,15,09.15		
	अनुपूरक	..	3,15,09.15	
			57,39.96	
			(-)2,57,69.19	
2322	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (के एम आर)			
	मूल	4,11,33.98		
	अनुपूरक	..	4,11,33.98	
			51,99.98	
			(-)3,59,34.00	

अनुदान संख्या 7 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय					
01	सामान्य शिक्षा					
202	माध्यमिक शिक्षा				निर्माण कार्य घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0011	सामान्य					
0149	माध्यमिक शिक्षा					
	मूल	1,20,15.00				
	अनुपूरक	..	1,20,15.00	69,07.78		(-)51,07.22
800	अन्य व्यय					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
1030	मिड डे मिल					
	मूल	1,44,00.00				
	अनुपूरक	..	1,44,00.00	32,22.11		(-)1,11,77.89
8	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय					
01	सामान्य शिक्षा					
201	प्रारंभिक शिक्षा				निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय	
0011	सामान्य					
0244	निदेशन तथा प्रशासन					
	मूल	75.00				
	अनुपूरक	..	75.00	85.48		(+)10.48
0449	सर्व शिक्षा अभियान					
	मूल	10,00.00				
	अनुपूरक	..	10,00.00	3,21,20.08		(+)3,11,20.08
9	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					

अनुदान संख्या 7 (समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारंभिक शिक्षा		
0011	सामान्य		
2439	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	45,70.49	
204	प्रौढ शिक्षा		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
1428	प्रौढ शिक्षा	40,00.00	
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0987	शिक्षक शिक्षा	5,40.00	
03	खेल तथा युवा सेवाएं		
800	अन्य व्यय		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
2495	खेलो इंडिया	16,00.00	
10	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण नहीं बताए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारंभिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
2280	जिला स्तर कार्यालय/ जम्मू	57,29.05	

अनुदान संख्या 8 - वित्त विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

- 2030 स्टांप तथा पंजीकरण
 2039 राज्य उत्पाद शुल्क
 2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर
 2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्रभारों का संग्रहण
 2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
 2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं
 2048 ऋण को कम या परिवर्जित करने के लिए विनियोग
 2049 ब्याज भुगतान
 2054 कोषागार तथा लेखा प्रशासन
 2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
 2075 विविध सामान्य सेवाएं
 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल	1,07,75,45,53		81,49,69,96	(-)26,25,84,57
		1,07,75,54,53		
अनुपूरक	9,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..
प्रभारित				
मूल	47,24,78,00		52,08,68,05	(-)4,56,77,95
		56,65,46,00		
अनुपूरक	9,40,68,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

- 4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय
 5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थानों में निवेश
 5475 अन्य सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण
 6004 केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम
 6235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए ऋण
 6885 उद्योगों तथा खनिजों के लिए अन्य ऋण

अनुदान संख्या 8 (जारी)

	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	25,95,06,00	25,22,92	(-)25,69,83,08
	25,95,06,00		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..
प्रभारित			
मूल	1,79,76,69,00	2,06,46,60,81	(+)26,69,91,81
	1,79,76,69,00		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत क्षेत्र में ₹ 9.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 1,07,75,45.53 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 26,25,84.57 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 26,25,84.57 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान भी अनुदान में हुई निरंतर बचत निम्नानुसार है:-				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
	2013-2014	45,56,99.86	38,12,69.28	(-)7,44,30.58	
	2014-2015	49,59,16.40	39,18,63.95	(-)10,40,52.45	
	2015-2016	61,70,78.80	40,58,42.88	(-)21,12,35.92	
	2016-2017	56,50,29.02	44,79,18.03	(-)11,71,10.99	
	2017-2018	63,16,39.15	57,07,45.40	(-)6,08,93.95	
3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2039	राज्य उत्पाद शुल्क				
001	निदेशन तथा प्रशासन			कल्याण निधि के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के माध्यम से वृद्धि अत्यधिक सिद्ध हुई	
0099	सामान्य				
0334	आयुक्त कार्यालय				
	मूल	38,97.81			
	अनुपूरक	..			
	पुनर्विनियोजन	31.35	39,29.16	39,04.80	(-)24.36

अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
800	अन्य व्यय				मुख्यतः टी ई टेलीफोन आदि के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
1429	बिक्री कर अधिकरण				
	मूल	1,14.46			
	अनुपूरक	..	1,14.46	1,04.13	(-)10.33
2043	राज्य वस्तुओं तथा सेवाओं कर के अंतर्गत प्रभारों का संग्रहण				
001	निदेशन तथा प्रशासन				मुख्य शीर्ष 2040 के अंतर्गत प्रथम छह माह के लिए व्यय आरक्षित
0099	सामान्य				
0334	आयुक्त कार्यालय				
	मूल	10,82,31.00			
	अनुपूरक	..	10,82,31.00	2,75,90.97	
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क				
104	वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर- प्रभारों का संग्रहण				वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0968	वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर- प्रभारों का संग्रहण				
	मूल	3,08.35			
	अनुपूरक	..	3,08.35	2,41.23	(-)67.12
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं				
103	लघु बचतों को बढ़ाना				मुख्यतः जी आई ए तथा वाहनों के क्रय के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0293	वित्त निदेशक				
	मूल	15,32.50			
	अनुपूरक	..	15,32.50	4,07.93	(-)11,24.57
2054	कोषागार तथा लेखे प्रशासन				
003	प्रशिक्षण				मुख्यतः वजीफा तथा छात्रवृत्ति के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0328	लेखा कार्य प्रशिक्षण विद्यालय, श्रीनगर				
	मूल	4,03.35			
	अनुपूरक	..	4,03.35	2,87.42	(-)1,15.93
095	निदेशक, लेखे तथा कोषागार				मुख्यतः वेतन तथा वाहनों के क्रय के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0312	महानिदेशक लेखे तथा कोषागार				
	मूल	10,14.19			
	अनुपूरक	..			
	पुनर्विनियोजन	(-)13.48	10,00.71	7,67.05	(-)2,33.66

अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2054	कोषागार तथा लेखे प्रशासन				
800	अन्य व्यय				कार्यालय के उपस्कर तथा उपकरण के संबंध में अप्रयुक्त बजट
0099	सामान्य				
0312	निधि संगठन निदेशालय				
	मूल	6,04.20			
	अनुपूरक	..	6,04.20	5,39.75	(-)64.45
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
02	<i>समाज कल्याण</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0244	निदेशन तथा प्रशासन				
	मूल	9,79.57			
	अनुपूरक	..	9,79.57	9,06.56	(-)73.01
60	<i>अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>				
102	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन				मुख्यतः आर आर टी के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0313	जमा संपर्क बीमा योजना				
	मूल	1,24.00			
	अनुपूरक	..	1,24.00	7.02	(-)1,16.98
107	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना				पेंशन लाभों के अंतर्गत बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0965	स्वतंत्रता सेनानियों तथा उन पर आश्रितों को पेंशन				
	मूल	3,00.00			
	अनुपूरक	..	3,00.00	3.30	(-)2,96.70
4.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2048	ऋण को कम या परिवर्जित करने के लिए विनियोग				
101	ऋण-शोधन निधि				बी ई के प्रति ऋण-शोधन निधि में आधिक्य धन राशि स्थानांतरित
0099	सामान्य				
0418	वित्त विभाग				
	मूल	42,27.00			
	अनुपूरक	..	42,27.00	97,05.00	(+)54,78.00

अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2054	कोषागार तथा लेखा प्रशासन				
003	प्रशिक्षण			मुख्यतः वेतन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय	
0099	सामान्य				
0329	उत्तरी क्षेत्रीय लेखा कार्य प्रशिक्षण विद्यालय जम्मू				
	मूल	4,14.04			
	अनुपूरक	..	4,14.04	4,63.77 (+)49.73	
095	लेखा तथा कोषागार निदेशालय			मुख्यतः वेतन तथा फर्नीचर तथा प्रस्तुति के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय	
0099	सामान्य				
0316	लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण निदेशालय				
	मूल	8,08.62			
	अनुपूरक	..	8,08.62	14,37.58 (+)6,28.96	
0326	निदेशक लेखे तथा कोषागार, कश्मीर			मुख्यतः वेतन के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय	
	मूल	2,51.28			
	अनुपूरक	..	2,51.28		3,10.77 (+)59.49
2430	निदेशक लेखे तथा कोषागार, जम्मू				
	मूल	3,15.77			
	अनुपूरक	..			
	पुनर्विनियोजन	27.00	3,42.77	5,00.84 (+)1,58.07	
097	कोषागार स्थापना				
0099	सामान्य				
0324	मुफस्सिल कोषागार, कश्मीर				
	मूल	18,93.48			
	अनुपूरक	..	18,93.48	21,45.12 (+)2,51.64	
0335	जिला कोषागार कश्मीर				
	मूल	16,11.38			
	अनुपूरक	..	16,11.38		18,85.94 (+)2,74.56
2431	जिला कोषागार जम्मू				
	मूल	12,63.82			
	अनुपूरक	..			
	पुनर्विनियोजन	13.48	12,77.30	15,81.61 (+)3,04.31	

अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
2054	कोषागार तथा लेखे प्रशासन			
097	कोषागार स्थापना			मुख्यतः वेतन के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय
0099	सामान्य			
2432	मुफस्सिल कोषागार, जम्मू			
	मूल	14,91.66		
	अनुपूरक			
	पुनर्विनियोजन	(-)27.00	14,64.66	
			15,30.35	
			(+)65.69	
098	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा			
0099	सामान्य			
0314	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा संगठन			
	मूल	4,94.64		
	अनुपूरक	..	4,94.64	
			5,88.18	
			(+)93.54	
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0310	संभागीय निधि कार्यालय जम्मू/ श्रीनगर			
	मूल	4,51.20		
	अनुपूरक	..	4,51.20	
			5,18.97	
			(+)67.77	
1190	जिला निधि कार्यालय			
	मूल	43,83.25		
	अनुपूरक	..	43,83.25	
			46,97.21	
			(+)3,13.96	
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
01	<i>सिविल</i>			
115	छुट्टी नकदीकरण लाभ			छुट्टी नकदीकरण के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय
0099	सामान्य			
2190	वित्त सचिव			
	मूल	3,98,03.51		
	अनुपूरक	9.00	3,98,12.51	
			6,15,71.31	
			(+)2,17,58.80	
117	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान			पेंशन प्रभारों के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय
0099	सामान्य			
2327	सरकारी अंशदान			
	मूल	3,33,42.66		
	अनुपूरक	..	3,33,42.66	
			4,23,87.86	
			(+)90,45.20	
2075	विविध सामान्य सेवाएं			
103	राज्य लॉटरी			मुख्यतः वेतन के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय
0099	सामान्य			
0317	फिर से शुरु की गई जागिरदारियों के एवज में पेंशन			
	मूल	14.50		
	अनुपूरक	..	14.50	
			36.99	
			(+)22.49	

अनुदान संख्या 8 (जारी)

5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष		कुल अनुदान / विनियोग	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
60	<i>अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>		
102	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन		
0099	सामान्य		
0668	वित्त सचिव	3,00.00	
105	सरकारी कर्मचारी बीमा योजना		
0099	सामान्य		
0323	समूह बीमा के लिए राज्य अंशदान	2,50,25.00	
6.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
2039	राज्य उत्पाद शुल्क		
001	निदेशन तथा प्रशासन		
0099	सामान्य		
0307	जिला कार्यकारी बल	11.71	
2040	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर		
001	निदेशन तथा प्रशासन		
0099	सामान्य		
0334	आयुक्त कार्यालय	2,78.79	
2075	विविध सामान्य सेवाएं		
800	अन्य व्यय		
0099	सामान्य		
0975	विशिष्ट सेवाओं के लिए पेंशन तथा पुरस्कार पर विचार	3.80	

अनुदान संख्या 8 (जारी)

7.	लेखा के मुख्य तथा लघु-शीर्ष की सूची से विचलन में, मुख्य-शीर्ष 2045 - वस्तुमूल और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क के अधीन उचित लघु शीर्ष 101 -संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर के बजाय संग्रहण शुल्क- मनोरंजन प्रभार के लिए प्रभार का प्रावधान लघु-शीर्ष 104-संग्रहण शुल्क- मनोरंजन कर के अंतर्गत रखे जाने के परिणामस्वरूप मुख्य-शीर्ष 2045- वस्तुमूल और सेवामूल पर अन्य कर तथा शुल्क के अधीन 104 - संग्रहण प्रभार- मनोरंजन कर के अंतर्गत डी.डी.मूल द्वारा रु. 21.59 लाख के व्यय को गलत दर्ज करना रहा।	
8.	₹ 39,03,53.56 लाख तथा ₹ 1,46,72.70 लाख (मूल 1,47,04.05 + ₹(-) 31.35 लाख पुनर्विनियोजन) को वेतन तथा भत्तों (आउटसोर्सिंग) हेतु प्रावधान स्वरूप क्रमशः लघु-शीर्ष 800-अन्य व्यय के प्रति उप-शीर्ष 0418 -वित्त विभाग तथा मुख्य शीर्ष 2054 -कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अधीन रखा गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न नियंत्रण अधिकारियों के बीच आबंटन को उनके संबंधित शीर्षों / अनुदानों में प्रभाजन हेतु लेखापरीक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुए तथा परिणामस्वरूप विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत राज्य सरकार कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन तथा भत्तों की बजटीय प्रावधान की सीमा की तुलना में व्यय को अधिक बताया गया। इसके साथ ही मुख्य शीर्ष 2071 -पेंशनरी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अधीन उप-शीर्ष 2190 -वित्त सचिव के प्रति लघु-शीर्ष 101 में ₹ 43,68,53.83 लाख की एक मुश्त बजटीय अनुदान को रखे जाने से लेखापरीक्षा को लघु-शीर्ष वार तुलना करने से वंचित रखा। तथापि, मुख्य-शीर्ष 2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अधीन उप-शीर्ष 2190-वित्त सचिव के प्रति लघु-शीर्ष 101-सेवानिवृत्ति तथा अन्य सेवानिवृत्ति भत्ते के अंतर्गत हुआ कुल व्यय ₹ 64,79,00.68 लाख था। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-	
क्र. संख्या	विवरण	राशि (₹ लाख में)
1.	101-सेवानिवृत्ति की आयु तथा सेवानिवृत्ति भत्ते	47,17,44.06
2.	102-पेंशन का परिवर्तित मूल्य	6,12,03.01
3.	104-ग्रेज्यूटी	8,94,97.44
4.	105-पारिवारिक पेंशन	2,47,82.74
5.	111-विधायको को पेंशन	6,73.43
9.	लघु-शीर्ष 001 -निदेशन तथा प्रशासन तथा मुख्य-शीर्ष 2030, स्टांप एवं पंजीकरण के अधीनस्थ 0344 - राज्य स्टांप विभाग योजना के अंतर्गत ₹ 18,51.75 लाख की एकमुश्त राशि का प्रावधान आयुक्त वाणिज्यिक कर (नियंत्रण अधिकारी) के निपटान हेतु रखा गया, जब न्यायिक, हुंडी, न्यायिकेतर, स्टांप की लागत, विशेष एडहसिव, नोटरी शुल्क तथा न्यायालय शुल्क जैसी योजनाओं पर अनुदान हेतु मांग में ध्यान न दिए जाने के कारण ₹ 6,52.36 लाख का व्यय हुआ। इसलिए उप-शीर्ष वार अधिक/ बचत की तुलना करने हेतु लेखापरीक्षा से वंचित हो गए। मुख्य शीर्ष 2030 के स्टांप तथा शुल्क के अंतर्गत ₹ 25,73.30 लाख का व्यय हुआ परिणामस्वरूप ₹ 7,21.55 लाख अधिक रहे।	
10.	राजस्व प्रभारित खंड में ₹ 9,40,68.00 लाख का अनुपूरक अनुदान ₹ 4,56,77.95 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ, ₹ 4,56,77.95 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी ₹ 4,93,91.10 लाख की बचत हुई थी।	

अनुदान संख्या 8 (जारी)

11.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
2049	ब्याज भुगतान				
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज				
101	बाजार ऋण पर ब्याज				ब्याज घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
0191	बाजार ऋण पर ब्याज				
	मूल	22,94,01.00			
	अनुपूरक	25,69.00	23,19,70.00	22,63,72.11	(-)55,97.89
05	राजस्व निधियों पर ब्याज				
105	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज				ब्याज घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
0185	अन्य देयताओं पर ब्याज				
	मूल	1,15,00.00			
	अनुपूरक	2,00,00.00	3,15,00.00	49,98.71	(-)2,65,01.29
12.	प्रभारित खंड में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के संबंध में संपूर्ण विनियोग पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
2049	ब्याज भुगतान				
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज				
101	बाजार ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0184	बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज			20,00.00	
04	केंद्र सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज				
101	राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0723	केंद्र सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज			81,80.00	
104	गैर- योजना स्कीमों के लिए ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0171	लघु बचतों का हिस्सा			3,70,11.00	
60	अन्य देयताओं पर ब्याज				
701	विविध				
0099	सामान्य				
2120	पावर बॉण्ड्स			89.00	
2140	पावर बॉण्ड्स (यू डी ए वाई)			2,84,12.00	

अनुदान संख्या 8 (जारी)

13.	मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज भुगतान के अधीनस्थ उप-शीर्ष 0163 अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज के अंतर्गत ₹ 2,60.73 लाख (प्रभारित) विनियोग एक मुश्त राशि के प्रति व्यय निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं, जिन पर अनुदानों के लिए अनुमोदित मांग के अंतर्गत ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया गया।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
2049	ब्याज भुगतान		
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
115	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
9899	आर बी आई से साधारण अर्थोपाय अग्रिम	12,15.74	
9901	ओवरड्राफ्ट	15.39	
123	राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रत्याभूतियों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर ब्याज	3,75,69.82	
200	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
0186	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई)	85,49.25	
0302	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	17,04.00	
2120	पावर बॉण्ड्स पर ब्याज	22.68	
2121	जीवन बीमा योजना (एल आई सी)	1,24,43.47	
2694	उदय बॉण्ड्स पर ब्याज	2,84,12.20	
3002	ओरिएंटल इंशोरेंस कंपनी पर ब्याज	18.57	
3003	यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी पर ब्याज	6.56	
3005	प्लवनशीलता प्रभार	99.89	
3007	विद्युत वित्त निगम	35,26.03	
305	ऋण प्रबंधन		
0099	सामान्य		
3004	ऋण प्रबंधन पर ब्याज	6,34.74	

अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)	
14.	प्रभारित क्षेत्र में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]	
2049	ब्याज भुगतान	
04	केंद्र सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज	
101	राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	
0099	सामान्य	
1871	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता	28,38.28
109	12 वें वित्त आयोग की समेकित सिफारिशों के संबंध में राज्य योजना ऋणों पर ब्याज	
0099	सामान्य	
1920	अन्य समेकित ऋण	53,41.96
60	अन्य देयताओं पर ब्याज	
701	विविध	
0099	सामान्य	
0185	अन्य देयताओं पर ब्याज	1,97,47.19
15.	राज्य भविष्य निधि तथा राज्य बीमा निधि के विस्तृत लेखे राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। राज्य भविष्य निधि तथा बीमा निधि पर ब्याज ₹ 16,16,86.88 लाख और ₹ 56,64.57 लाख के स्तर तक क्रमशः मूल बी ई के प्रति ₹ 19,53,28.00 लाख (मूल ₹ 12,41,98.00 लाख तथा अनुपूरक ₹ 7,11,30.00 लाख) तथा ₹ 59,83.00 लाख क्रमशः तदर्थ आधार पर राज्य सरकार द्वारा लेखाओं में समायोजित किए गए हैं।	

पूँजीगत खंड

16.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 25,95,06.00 लाख का मूल प्रावधान ₹ 25,69,83.08 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 25,69,83.08 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी ₹ 30,25,13.58 लाख की बचत हुई थी।				
17.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय				
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0011	सामान्य				
2341	एन एफ बी वित्त				
	मूल	40,00.00			
	अनुपूरक	..	40,00.00	19,22.92	(-)20,77.08

अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
5475	अन्य सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0011	सामान्य				
2218	राज्य वित्तीय निगम				
	मूल	10,00.00			
	अनुपूरक	..	10,00.00	5,00.00	(-)5,00.00
18.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग			अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थानों में निवेश				
01	<i>सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश</i>				
190	सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश				
0099	सामान्य				
0318	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों/ बैंकों आदि में निवेश		20,40,06.00		
6235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए ऋण				
02	<i>समाज कल्याण</i>				
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के लिए ऋण				
0099	सामान्य				
0668	वित्त सचिव		5,00.00		
6885	उद्योगों तथा खनिजों को अन्य ऋण				
01	<i>औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण</i>				
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के लिए ऋण				
0099	सामान्य				
1211	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को सहायता		5,00,00.00		

अनुदान संख्या 8 (जारी)

19.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
5475	अन्य सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
115	अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता				
0011	सामान्य				
1880	अवसंरचनात्मक विकास				1,00.00
20.	पूंजीगत प्रभारित क्षेत्र में ₹ 1,79,76,69.00 लाख का मूल अनुदान ₹ 26,69,91.81 लाख की अंतिम बचत में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, जिसे नियमित किए जाने की आवश्यकता है।				
21.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रभारित क्षेत्र में बजट से निरंतर आधिक्य निम्नानुसार है:-				
	वर्ष	कुल अनुदान /विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	
	(₹ लाख में)				
	2013-2014	12,30,82.00	41,46,90.96	(+)29,16,08.96	
	2014-2015	83,62,18.00	85,48,50.06	(+)1,86,32.06	
	2015-2016	85,89,26.00	1,08,15,08.14	(+)22,25,82.14	
	2016-2017	1,53,64,37.00	1,70,23,29.20	(+)16,58,92.20	
	2017-2018	1,78,37,94.80	2,24,90,14.43	(+)46,52,19.63	
22.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण				
103	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण				आंतरिक ऋण के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय
0099	सामान्य				
0167	एल आई सी से ऋण				
	मूल	1,25,37.00			
	अनुपूरक	..	1,25,37.00	1,46,15.84	(+)20,78.84
110	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम				अर्थोपाय अग्रिम के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय
0099	सामान्य				
2420	अर्थोपाय अग्रिम				
	मूल	1,52,50,00.00			
	अनुपूरक	..	1,52,50,00.00	1,74,19,80.00	(+)21,69,80.00

अनुदान संख्या 8 (जारी)

23.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः प्रभारित विनियोग बचत हुई, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण				
105	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण				ऋण के संबंध में बी ई के प्रति कम
0099	सामान्य				
0186	नाबार्ड से ऋण				
	मूल	3,63,57.00			
	अनुपूरक	..	3,63,57.00	2,51,95.89	
109	अन्य संस्थानों से ऋण				
0099	सामान्य				
0302	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. से ऋण				
	मूल	27,60.00			
	अनुपूरक	..	27,60.00	26,73.28	
24.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)				
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण				
109	अन्य संस्थानों से ऋण				
0099	सामान्य				
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि				
	3,32,85.00				
6004	केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम				
02	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए ऋण				
101	ब्लॉक ऋण				
0099	सामान्य				
0848	ई ए पी ऋण				
	1,16,42.00				

अनुदान संख्या 8 (समाप्त)

25.	निम्नलिखित शीर्षो/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण		
104	जनरल इंशोरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ऋण		
0099	सामान्य		
0300	जनरल इंशोरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा इसकी सहायक से ऋण	37.88	
109	अन्य संस्थानों से ऋण		
0099	सामान्य		
0303	यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी से ऋण	16.00	
110	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम		
0099	सामान्य		
9901	ओवरड्राफ्ट	5,90,47.36	
111	केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रत्याभूति		
0099	सामान्य		
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	3,32,84.55	
6004	केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम		
02	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए ऋण		
105	1979-2004 12वें वित्त आयोग की समेकित सिफारिशों के संबंध में राज्य योजना ऋण		
0099	सामान्य		
1920	अन्य समेकित ऋण	89,03.26	
09	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के साथ विधानसभा की योजनाओं के लिए ऋण		
101	ब्लॉक ऋण		
0099	सामान्य		
0848	ई ए पी ऋण	28,18.45	

अनुदान संख्या 9 - संसदीय मामले विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2011 राज्य विधानमंडल

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल	56,10,40		54,84,35	(-)6,52,09
		61,36,44		
अनुपूरक	5,26,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..
प्रभारित				
मूल	1,65,70		1,13,72	(-)51,98
		1,65,70		
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

7610 सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण

दत्तमत				
मूल	1,50,00		1,17,00	(-)59,70
		1,76,70		
अनुपूरक	26,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..
टीकाएं तथा टिप्पणियां				
राजस्व खंड				
1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 5,26.04 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 56,10.40 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 6,52.09 लाख की अंतिम बचत हुई थी। ₹ 6,52.09 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	पिछले चार वर्षों के दौरान भी अनुदान में निरंतर बचत हुई।			
	वर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
	(₹ लाख में)			
	2014-2015	38,31.62	31,52.87	(-)6,78.75
	2015-2016	43,11.66	40,04.13	(-)3,07.53
	2016-2017	49,25.78	44,98.15	(-)4,27.63
	2017-2018	57,48.37	51,52.64	(-)5,95.73

अनुदान संख्या 9 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2011	राज्य विधानमंडल				टीई घटक के अंतर्गत गलत बजट अनुमान तथा वेतन घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय	
02	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल					
101	विधानसभा					
0099	सामान्य					
0890	विधानसभा					
	मूल	14,84.50				
	अनुपूरक	..	14,84.50	12,08.17		(-)2,76.33
102	विधान परिषद्					
0099	सामान्य					
0892	विधान परिषद्					
	मूल	7,26.40				
	अनुपूरक	63.60	7,90.00	7,12.18	(-)77.82	
103	विधायी सचिवालय				वेतन तथा मानदेय के संबंध में क्रमशः ₹ 118.48 लाख और 5.46 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ	
0099	सामान्य					
0891	जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा सचिवालय					
	मूल	25,46.50				
	अनुपूरक	1,46.44	26,92.94	25,34.01	(-)1,58.93	
0892	विधान परिषद्				वेतन घटक के संबंध ₹ 2,90.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ	
	मूल	8,53.00				
	अनुपूरक	3,16.00	11,69.00	10,30.90		1,38.10
4.	राजस्व प्रभारित खंड में ₹ 1,65.70 लाख का मूल अनुदान ₹ 51.98 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 51.98 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
5.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान भी अनुदान में निरंतर बचत हुई।					
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)		
		(₹ लाख में)				
	2013-2014	92.70	78.47	(-)14.23		
	2014-2015	1,08.70	85.18	(-)23.52		
	2015-2016	1,02.70	34.77	(-)67.93		
	2016-2017	1,40.50	1,05.71	(-)34.79		
	2017-2018	1,65.70	43.25	(-)1,22.45		

अनुदान संख्या 9 (समाप्त)

6.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत प्रभारित खंड में अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2011	राज्य विधानमंडल				टी ई घटक के अंतर्गत ₹ 40.00 लाख के बी ई के प्रति केवल ₹ 23.30 लाख का व्यय हुआ
02	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के विधानमंडल				
101	विधानसभा				
0099	सामान्य				
0890	विधानसभा				
	मूल	84.60			
	अनुपूरक	..	84.60	68.33	(-)16.27
102	विधान परिषद्				वेतन घटक के अंतर्गत ₹ 48.10 लाख के बी ई के प्रति केवल ₹ 30.40 लाख का व्यय हुआ
0099	सामान्य				
0892	विधान परिषद्				
	मूल	81.10			
	अनुपूरक	..	81.10	45.38	(-)35.72

पूँजीगत खंड

7.	पूँजीगत खंड में ₹ 26.70 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 1,50.00 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका परिणामस्वरूप ₹ 59.70 लाख की अंतिम बचत हुई, ₹ 59.70 लाख का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी अनुदान में बचत हुई थी।				
----	---	--	--	--	--

8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
7610	सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण				मूल बी ई के प्रति कम व्यय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 26.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।
201	गृह निर्माण अग्रिम				
0099	सामान्य				
2335	एम एल ए/ एम एल सी को गृह निर्माण अग्रिम				
	मूल	1,50.00			
	अनुपूरक	26.70	1,76.70	1,17.00	

अनुदान संख्या 10 - विधि विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2015 निर्वाचन

2030 स्टांप तथा पंजीकरण

2041 वाहनों पर कर

2070 अन्य प्रशासनिक सुधार

2230 श्रम तथा रोजगार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल	2,96,52,89		5,01,68,63	(-)85,99,58
		5,87,68,21		
अनुपूरक	2,91,15,32			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..
प्रभारित				
मूल	38,16,00		46,65,05	(-)2,72,95
		49,38,00		
अनुपूरक	11,22,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूंजीगत

4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	91,27,00		38,23,92	(-)53,03,08
		91,27,00		
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 2,91,15.32 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 85,99.58 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 85,99.58 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान भी ₹ 1,54,33.05 लाख की अनुदान में बचत हुई थी।
----	---

अनुदान संख्या 10 (जारी)

2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2014	न्याय प्रशासन				
102	उच्च न्यायालय				मुख्यतः विद्युत प्रभारों, वजीफा तथा छात्रवृत्ति तथा एम एंड आर के संबंध में बी ई से अधिक व्यय। पट्टा प्रभारों के संबंध में बी ई के प्रति शून्य व्यय।
0099	सामान्य				
0495	उच्च न्यायालय				
	मूल	13,32.75			
	अनुपूरक	2,78.18	16,10.93	8,89.32	(-7,21.61)
103	विशेष अदालतें				वेतन घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।
0099	सामान्य				
2351	सी बी आई के लिए विशेष न्यायालय				
	मूल	1,94.90			
	अनुपूरक	..	1,94.90	96.49	(-98.41)
105	सिविल तथा सत्र अदालतें				वेतन तथा प्रकाशन के संबंध में बी ई से कम व्यय।
0099	सामान्य				
0488	जिला एवं सत्र न्यायाधीश				
	मूल	1,85,07.25			
	अनुपूरक	5,36.00	1,90,43.25	1,59,70.64	(-30,72.61)
1243	टाडा न्यायालय अस्थाई अदालतें				टेलीफोन, ओ ई तथा लेखन-सामग्री के संबंध में बी ई के प्रति शून्य व्यय।
	मूल	76.80			
	अनुपूरक	..	76.80	26.91	
114	कानूनी सलाहकार तथा परामर्श				वेतन तथा कार्यालय उपकरण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0499	महाधिवक्ता				
	मूल	11,04.21			
	अनुपूरक	7.71	11,11.92	9,87.32	(-1,24.60)
1248	लोक अभियोजक				वेतन तथा जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
	मूल	4,57.50			
	अनुपूरक	1,24.00	5,81.50	4,27.66	
2427	राज्य तथा जिला मुकदमेबाजी नीति				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
	मूल	11,51.55			
	अनुपूरक	4.86	11,56.41	6,07.20	

अनुदान संख्या 10 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2014	न्याय-प्रशासन				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
114	कानूनी सलाहकार तथा परामर्श				
0099	सामान्य				
2483	विधि आयोग				
	मूल	1,61.00			
	अनुपूरक	..	1,61.00	12.00	(-)1,49.00
116	राज्य प्रशासनिक अधिकरण				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0511	मानव अधिकार आयोग				
	मूल	6,64.00			
	अनुपूरक	2,24.30	8,88.30	8,33.56	
2015	निर्वाचन				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
102	निर्वाचन अधिकारी				
0099	सामान्य				
0493	मुख्य निर्वाचन अधिकारी				
	मूल	39,04.51			
	अनुपूरक	2,75,57.72	3,14,62.23	2,79,13.77	(-)35,48.46
2030	स्टांप तथा पंजीकरण				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
03	पंजीकरण				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन तथा प्रशासन				
	मूल	1,13.00			
	अनुपूरक	..	1,13.00	94.32	
3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2014	न्याय- प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
103	विशेष अदालते				
0099	सामान्य				
0889	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण				
	मूल	8,61.45			
	अनुपूरक	3,74.55	12,36.00	12,40.01	(+)4.01

अनुदान संख्या 10 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
104	सतर्कता				वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
0495	उच्च न्यायालय				
	मूल	66.95			
	अनुपूरक	..	66.95	77.64	
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
2108	सचिव जवाबदेही आयोग				
	मूल	4,20.50			
	अनुपूरक	..	4,20.50	4,72.00	
2230	श्रम तथा रोजगार				
01	<i>श्रमिक</i>				
101	औद्योगिक संबंध				वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
0888	औद्योगिक अधिकरण न्यायालय/ श्रम न्यायालय				
	मूल	81.25			
	अनुपूरक	..	81.25	94.09	
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
2014	न्याय-प्रशासन				
105	सिविल एवं सत्र अदालतें				4,07.00
0099	सामान्य				
2459	देही अदालत				
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
2014	न्याय प्रशासन				
105	सिविल एवं सत्र अदालतें				1,73.12
0099	सामान्य				
0489	मुंसिफ अदालतें				
0500	उप- न्यायाधीश अदालतें				
				1,08.54	

अनुदान संख्या 10 (समाप्त)

6.	राजस्व प्रभारित खंड में ₹ 11,22.00 लाख का अनुपूरक अनुदान ₹ 2,72.95 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 2,72.95 लाख का अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी ₹ 4,06.09 लाख की बचत हुई थी।					
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2014	न्याय प्रशासन					
102	उच्च न्यायालय				वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।	
0099	सामान्य					
0495	उच्च न्यायालय					
	मूल	38,16.00				
	अनुपूरक	11,20.00	49,36.00	46,63.06		(-)2,72.94
पूँजीगत खंड						
8.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 91,27.00 लाख का मूल प्रावधान ₹ 53,03.08 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 53,03.08 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी ₹ 81,30.20 लाख की बचत हुई थी।					
9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन					
800	अन्य व्यय				निर्माण घटक के संबंध में बी ई से कम व्यय।	
0011	सामान्य					
0495	जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय					
	मूल	40,62.00				
	अनुपूरक	..	40,62.00	21,41.59		(-)19,20.41
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0495	जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय					
	मूल	50,65.00				
	अनुपूरक	..	50,65.00	16,82.33		(-)33,82.67

अनुदान संख्या 11 - उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

2853 गैर-लौह खनन उद्योग और धातुकर्म उद्योग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत(-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	3,19,92,19	3,13,68,86	(-)32,39,28
		3,46,08,14	
अनुपूरक	26,15,95		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4851 ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय

4852 लौह तथा इस्पात उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय

4853 गैर-लौह खनन उद्योग और धातुकर्म उद्योग पूंजीगत परिव्यय

6885 उद्योगों तथा खनिजों को अन्य ऋण

दत्तमत			
मूल	2,43,63,05	1,52,34,40	(-)91,28,65
		2,43,63,05	
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 26,15.95 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 3,19,92.19 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 32,39.28 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 32,39.28 लाख का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान भी अनुदान में हुई निरंतर बचत का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:			
	वर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
	(₹ लाख में)			
	2013-2014	2,37,74.88	1,95,57.70	(-)42,17.18
	2014-2015	2,71,60.65	1,82,56.41	(-)89,04.24
	2015-2016	2,91,05.55	2,37,14.12	(-)53,91.43
	2016-2017	3,05,68.64	2,19,03.91	(-)86,64.73
	2017-2018	3,09,65.11	2,41,49.20	(-)68,15.91

अनुदान संख्या 11 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग				
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय तथा विद्युत प्रभारों के संबंध में शून्य व्यय।
0099	सामान्य				
0812	दिशा कार्यालय उद्योग				
	मूल	2,79.16			
	अनुपूरक	93.93	3,73.09	3,32.85	(-)40.24
2202	निदेशक, उद्योग जम्मू				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
	मूल	2,87.65			
	अनुपूरक	1,18.95	4,06.60	3,53.05	
003	प्रशिक्षण				जी आई ए घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
2196	जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन				
	मूल	10,00.00			
	अनुपूरक	2,00.00	12,00.00	7,00.00	(-)5,00.00
004	अनुसंधान तथा विकास				विज्ञापन तथा प्रचार के संबंध में बी ई के प्रति शून्य व्यय।
0099	सामान्य				
2486	व्यवसाय सुधार कार्रवाई योजना				
	मूल	35.00			
	अनुपूरक	..	35.00	18.75	(-)16.25
101	औद्योगिक संपदा				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0808	औद्योगिक संपदा गांधीनगर				
	मूल	55.06			
	अनुपूरक	17.39	72.45	65.73	(-)6.72
0810	औद्योगिक संपदा, अनंतनाग				
	मूल	18.08			
	अनुपूरक	5.00	23.08	12.97	
0811	औद्योगिक संपदा, बारजुला श्रीनगर				
	मूल	38.08			
	अनुपूरक	8.00	46.08	36.66	
1590	औद्योगिक संपदा ग्रामीण तथा शहरी कश्मीर				
	मूल	65.29			
	अनुपूरक	..	65.29	34.17	

अनुदान संख्या 11 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग					
101	औद्योगिक संपदा				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
2188	औद्योगिक संपदा ग्रामीण शहरी जम्मू					
	मूल	46.87				
	अनुपूरक	11.63	58.50	51.31	(-)7.19	
102	लघु स्तर उद्योग				वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0407	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग, सी एस टी/ जी एस टी					
	मूल	84.85				
	अनुपूरक	7.73	92.58	68.16	(-)24.42	
0408	डी आई सी योजनाएं कश्मीर				वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	20,24.90				
	अनुपूरक	8,39.81	28,64.71	21,75.01		(-)6,89.70
0796	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र					
	मूल	2,04.06			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	अनुपूरक	33.69	2,37.75	1,84.12		(-)53.63
0798	फुटवियर तथा लैडर वस्तु प्रदर्शन कश्मीर					
	मूल	82.75				
	अनुपूरक	11.20	93.95	65.99	(-)27.96	
0806	केंद्रीय बाजार, जम्मू				वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	25.34				
	अनुपूरक	7.28	32.62	26.00		(-)6.62
0807	निर्माण-सह-उत्पादन केंद्र कठुआ					
	मूल	39.02			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	अनुपूरक	3.68	42.70	33.81		(-)8.89
0809	ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम					
	मूल	2,10.15				
	अनुपूरक	46.75	2,56.90	1,95.43	(-)61.47	
1907	बुनाई प्रशिक्षण केंद्र				वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	1,27.23				
	अनुपूरक	30.07	1,57.30	1,26.45		(-)30.85

अनुदान संख्या 11 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग					
102	लघु स्तर उद्योग				वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
2270	बुनाई प्रशिक्षण, केंद्र जम्मू					
	मूल	2,42.37				
	अनुपूरक	30.27	2,72.64	2,01.54		(-)71.10
2271	डी आई सी योजनाए जम्मू					
	मूल	15,76.66				
	अनुपूरक	2,01.73	17,78.39	17,22.84		(-)55.55
103	हथकरघा उद्योग				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निदेशन तथा प्रशासन					
	मूल	25,50.94				
	अनुपूरक	2,53.64	28,04.58	25,78.90		(-)2,25.68
0814	यू एन डी पी परियोजना नौशेरा श्रीनगर					
	मूल	2,93.77				
	अनुपूरक	3.50	2,97.27	2,56.61	(-)40.66	
104	हस्तशिल्प उद्योग					
0099	सामान्य					
0805	निदेशन तथा प्रशासन, हस्तशिल्प तथा अधीनस्थ कार्यालय					
	मूल	1,48,45.76				
	अनुपूरक	6,91.70	1,55,37.46	1,38,49.19	(-)16,88.27	
2853	गैर-लौह खनन उद्योग और धातुकर्म उद्योग					
02	खनन का विनियमन तथा विकास					
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निदेशन तथा प्रशासन					
	मूल	57,13.86				
	अनुपूरक	..	57,13.86	54,84.17	(-)2,29.69	

अनुदान संख्या 11 (जारी)

4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग				
105	खादी तथा ग्रामोद्योग				जी आई ए के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
0802	सहायता अनुदान/ अंशदान तथा सहायिकियां				
	मूल	18,80.00			
	अनुपूरक	..	18,80.00	23,00.00	(+)4,20.00
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग				अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2055	पुलिस				
117	आंतरिक सुरक्षा				
0099	सामान्य				
0957	आंतरिक सुरक्षा			2,60.24	
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
1588	औद्योगिक प्रदर्शनी श्रीनगर			5.10	
6.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
2196	ई डी आई			5,00.00	

पूँजीगत खंड

7.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 2,43,63.05 लाख का मूल प्रावधान ₹ 91,28.65 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 91,28.65 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी ₹ 29,23.30 लाख की बचत हुई थी।				
----	--	--	--	--	--

अनुदान संख्या 11 (जारी)

8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय					
102	लघु स्तरीय उद्योग				विस्तृत शीर्ष 115-निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य					
0407	सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग					
	मूल	1,00,08.56				
	अनुपूरक	..	1,00,08.56	41,94.69		(-)58,13.87
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
2196	ई डी आई					
	मूल	15,00.00				
	अनुपूरक	..	15,00.00	14,72.50		(-)27.50
9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य रहा, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय					
103	हथकरघा उद्योग				विभिन्न विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत हुआ व्यय डी एफ जी में प्रदर्शित नहीं।	
0011	सामान्य					
0367	हथकरघा उद्योग					
	मूल	2,41.25				
	अनुपूरक	..	2,41.25	2,77.88	(+)36.63	
0399	हथकरघा विकास निगम				विस्तृत शीर्ष 115-निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	3,62.50				
	अनुपूरक	..	3,62.50	9,37.66		(+)5,75.16
104	हस्तशिल्प उद्योग				सहायिकी के विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत हुआ व्यय डी एफ जी में प्रदर्शित नहीं।	
0011	सामान्य					
0363	हस्तशिल्प उद्योग					
	मूल	6,95.03				
	अनुपूरक	..	6,95.03	8,18.55	(+)1,23.52	
0383	हस्तशिल्प निगम उद्योग				विस्तृत शीर्ष 115-निर्माण के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।	
	मूल	1,70.00				
	अनुपूरक	..	1,70.00	5,27.50		(+)3,57.50

अनुदान संख्या 11 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
105	खादी तथा ग्रामोद्योग				विस्तृत शीर्ष 115-निर्माण के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
0011	सामान्य				
0365	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता				
	मूल	59.15			
	अनुपूरक	..	59.15	17,99.15	
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2346	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग				
	मूल	1,87.50			
	अनुपूरक	..	1,87.50	7,00.00	
				(+)17,40.00	
				(+)5,12.50	
6885	उद्योगों तथा खनिजों को अन्य ऋण				
01	औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण				
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण				शून्य बी ई के प्रति ₹ 12,05.94 लाख का व्यय प्रदर्शित।
0099	सामान्य				
1211	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को सहायता				
	मूल	32,00.00			
	अनुपूरक	..	32,00.00	37,98.15	(+)5,98.15
10.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ		
			(₹ लाख में)		
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
102	लघु स्तरीय उद्योग				
0011	सामान्य				
0796	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र			2,00.00	
0798	फुटवियर तथा लैदर केंद्र			2,00.00	
1880	अवसंरचना विकास			1,32.62	
2469	एम आई आई यू एस			2,00.00	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0798	फुटवियर तथा लैदर वस्तुएं			2,00.00	
1880	अवसंरचना विकास			4,30.44	
2469	एम आई आई यू एस			5,69.00	
104	हस्तशिल्प उद्योग				
0011	सामान्य				
0397	अन्य व्यय			55,00.00	

अनुदान संख्या 11 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
4852	लौह तथा स्टील उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
02	विनिर्माण			
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
0011	सामान्य			
0711	सिडको		1,20.00	
1224	सिकोप		1,37.00	
4853	गैर-लौह खनन उद्योग और धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय			
01	खनिज खोज और विकास			
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
0011	सामान्य			
0377	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड		1,00.00	
11.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	वास्तविक व्यय			अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
102	लघु स्तरीय उद्योग			
0011	सामान्य			
0408	डी आई सी योजना कश्मीर		3,20.67	
2271	डी आई सी योजना जम्मू		9.15	
4852	लौह तथा स्टील उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
02	विनिर्माण			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
0711	सिडको		70.00	
1224	सिकोप		1,37.00	
4853	गैर-लौह खनन उद्योग और धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय			
01	खनिज खोज और विकास			
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
0099	सामान्य			
0977	भू-विज्ञान और खनन		20.00	

अनुदान संख्या 12 - कृषि विभाग

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2029 भू-राजस्व

2250 अन्य सामाजिक सेवाएं

2401 फसल पैदावार

2402 मृदा तथा जल संरक्षण

2403 पशुपालन

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

2435 अन्य कृषि कार्यक्रम

2705 कमान क्षेत्र विकास

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	9,48,55,37	11,31,11,28	(-)4,41,82,93
		15,72,94,21	
अनुपूरक	6,24,38,84		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4401 फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय

4402 मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय

4406 वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

4415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल	8,91,56,79	1,52,71,29	(-)7,38,85,50
		8,91,56,79	
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 6,24,38.84 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 4,41,82.93 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 4,41,82.93 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
----	---

अनुदान संख्या 12 (जारी)

राजस्व खंड

2.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान में रही निरंतर बचत भी निम्नानुसार है:					
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)		
	(₹ लाख में)					
	2013-2014	7,57,73.66	6,67,07.21	(-)90,66.45		
	2014-2015	8,18,80.27	6,58,02.39	(-)1,60,77.88		
	2015-2016	9,33,21.43	8,54,56.19	(-)78,65.24		
	2016-2017	10,09,94.50	9,34,31.80	(-)75,62.70		
	2017-2018	11,08,83.26	9,42,28.90	(-)1,66,54.36		
3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2401	फसल पैदावार					
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0039	निदेशक कृषि (जम्मू)					
	मूल	97,52.60				
	अनुपूरक	50,81.14	1,48,33.74	1,40,18.22		(-)8,15.52
0043	कृषि निदेशक कश्मीर				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	78,86.00				
	अनुपूरक	51,27.19	1,30,13.19	1,02,00.44		(-)28,12.75
103	बीज					
0099	सामान्य					
0019	बीज गुणन फार्म (कश्मीर)				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	2,78.00				
	अनुपूरक	4,74.35	7,52.35	2,61.79		(-)4,90.56
0061	कृषि निदेशक (कश्मीर)					
	मूल	46.00				
	अनुपूरक	3.00	49.00	31.32	(-)17.68	
2180	मौजूदा फार्मों का सुधार				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	3,66.78				
	अनुपूरक	1,43.98	5,10.76	3,05.68		(-)2,05.08
104	कृषि फार्म					
0099	सामान्य					
0083	कृषि फार्म (जम्मू)				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	8,62.85				
	अनुपूरक	3,37.37	12,00.22	8,07.05		(-)3,93.17

अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
2401	फसल पैदावार			
104	कृषि फार्म			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0102	कृषि फार्म (कश्मीर)			
	मूल	3,56.30		
	अनुपूरक	2,50.75	6,07.05	
			4,05.74	
			(-),2,01.31	
105	खाद तथा उर्वरक			
0099	सामान्य			
0045	स्थानीय खाद संबंधी संसाधनों का विकास (कश्मीर)			
	मूल	2,09.00		
	अनुपूरक	..	2,09.00	
			1,21.64	
			(-),87.36	
0232	जिला कृषि (जम्मू)			
	मूल	50.00		
	अनुपूरक	..	50.00	
			37.50	
			(-),12.50	
1430	स्थानीय खाद संबंधी संसाधनों का विकास (जम्मू)			
	मूल	2,69.47		
	अनुपूरक	99.07	3,68.54	
			2,73.37	
			(-),95.17	
107	पौध संरक्षण			
0099	सामान्य			
0458	पौध संरक्षण सेवा (कश्मीर)			
	मूल	29,27.00		
	अनुपूरक	2,87.32	32,14.32	
			31,93.82	
			(-),20.50	
0995	पौध संरक्षण सेवा (जम्मू)			
	मूल	5,19.41		
	अनुपूरक	2,30.23	7,49.64	
			4,94.78	
			(-),2,54.86	
108	वाणिज्यिक फसले			
0099	सामान्य			
0080	आलू विकास योजनाएं (जम्मू)			
	मूल	3,03.21		
	अनुपूरक	91.75	3,94.96	
			2,84.86	
			(-),1,10.10	
0082	आलू विकास योजनाएं (कश्मीर)			
	मूल	5,88.00		
	अनुपूरक	3,69.00	9,57.00	
			5,38.38	
			(-),4,18.62	

अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
2401	फसल पैदावार					
109	विस्तार तथा कृषक प्रशिक्षण			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
0099	सामान्य					
1435	प्रशिक्षण तथा दौरें					
	मूल	64,04.00				
	अनुपूरक	9,82.82	73,86.82	56,70.95	(-)17,15.87	
2191	कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
	मूल	3,53.00				
	अनुपूरक	3,06.56	6,59.56		2,92.40	(-)3,67.16
111	कृषि संबंधी अर्थशास्त्र और दलहन का सांख्यिकी विकास					
0099	सामान्य			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
0058	कृषि निदेशन कार्यालय (कश्मीर) में योजना प्रकोष्ठ					
	मूल	48.00				
	अनुपूरक	1,21.81	1,69.81		17.04	(-)1,52.77
0422	निदेशन कार्यालय (जम्मू)			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
	मूल	21.27				
	अनुपूरक	22.46	43.73		30.14	(-)13.59
113	कृषि अभियांत्रिकी					
0099	सामान्य			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
0054	बेहतर कृषि उपकरण					
	मूल	5,70.00				
	अनुपूरक	2,68.31	8,38.31		5,11.41	(-)3,26.90
0356	बेहतर कृषि उपकरण (जम्मू)			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
	मूल	1,75.30				
	अनुपूरक	58.97	2,34.27		1,41.10	(-)93.17
119	बागवानी तथा सब्जी फसले					
0099	सामान्य			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
0048	सब्जियों का विकास (कश्मीर डिवीजन)					
	मूल	80,28.00				
	अनुपूरक	..	80,28.00		60,79.28	(-)19,48.72
0050	सब्जियों का विकास (जम्मू डिवीजन)			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
	मूल	25,57.09				
	अनुपूरक	14,40.74	39,97.83		35,34.80	(-)4,63.03

अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
2401	फसल पैदावार					
119	बागवानी तथा सब्जी फसले			विभिन्न विस्तृत शीर्षों के संबंध में बी ई के प्रति शून्य व्यय।		
0099	सामान्य					
1485	एन ए ई पी					
	मूल	90.01				
	अनुपूरक	53.28	1,43.29		99.36	(-)43.93
2325	किसानों के विकास के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य सलाहकार बोर्ड					
	मूल	1,36.91				
	अनुपूरक	30.68	1,67.59	1,27.76	(-)39.83	
800	अन्य व्यय			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0013	मृदा जांच प्रयोगशाला					
	मूल	2,07.51				
	अनुपूरक	75.14	2,82.65	2,27.14	(-)55.51	
2402	मृदा तथा जल संरक्षण					
101	मृदा सर्वेक्षण तथा जांच			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0016	मृदा सर्वेक्षण कश्मीर					
	मूल	12,10.00				
	अनुपूरक	1,14.00	13,24.00	12,71.44	(-)52.56	
1489	मृदा सर्वेक्षण तथा जांच प्रयोगशाला जम्मू			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
	मूल	2,77.01				
	अनुपूरक	1,26.34	4,03.35		3,57.12	(-)46.23
102	मृदा संरक्षण					
0099	सामान्य					
0010	मृदा संरक्षण योजनाएं (जम्मू डिवीजन)					
	मूल	11,76.23				
	अनुपूरक	2,73.80	14,50.03	13,09.83	(-)1,40.20	
103	भूमि सुधार और विकास					
0099	सामान्य					
0008	शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम					
	मूल	67.01				
	अनुपूरक	12.12	79.13	42.32	(-)36.81	

अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2403	पशुपालन				
107	चारा तथा फीड विकास			वेतन के अंतर्गत ₹ 49.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0002	चारा तथा फीड विकास (जम्मू डिवीजन)				
	मूल	1,36.70			
	अनुपूरक	51.98	1,88.68	1,62.38	(-)26.30
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन				
02	<i>पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1136	पुष्पकृषि निदेशालय कश्मीर				
	मूल	26,11.36			
	अनुपूरक	14,73.54	40,84.90	40,35.26	(-)49.64
2203	प्रांतीय तथा जिला कार्यालय जम्मू			वेतन के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	15,94.61			
	अनुपूरक	9,18.92	25,13.53		24,74.25
112	लोक उद्यान			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1130	लोक उद्यान, कश्मीर				
	मूल	19,51.00			
	अनुपूरक	9,44.79	28,95.79	26,79.16	(-)2,16.63
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा				
01	<i>फसल पैदावार</i>				
004	अनुसंधान			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0033	कृषि अनुसंधान इकाई (कश्मीर)				
	मूल	2,52.10			
	अनुपूरक	86.24	3,38.34		2,24.47
0123	कृषि अनुसंधान इकाई (जम्मू)				
	मूल	1,30.45			
	अनुपूरक	1,16.65	2,47.10	2,01.45	(-)45.65

अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा					
80	सामान्य					
120	अन्य संस्थानों को सहायता			सहायता अनुदान के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0040	एस के यू ए एस टी कश्मीर					
	मूल	1,80,00.00				
	अनुपूरक	2,95,60.00	4,75,60.00			
			2,28,60.00		(-)2,47,00.00	
0060	एस के यू ए एस टी जम्मू					
	मूल	85,00.00				
	अनुपूरक	1,17,00.00	2,02,00.00		1,01,00.00	(-)1,01,00.00
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम					
01	विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण					
102	ग्रेडिंग तथा गुणवत्ता सुविधाएं			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0623	विधि प्रवर्तन कश्मीर सहित बीज प्रमाणपत्र योजना					
	मूल	6,06.15				
	अनुपूरक	2,25.11	8,31.26		7,92.62	(-)38.64
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
0345	विधि प्रवर्तन जम्मू सहित बीज प्रमाणपत्र योजना					
	मूल	3,23.50				
	अनुपूरक	1,29.83	4,53.33		4,33.16	(-)20.17
2705	कमान क्षेत्र विकास					
602	कमान क्षेत्र कश्मीर			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0116	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (कश्मीर)					
	मूल	7,33.36				
	अनुपूरक	2,18.00	9,51.36	8,53.88	(-)97.48	
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग					
102	लघु स्तरीय उद्योग			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0053	मधुमक्खी पालन का विकास (जम्मू डिवीजन)					
	मूल	6,52.61				
	अनुपूरक	..	6,52.61	6,40.87	(-)11.74	

अनुदान संख्या 12 (जारी)

4.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2705	कमान क्षेत्र विकास				
603	कमान क्षेत्र जम्मू				वेतन के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य
0099	सामान्य				
0095	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (जम्मू)				
	मूल	24,61.16			
	अनुपूरक	2,52.79	27,13.95	27,65.68 (+)51.73	
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0050	सब्जियों का विकास (जम्मू डिवीजन)				
	मूल	2,52.60			
	अनुपूरक	..	2,52.60	3,14.32 (+)61.72	
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग				
004	अनुसंधान तथा विकास				वेतन के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य
0099	सामान्य				
0093	मशरूम पर अनुसंधान (जम्मू)				
	मूल	2,68.39			
	अनुपूरक	..	2,68.39	3,71.99 (+)1,03.60	
0104	मशरूम (कश्मीर)				
	मूल	5,98.80			
	अनुपूरक	..	5,98.80	6,88.70 (+)89.90	
102	लघु स्तरीय उद्योग				
0099	सामान्य				
0091	मधुमक्खी पालन का विकास (कश्मीर डिवीजन)				
	मूल	6,36.25			
	अनुपूरक	..	6,36.25	7,12.76 (+)76.51	
107	रेशम कीट पालन उद्योग				वेतन के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य
0099	सामान्य				
0336	अपर निदेशक रेशम कीट पालन (जम्मू)				
	मूल	31,25.10			
	अनुपूरक	..	31,25.10	38,95.21 (+)7,70.11	

अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग			
107	रेशम कीट पालन उद्योग			वेतन के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य
0099	सामान्य			
0416	निदेशक कीट पालन जम्मू एवं कश्मीर			
	मूल	49,38.51		
	अनुपूरक	..	49,38.51	
			59,19.85	(+)9,81.34
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2401	फसल पैदावार			
001	निदेशन तथा प्रशासन			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
0244	निदेशन तथा प्रशासन		32.50	
108	वाणिज्यिक फसले			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम)		5,18.62	
109	विस्तार तथा कृषक प्रशिक्षण			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
2191	कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण, कश्मीर		29.41	
119	बागवानी तथा सब्जी फसले			
0099	सामान्य			
1482	विभागीय उद्यानों तथा नर्सरी का अनुरक्षण		6.48	

पूँजीगत खंड

6.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 8,91,56.79 लाख का मूल प्रावधान ₹ 7,38,85.50 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹7,38,85.50 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
7.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर बचत का विवरण भी निम्नानुसार है:-			
वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)			
2013-2014	3,94,24.21	2,35,18.61	(-)1,59,05.60	
2014-2015	4,05,23.05	1,82,52.77	(-)2,22,70.28	
2015-2016	5,40,50.43	3,60,87.68	(-)1,79,62.75	
2016-2017	9,49,94.38	3,15,11.99	(-)6,34,82.39	
2017-2018	9,07,28.41	5,73,35.93	(-)3,33,92.48	

अनुदान संख्या 12 (जारी)

8.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय					
103	बीज				बीजों की खरीदी के विस्तृत शीर्षों के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0081	बीजों की खरीद (जम्मू)					
	मूल	22,50.00				
	अनुपूरक	..	22,50.00	13,11.45	(-)9,38.55	
0011	सामान्य				निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
2221	तेल बीज का विकास					
	मूल	39.00				
	अनुपूरक	..	39.00	0.45	(-)38.55	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
2221	तेल बीज का विकास					
	मूल	3,50.00				
	अनुपूरक	..	3,50.00	1,39.58	(-)2,10.42	
0099	सामान्य				बीजों की खरीदी के विस्तृत शीर्षों के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0327	बीजों की खरीद (कश्मीर)					
	मूल	13,03.00				
	अनुपूरक	..	13,03.00	6,48.99	(-)6,54.01	
800	अन्य व्यय				निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य					
0039	कृषि निदेशक (जम्मू)					
	मूल	21,01.00				
	अनुपूरक	..	21,01.00	9,93.15	(-)11,07.85	
0061	कृषि निदेशक (कश्मीर)				निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	21,01.00				
	अनुपूरक	..	21,01.00	9,88.54		(-)11,12.46
2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	10,00.00				
	अनुपूरक	..	10,00.00	1,25.87		(-)8,74.13
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन				निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	2,60.00				
	अनुपूरक	..	2,60.00	64.84		(-)1,95.16

अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय			
800	अन्य व्यय			निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
2416	संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन			
	मूल	2,05.00		
	अनुपूरक	..	2,05.00	
			41.75	
			(-)1,63.25	
2417	कृषि, विस्तार और तकनीक के लिए राष्ट्रीय मिशन			
	मूल	10,00.00		
	अनुपूरक	..	10,00.00	
			2,77.71	
			(-)7,22.29	
2440	राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम			
	मूल	25,00.00		
	अनुपूरक	..	25,00.00	
			12,50.00	
			(-)12,50.00	
2449	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
	मूल	27,08.00		
	अनुपूरक	..	27,08.00	
			7,74.52	
			(-)19,33.48	
8054	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग निगम			
	मूल	6,77.50		
	अनुपूरक	..	6,77.50	
			2,12.50	
			(-)4,65.00	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना			
	मूल	2,00,00.00		
	अनुपूरक	..	2,00,00.00	
			9,06.91	
			(-)1,90,93.09	
2449	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
	मूल	2,24,65.00		
	अनुपूरक	..	2,24,65.00	
			7,30.28	
			(-)2,17,34.72	
4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय			
02	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन			
112	लोक उद्यान			निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1136	पुष्पकृषि निदेशालय			
	मूल	10,27.00		
	अनुपूरक	..	10,27.00	
			8,47.15	
			(-)1,79.85	
2203	निदेशक, पुष्पकृषि जम्मू			
	मूल	8,82.00		
	अनुपूरक	..	8,82.00	
			7,28.12	
			(-)1,53.88	

अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
80	सामान्य			
277	शिक्षा			निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
0032	कृषि विश्वविद्यालय (जम्मू)			
	मूल	14,90.00		
	अनुपूरक	..	14,90.00	
			10,50.00	
				(-)4,40.00
0056	कृषि विश्वविद्यालय (कश्मीर)			
	मूल	14,90.00		
	अनुपूरक	..	14,90.00	
			9,67.77	
				(-)5,22.24
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
107	रेशम कीट-पालन उद्योग			निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1202	रेशम कीट-पालन			
	मूल	8,76.79		
	अनुपूरक	..	8,76.79	
			1,68.99	
				(-)7,07.80
2114	रेशम कीट-पालन उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय योजना			
	मूल	89.50		
	अनुपूरक	..	89.50	
			2.40	
				(-)87.10
9.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)
4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
0181	शिक्षा तथा प्रशिक्षण		33.00	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
0181	शिक्षा तथा प्रशिक्षण		3,00.00	
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन		50,00.00	
2416	संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन		30,00.00	
2417	कृषि, विस्तार तथा तकनीक के लिए राष्ट्रीय मिशन		1,00,00.00	
2440	राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम		50,00.00	

अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष					कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय					
107	रेशम कीट-पालन उद्योग					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
2114	रेशम कीट-पालन उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय योजना				10,01.00	
10.	निम्नलिखित शीर्षों/ परियोजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष					वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय					
103	बीज					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0081	बीजों की खरीद (जम्मू)				4,90.22	
0082	आलू विकास योजनाएं (कश्मीर)				1,62.78	
108	वाणिज्यिक फसले					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम)				37.94	
113	कृषि अभियांत्रिकी					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0054	बेहतर कृषि उपकरण				16,76.37	
119	बागवानी तथा सब्जी फसले					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
2415	राष्ट्रीय बागवानी मिशन				1,85.48	
800	अन्य व्यय					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0244	निदेशन तथा प्रशासन				2.41	
2191	कृषि, विस्तार तथा प्रशिक्षण				22.73	

अनुदान संख्या 12 (समाप्त)

शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय		
101	मृदा सर्वेक्षण तथा जांच		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
0014	मृदा सर्वेक्षण जम्मू	1,10.77	
0016	मृदा सर्वेक्षण कश्मीर	3,35.52	
4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय		
02	<i>पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन</i>		
001	निदेशन तथा प्रशासन		
0011	सामान्य		
1136	निदेशक पुष्पकृषि, कश्मीर	8.10	

अनुदान संख्या 13 - पशु/ भेड़ पालन विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2403 पशु पालन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	4,98,02,57	5,65,19,33	(-)26,11,21
		5,91,30,54	
अनुपूरक	93,27,97		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4403 पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय

4404 डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	1,02,22,05	38,62,45	(-)63,59,60
		1,02,22,05	
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 26,11.21 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 93,27.97 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 26,11.21 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान भी अनुदान में निरंतर बचत हुई।			
वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
(₹ लाख में)				
2013-2014	3,58,84.19	3,19,08.61	(-)39,75.58	
2014-2015	3,59,99.34	3,12,36.01	(-)47,63.33	
2015-2016	4,24,31.90	3,95,63.44	(-)28,68.46	
2016-2017	4,32,38.93	3,76,16.03	(-)56,22.90	
2017-2018	4,67,35.29	3,98,69.97	(-)68,65.32	

अनुदान संख्या 13 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2403	पशुपालन				
001	निदेशन एवं प्रशासन				वेतन तथा टी ई के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0138	भेड़ पालन कश्मीर				
	मूल	15,38.08			
	अनुपूरक	95.00	16,33.08	15,53.04	(-)80.04
0195	भेड़ पालन जम्मू				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
	मूल	29,28.79			
	अनुपूरक	2,98.72	32,27.51	29,62.75	
0844	निदेशक पशुपालन कश्मीर				वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
	मूल	41,43.93			
	अनुपूरक	15,00.01	56,43.94	52,97.88	
2062	निदेशक पशुपालन जम्मू				
	मूल	53,60.81			
	अनुपूरक	8,15.29	61,76.10	60,96.36	
101	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य				
0099	सामान्य				
2216	अस्पताल व औषधालय/ निदेशक पशुपालन जम्मू				
	मूल	36,94.00			
	अनुपूरक	4,45.00	41,39.00	40,83.51	(-)55.49
102	मवेशी तथा भैंस विकास				
0099	सामान्य				
2219	मवेशी तथा भैंस विकास/ निदेशक पशुपालन जम्मू				
	मूल	36,16.55			
	अनुपूरक	4,23.39	40,39.94	39,82.64	(-)57.30
103	मुर्गी पालन विकास				
0099	सामान्य				
0119	मुर्गी पालन विकास योजनाएं / निदेशक पशुपालन कश्मीर				
	मूल	20,44.97			
	अनुपूरक	3,43.03	23,88.00	22,76.38	(-)1,11.62
2220	मुर्गी पालन विकास योजनाएं / निदेशक पशुपालन जम्मू				
	मूल	11,20.00			
	अनुपूरक	1,56.00	12,76.00	12,42.36	

अनुदान संख्या 13 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2403	पशु पालन				
104	भेड़ तथा ऊन विकास			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
0088	अंगोरा खरगोश फार्म				
	मूल	1,16.87			
	अनुपूरक	..	1,16.87		
			91.62		
0128	पारगमन शिविर प्रवासी प्रजनन				
	मूल	1,07.52			
	अनुपूरक	4.04	1,11.56		
			68.74		
				(-)42.82	
0148	भेड़ प्रजनन फार्म दाचीगम			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
	मूल	1,21.72			
	अनुपूरक	11.77	1,33.49		
			1,18.57		
					(-)14.92
0151	भेड़ प्रजनन फार्म ज़ोवरा/ पुलवामा				
	मूल	91.78			
	अनुपूरक	2.24	94.02		
			83.44		
				(-)10.58	
0152	भेड़ प्रजनन फार्म बांथल रेयासी पांथल				
	मूल	63.37			
	अनुपूरक	30.60	93.97		
			75.97		
				(-)18.00	
0158	भेड़ के बाल काटना तथा ऊन क्रम निर्धारण तथा विपणन कश्मीर				
	मूल	1,81.97			
	अनुपूरक	45.08	2,27.05		
			1,76.53		
				(-)50.52	
0197	वर्तमान भेड़ प्रजनन फार्म कश्मीर का विस्तृत तथा समेकन				
	मूल	2,19.78			
	अनुपूरक	1,16.51	3,36.29		
			3,09.52		
				(-)26.77	
0198	मटोनौस ज़ोन कश्मीर की स्थापना				
	मूल	2,78.97			
	अनुपूरक	79.38	3,58.35		
			3,31.85		
				(-)26.50	
0202	वर्तमान भेड़ प्रजनन फार्म कश्मीर का सुदृढीकरण				
	मूल	4,71.07			
	अनुपूरक	31.61	5,02.68		
			4,29.31		
				(-)73.37	
0283	बड़े पैमाने पर ड्रिचिंग तथा डम्पिंग				
	मूल	40.02			
	अनुपूरक	..	40.02		
			28.56		
				(-)11.46	

अनुदान संख्या 13 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2403	पशुपालन			
104	भेड़ तथा ऊन विकास			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य			
0647	प्रशासनिक मशीनरी का सुदृढीकरण			
	मूल	1,63.31		
	अनुपूरक	5.53	1,68.84	
			1,30.88	
			(-)37.96	
0664	प्रवासी प्रजनक कश्मीर के लिए पारगमन की स्थापना			
	मूल	55.26		
	अनुपूरक	..	55.26	
			9.21	
			(-)46.05	
0672	पर्यवेक्षी संगठन			
	मूल	71.18		
	अनुपूरक	21.79	92.97	
			51.74	
			(-)41.23	
0674	सांख्यिकीय कक्ष कश्मीर			
	मूल	24.82		
	अनुपूरक	5.22	30.04	
			22.45	
			(-)7.59	
0731	रामबोलेट प्रजनन कश्मीर			
	मूल	1,91.52		
	अनुपूरक	10.87	2,02.39	
			1,86.58	
			(-)15.81	
0745	प्रचार कक्ष कश्मीर			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
	मूल	33.02		
	अनुपूरक	4.29	37.31	
			19.34	
			(-)17.97	
0794	भेड़ प्रजनन फार्म अनदेरवान कश्मीर			
	मूल	58.67		
	अनुपूरक	24.04	82.71	
			57.67	
			(-)25.04	
0800	भेड़ तथा ऊन विकास केंद्र कश्मीर की शुरुआत			
	मूल	3,55.40		
	अनुपूरक	87.55	4,42.95	
			4,34.32	
			(-)8.63	
0803	भेड़ प्रजनन फार्म दुक्सुम			
	मूल	5,24.03		
	अनुपूरक	7.70	5,31.73	
			5,20.83	
			(-)10.90	
0827	गहन भेड़ विकास ब्लॉक कश्मीर की स्थापना			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
	मूल	9,45.70		
	अनुपूरक	30.84	9,76.54	
			9,45.97	
			(-)30.57	

अनुदान संख्या 13 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2403	पशुपालन			
104	भेड़ तथा ऊन विकास			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य			
0829	भेड़ तथा बकरी रोग निरीक्षण कश्मीर			
	मूल	3,56.10		
	अनुपूरक	35.92	3,92.02	
			3,60.70	
			(-)31.32	
0832	घुड़साल फार्म की बड़े पैमाने पर स्थापना			
	मूल	49.53		
	अनुपूरक	12.84	62.37	
			44.62	
			(-)17.75	
0843	विस्तृत तथा समेकित केंद्रों कश्मीर की स्थापना			
	मूल	3,71.55		
	अनुपूरक	62.48	4,34.03	
			3,71.98	
			(-)62.05	
1178	कश्मीर के पिछड़े क्षेत्र में गहन भेड़ विकास			
	मूल	9,49.25		
	अनुपूरक	..	9,49.25	
			8,78.98	
			(-)70.27	
1445	ऊन अनुसंधान प्रयोगशाला			
	मूल	22.63		
	अनुपूरक	10.45	33.08	
			19.31	
			(-)13.77	
1464	विकास व अनुसंधान एवं विस्तृत कार्यक्रम			
	मूल	33.12		
	अनुपूरक	0.95	34.07	
			28.88	
			(-)5.19	
1469	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण कश्मीर			
	मूल	27.10		
	अनुपूरक	4.54	31.64	
			8.41	
			(-)23.23	
1710	खेतों का आनुवांशिक सुधार			
	मूल	2,41.88		
	अनुपूरक	0.50	2,42.38	
			2,17.62	
			(-)24.76	
2189	भेड़ के बाल काटना एवं ऊन क्रम निर्धारण तथा विपणन जम्मू			
	मूल	1,30.50		
	अनुपूरक	3.58	1,34.08	
			86.70	
			(-)47.38	

अनुदान संख्या 13 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
2403	पशु पालन					
104	भेड़ तथा ऊन विकास			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
0099	सामान्य					
2221	वर्तमान भेड़ प्रजनन फार्म जम्मू का विस्तृत तथा समेकन					
	मूल	2,41.29				
	अनुपूरक	80.24	3,21.53		2,90.05	(-)31.48
2222	मटोनौस ज़ोन जम्मू की स्थापना					
	मूल	1,31.60				
	अनुपूरक	54.82	1,86.42		1,61.09	(-)25.33
2224	वर्तमान भेड़ प्रजनन फार्म जम्मू का सुदृढीकरण					
	मूल	1,91.30				
	अनुपूरक	23.31	2,14.61		2,00.99	(-)13.62
2227	सांख्यिकीय कक्ष जम्मू					
	मूल	28.14				
	अनुपूरक	21.23	49.37		32.89	(-)16.48
2228	जम्मू घास भूमि का सुधार					
	मूल	33.71				
	अनुपूरक	7.52	41.23		29.32	(-)11.91
2229	रामबोलेट प्रजनन जम्मू					
	मूल	99.03				
	अनुपूरक	34.16	1,33.19		82.84	(-)50.35
2230	प्रचार कक्ष जम्मू					
	मूल	33.74				
	अनुपूरक	1.63	35.37		27.95	(-)7.42
2231	भेड़ प्रजनन फार्म अनदेरवान जम्मू					
	मूल	64.23				
	अनुपूरक	25.81	90.04	55.59	(-)34.45	
2232	भेड़ तथा ऊन विकास केंद्र जम्मू की शुरुआत					
	मूल	5,08.46				
	अनुपूरक	1.22	5,09.68	4,28.01	(-)81.67	
2233	गहन भेड़ विकास ब्लॉक जम्मू की स्थापना					
	मूल	11,43.90				
	अनुपूरक	3.69	11,47.59	10,28.05	(-)1,19.54	

अनुदान संख्या 13 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2403	पशु पालन			
104	भेड़ तथा ऊन विकास			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य			
2234	भेड़ तथा बकरी रोग निरीक्षण जम्मू			
	मूल	2,19.85		
	अनुपूरक	43.68	2,63.53	
			2,41.99	
			(-)21.54	
2235	जम्मू में दो मोबाइल इकाइयों की स्थापना			
	मूल	81.60		
	अनुपूरक	2.70	84.30	
			29.74	
			(-)54.56	
2236	भेड़ तथा ऊन विस्तृत केंद्रों जम्मू की स्थापना			
	मूल	17,16.40		
	अनुपूरक	4,16.50	21,32.90	
			19,34.38	
			(-)1,98.52	
2237	भेड़ तथा ऊन विस्तृत केंद्र जम्मू का विस्तृत तथा समेकित केंद्रों की स्थापना			
	मूल	3,35.74		
	अनुपूरक	3.55	3,39.29	
			2,73.11	
			(-)66.18	
2238	ऊन कतरना परीक्षण प्रयोगशाला जम्मू			
	मूल	59.92		
	अनुपूरक	12.19	72.11	
			58.61	
			(-)13.50	
2239	जम्मू के पिछड़े क्षेत्र में गहन भेड़ विकास			
	मूल	9,47.84		
	अनुपूरक	2,16.88	11,64.72	
			10,07.62	
			(-)1,57.10	
107	चारा एवं फीड विकास			
0099	सामान्य			
0002	चारा एवं फीड विकास (जम्मू खंड)			
	मूल	44.20		
	अनुपूरक	..	44.20	
			29.79	
			(-)14.41	
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0851	कश्मीर के विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं			
	मूल	2,83.58		
	अनुपूरक	75.77	3,59.35	
			3,46.88	
			(-)12.47	

अनुदान संख्या 13 (जारी)

4.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2403	पशु पालन				वेतन के संबंध में मूल तथा अनुपूरक से आधिक्य।
101	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य				
0099	सामान्य				
0155	अस्पताल व औषधालय/निदेशक पशुपालन कश्मीर				
	मूल	54,95.04			
	अनुपूरक	18,09.51	73,04.55	73,44.71	(+)40.16
102	मवेशी तथा भैंस विकास				वेतन के संबंध में मूल तथा अनुपूरक से आधिक्य।
0099	सामान्य				
0140	मवेशी तथा भैंस विकास / निदेशक पशुपालन कश्मीर				
	मूल	39,68.68			
	अनुपूरक	9,53.22	49,21.90	50,60.67	
104	भेड़ तथा ऊन विकास				
0099	सामान्य				
0864	जिला नैदानिक प्रयोगशाला				
	मूल	1,08.17			
	अनुपूरक	8.15	1,16.32	1,22.20	
1707	प्रजनकों के बीच वैज्ञानिक प्रबंधन				
	मूल	11,62.22			
	अनुपूरक	2,37.80	14,00.02	14,14.99	
107	चारा तथा फीड विकास				
0099	सामान्य				
0605	चारा तथा फीड विकास कुंजी गाँव ब्लॉक				
	मूल	76.14			
	अनुपूरक	30.76	1,06.90	1,20.81	(+)13.91
109	विस्तृत तथा प्रशिक्षण				
0099	सामान्य				
0861	कार्मिक तकनीकी का प्रशिक्षण कश्मीर				
	मूल	41.22			
	अनुपूरक	50.38	91.60	93.53	(+)1.93

अनुदान संख्या 13 (जारी)

5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
2403	पशु पालन				
104	भेड़ तथा ऊन विकास				
0099	सामान्य				
0801	कृत्रिम गर्भाधान			6.39	

पूंजीगत खंड

6.	पूंजीगत दत्तमत खंड में ₹ 1,02,22.05 लाख का मूल प्रावधान ₹ 63,59.60 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 63,59.60 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान भी अनुदान में बचत हुई।				
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)		
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय				
101	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य				विस्तृत शीर्ष 115- कार्यों के संबंध में बी ई से कम व्यय
0011	सामान्य				
0138	भेड़ पालन कश्मीर (निदेशक भेड़ पालन कश्मीर)				
	मूल	19,89.26			
	अनुपूरक	..	19,89.26	4,81.00	
				(-)15,08.26	
0195	भेड़ पालन जम्मू				
	मूल	4,39.90			
	अनुपूरक	..	4,39.90	3,25.45	
				(-)1,14.45	
0844	निदेशक पशुपालन कश्मीर				
	मूल	7,58.71			
	अनुपूरक	..	7,58.71	6,61.31	
				(-)97.40	
1925	पशु रोग की नियंत्रण				
	मूल	1,95.48			
	अनुपूरक	..	1,95.48	2.80	
				(-)1,92.68	
2062	निदेशक पशुपालन जम्मू				
	मूल	20,73.78			
	अनुपूरक	..	20,73.78	4,98.97	
				(-)15,74.81	

अनुदान संख्या 13 (समाप्त)

8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष					कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय					
101	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य					
0011	सामान्य					
2402	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम				1,48.18	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
1925	पशु रोग की नियंत्रण				18,11.79	
2402	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम				13,33.63	
104	भेड़ तथा ऊन विकास					
0011	सामान्य					
1499	भेड़ विकास बोर्ड				1,50.00	
107	चारा तथा फीड विकास					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
2079	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना				12,91.32	
4404	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय					
102	डेयरी विकास परियोजना					
0011	सामान्य					
2497	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना				30.00	
9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष					वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय					
101	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0844	पशु पालन निदेशालय विभाग कश्मीर				3,66.89	
2062	पशु पालन निदेशालय विभाग जम्मू				6,40.18	
2499	राष्ट्रीय पशुधन मिशन				6,08.58	
107	चारा तथा फीड विकास					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं					
2078	हानिकारक कीट उन्मूलन की राष्ट्रीय परियोजना				2,76.73	

अनुदान संख्या 14 - राजस्व विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2029 भू-राजस्व

2053 जिला प्रशासन

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2250 अन्य सामाजिक सेवाएं

2401 फसल पैदावार

2506 भूमि सुधार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल	5,28,38,24		4,85,30,38	(-)1,18,48,81
		6,03,79,19		
अनुपूरक	75,40,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..
प्रभारित				
मूल	..		62	(-)19,38
		20,00		
अनुपूरक	20,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूंजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	8,62,50		4,12,07	(-)4,50,43
		8,62,50		
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 75,40.95 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 5,28,38.24 लाख के मूल प्रावधान के स्तर भी तक नहीं आ सका, परिणामस्वरूप अंतिम रूप से ₹ 1,18,48.81 लाख की बचत हुई। ₹ 1,18,48.81 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
----	---

अनुदान संख्या 14 (जारी)

2.	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2053	जिला प्रशासन					
093	जिला स्थापना				अनुपूरक अनुदान वेतन के अंतर्गत अत्यधिक सिद्ध हुआ	
0099	सामान्य					
1049	उपायुक्त					
	मूल	48,08.30				
	अनुपूरक	9,00.43	57,08.73	54,07.12		(-)3,01.61
094	अन्य स्थापना					
0099	सामान्य					
0569	कृषि सुधार					
	मूल	13,53.00				
	अनुपूरक	3,80.60	17,33.60	11,16.04		(-)6,17.56
0700	उप मंडलीय मजिस्ट्रेट					
	मूल	21,05.60				
	अनुपूरक	3,57.19	24,62.79	21,60.71	(-)3,02.08	
1046	तहसीले					
	मूल	1,44,38.00				
	अनुपूरक	13,66.03	1,58,04.03	1,54,26.41	(-)3,77.62	
1052	राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय				मानदेय के संबंध में अप्रयुक्त बजट	
	मूल	2,50.45				
	अनुपूरक	62.73	3,13.18	2,96.99	(-)16.19	
1058	संग्रहण प्रभार				वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ	
	मूल	2,57,38.05				
	अनुपूरक	31,60.29	2,88,98.34	1,77,94.82		(-)1,11,03.52
1059	संपत्ति का समेकन					
	मूल	9,13.66				
	अनुपूरक	2,28.61	11,42.27	6,58.10	(-)4,84.17	
1209	सरकारी संपदा का प्रबंधन					
	मूल	2,77.70				
	अनुपूरक	83.89	3,61.59	3,24.76	(-)36.83	
2205	निपटान आयुक्त					
	मूल	4,60.00				
	अनुपूरक	2,72.14	7,32.14	5,32.84	(-)1,99.30	

अनुदान संख्या 14 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2053	जिला प्रशासन				
094	अन्य स्थापना			वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान आधिक्य सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
2310	उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/ क्षेत्र विकास कार्यालय				
	मूल	1,92.00			
	अनुपूरक	54.32	2,46.32	1,68.85	(-77.47)
101	आयुक्त			विस्तृत शीर्ष पी ओ एल के प्रति अतिरिक्त बजटीय अनुमान	
0099	सामान्य				
1048	मंडलीय आयुक्त				
	मूल	11,54.62			
	अनुपूरक	1,20.12	12,74.74	12,66.23	(-8.51)
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
800	अन्य व्यय			चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में अप्रयुक्त बजट	
0099	सामान्य				
1078	महाअभिरक्षक				
	मूल	97.06			
	अनुपूरक	23.00	1,20.06	1,14.83	(-5.23)
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं				
102	धार्मिक तथा धर्मार्थ दान अधिनियमों का प्रशासन			जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
1612	विशेष अधिकारी औकफ				
	मूल	2,31.30			
	अनुपूरक	..	2,31.30	2,00.17	(-31.13)
3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2053	जिला प्रशासन				
094	अन्य स्थापना			वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य	
0099	सामान्य				
1050	निदेशक भू-अभिलेख				
	मूल	2,21.50			
	अनुपूरक	40.20	2,61.70	12,42.94	(+9,81.24)

अनुदान संख्या 14 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)			
2053	जिला प्रशासन				
101	आयुक्त			वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य	
0099	सामान्य				
1051	वित्त आयुक्त				
	मूल	3,58.40			
	अनुपूरक	57.59	4,15.99	4,66.69	(+)50.70
2235	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण				
60	<i>अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>				
200	अन्य कार्यक्रम			भूमि मुआवजे के संबंध में अनुपूरक अनुदान से आधिक्य व्यय	
0099	सामान्य				
0872	अन्य योजनाएं				
	मूल	70.00			
	अनुपूरक	3,82.95	4,52.95	8,10.18	(+)3,57.23
4.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
2029	भ- राजस्व				
101	संग्रहण प्रभार				
0099	सामान्य				
1058	संग्रहण प्रभार		75.73		
104	सरकारी संपदा का प्रबंधन				
0099	सामान्य				
1209	सरकारी संपदा का प्रबंधन		16.99		
2053	जिला प्रशासन				
094	अन्य स्थापना				
0099	सामान्य				
1056	भूमि अधिग्रहण कलेक्टर विशेष रक्षा		22.60		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
2310	उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/ क्षेत्र विकास कार्यालय		4.35		
2401	फसल पैदावार				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0216	कृषि गणना		38.75		

अनुदान संख्या 14 (समाप्त)

शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
2401	फसल पैदावार		
800	अन्य व्यय		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
0748	समयोचित रिपोर्टिंग योजना	87.51	
1516	फसल सांख्यिकी में सुधार	95.01	
2506	भूमि सुधार		
102	अधिकारों का एकत्रीकरण		
0099	सामान्य		
0569	कृषि भूमि संबंधी सुधार	1.18	
5.	राजस्व प्रभारित खंड में ₹20.00 लाख के बजट अनुमानों के प्रति ₹0.62 लाख के व्यय के परिणामस्वरूप ₹ 19.38 लाख की बचत हुई है।		

पूंजीगत खंड

6.	पूंजीगत दत्तमत खंड में ₹ 8,62.50 लाख का मूल प्रावधान ₹4,50.43 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹4,50.43 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)			
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय				
80	सामान्य				
201	भूमि का अधिग्रहण			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0011	सामान्य				
1285	भूमि का अधिग्रहण				
	मूल	7,12.50			
	अनुपूरक	..	7,12.50	3,37.07	(-)3,75.43
8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ			
	(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय				
80	सामान्य				
051	निर्माण				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1050	निदेशक, भू-अभिलेख		75.00		

अनुदान संख्या 15 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2408 खाद्य, भंडारण तथा वेयरहाउसिंग

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	1,78,12,93	2,42,04,44	(+)13,42,16
		2,28,62,28	
अनुपूरक	50,49,35		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4408 खाद्य, भंडारण तथा वेयरहाउसिंग पर पूँजीगत परिव्यय

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
दत्तमत			
मूल	3,08,72,00	2,87,24,81	(-)55,80,99
		3,43,05,80	
अनुपूरक	34,33,80		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 50,49.35 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 13,42.16 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, जिसे नियमित किए जाने की आवश्यकता है।				
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2408	खाद्य, भंडारण तथा वेयरहाउसिंग				
01	<i>खाद्य</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0383	उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण कश्मीर				
	मूल	1,29,16.11			
	अनुपूरक	38,40.40	1,67,56.51	1,35,91.94	(-)31,64.57

अनुदान संख्या 15 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2408	खाद्य, भंडारण तथा वेयरहाउसिंग				
01	<i>खाद्य</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0397	उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण जम्मू				
	मूल	37,31.86			
	अनुपूरक	7,38.50	44,70.36	37,76.86	(-)6,93.50
02	<i>भंडारण तथा वेयरहाउसिंग</i>				
800	अन्य व्यय			वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0942	पी डी एस की सुदृढता (जम्मू एवं कश्मीर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग)				
	मूल	2,04.80			
	अनुपूरक	1,36.75	3,41.55	2,88.92	(-)52.63
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
106	भार तथा माप का विनियमन			वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
1063	नियंत्रक, विधि मौसम विज्ञान				
	मूल	9,60.16			
	अनुपूरक	3,33.70	12,93.86	10,19.77	(-)2,74.09
3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
2408	खाद्य, भंडारण तथा वेयरहाउसिंग				
02	<i>भंडारण तथा वेयरहाउसिंग</i>				
101	ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0942	पी डी एस का सुदृढीकरण (जम्मू एवं कश्मीर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग)		49,70.44		
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0942	पी डी एस का सुदृढीकरण (जम्मू एवं कश्मीर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग)		5,60.20		

अनुदान संख्या 15 (जारी)

पूँजीगत खंड

4.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 34,33.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 3,08,72.00 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 55,80.99 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 55,80.99 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5.	योजना/ गैर-योजना व्यय के रूप में नामकरण के उन्मूलन के परिणामस्वरूप, राजस्व व्यय के संबंध में बजट अनुमानों को समूह शीर्ष 0099-सामान्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था तथा लेखों के शीर्षों को पूँजीगत शीर्ष 0011-सामान्य के विरुद्ध बुक किया जाना आवश्यक था। लेकिन बजट का अनुमान लेखों के पूँजीगत शीर्षों के संबंध में अनुमान है अर्थात् एम.एच 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय तथा एम.एच 4408- खाद्य गोदाम तथा भंडारण पर पूँजीगत परिव्यय अभी भी समूह शीर्ष 0099-सामान्य के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। तदनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने पूँजीगत व्यय के शीर्षों के संबंध में समूह शीर्ष 0099- सामान्य के अंतर्गत व्यय बुक किया है।				
6.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4408	खाद्य भंडारण तथा वेयरहाउसिंग पर पूँजीगत परिव्यय				
01	<i>खाद्य</i>				
101	खरीद तथा आपूर्ति				लागत मूल्य के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2159	गेहूँ कश्मीर				
	मूल	16,00.00			
	अनुपूरक	..	16,00.00	2,07.68	
				(-)13,92.32	
2160	चावल कश्मीर				
	मूल	1,56,00.00			
	अनुपूरक	..	1,56,00.00	1,21,93.00	
				(-)34,07.00	
2161	गेहूँ जम्मू				
	मूल	66,00.00			
	अनुपूरक	..	66,00.00	65,00.66	
				(-)99.34	
2162	चावल जम्मू				
	मूल	62,00.00			
	अनुपूरक	..	62,00.00	60,78.44	
				(-)1,21.56	

अनुदान संख्या 15 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4408	खाद्य भंडारण तथा वेयरहाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय				
02	<i>भंडारण तथा वेयरहाउसिंग</i>				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0011	सामान्य				
0508	उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग				
	मूल	4,00.00			
	अनुपूरक	15.00	4,15.00	3,22.24	(-)92.76
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय				
112	सांख्यिकी			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय	
0011	सामान्य				
0564	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
	मूल	65.00			
	अनुपूरक	..	65.00	22.50	(-)42.50
7.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ			
	(₹ लाख में)				
4408	खाद्य भंडारण तथा वेयरहाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय				
02	<i>भंडारण तथा वेयरहाउसिंग</i>				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0508	उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग		4,07.00		
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0564	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		14.55		

अनुदान संख्या 16 - लोक निर्माण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2059 लोक निर्माण

2216 आवास

3054 सड़कें तथा पुल

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
		(₹ हजार में)		
दत्तमत				
मूल	7,95,70,98		24,88,64,20	(+)15,34,98,84
		9,53,65,36		
अनुपूरक	1,57,94,38			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूंजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

4236 पोषण पर पूंजीगत परिव्यय

5054 सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	20,98,38,39		11,03,13,17	(-)12,58,36,53
		23,61,49,70		
अनुपूरक	2,63,11,31			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 1,57,94.38 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 15,34,98.84 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त सिद्ध हुआ। ₹ 15,34,98.84 लाख के आधिक्य को नियमित किए जाने की आवश्यकता है। अनुदान में आधिक्य वर्ष 2017-18 के दौरान भी हुआ।
----	--

अनुदान संख्या 16 (जारी)

2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत मुख्यतः आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
3054	सड़कें तथा पुल				वित्त विभाग द्वारा ₹ 12,78,72.44 लाख की निधि की सीमा तक प्रत्यक्ष निर्गम के कारण आधिक्य।	
80	सामान्य					
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
2181	मुख्य अभियंता पी एम जी एस वाई कश्मीर					
	मूल	1,10.00				
	अनुपूरक	..	1,10.00	12,79,73.72	(+)12,78,63.72	
3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2059	लोक निर्माण				वेतन के प्रति अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा एम एंड आर के अंतर्गत बी ई के प्रति कम व्यय	
80	सामान्य					
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
1034	मुख्य अभियंता यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग जम्मू सर्कल एवं मंडल कार्यालयों सहित					
	मूल	32,84.30				
	अनुपूरक	8,24.38	41,08.68	37,41.80		(-)3,66.88
1035	मुख्य अभियंता आर एंड बी विभाग कश्मीर सर्कल तथा मंडल कार्यालयों सहित					
	मूल	2,83,62.16				
	अनुपूरक	86,68.50	3,70,30.66	3,32,99.44		(-)37,31.22
1041	मुख्य अभियंता यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग (कश्मीर) सर्कल तथा मंडल कार्यालय सहित					
	मूल	35,97.05				
	अनुपूरक	15,13.38	51,10.43	46,71.75	(-)4,38.68	
1042	मुख्य अभियंता आर एंड बी जम्मू सर्कल तथा मंडल कार्यालय प्रवासियों सहित				वेतन के प्रति अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	2,12,09.30				
	अनुपूरक	10,75.20	2,22,84.50	2,06,69.40		(-)16,15.10
1044	भंडार खरीदारी विभाग					
	मूल	8,27.00				
	अनुपूरक	1,89.50	10,16.50	8,31.47	(-)1,85.03	

अनुदान संख्या 16 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
2059	लोक निर्माण			वेतन के प्रति अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
80	सामान्य			
001	निदेशन तथा प्रशासन			
0099	सामान्य			
1281	डिजाइन निदेशालय			
	मूल	12,17.70		
	अनुपूरक	5,75.00	17,92.70	
			17,37.39	
			(-)55.31	
2181	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना			
	मूल	32,49.00		
	अनुपूरक	8,34.12	40,83.12	
			40,04.14	
			(-)78.98	
2275	मुख्य अभियंता प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (जम्मू)			
	मूल	51,03.11		
	अनुपूरक	6,34.10	57,37.21	
			52,94.65	
			(-)4,42.56	
2216	आवास			
01	सरकारी आवासीय भवन			
700	अन्य आवास			एम एंड आर के अंतर्गत बी ई के प्रति व्यय कम।
0099	सामान्य			
1029	सड़क तथा भवन विभाग, जम्मू			
	मूल	5,00.00		
	अनुपूरक	..	5,00.00	
			4,02.20	
			(-)97.80	
1040	सड़क तथा भवन विभाग, कश्मीर			
	मूल	5,00.00		
	अनुपूरक	..	5,00.00	
			3,69.59	
			(-)1,30.41	
3054	सड़के तथा पुल			
80	सामान्य			
001	निदेशन तथा प्रशासन			एम एंड आर तथा हिम निकासी विस्तृत शीर्षा के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य			
1027	आर एंड बी विभाग जम्मू			
	मूल	50,55.00		
	अनुपूरक	1,90.08	52,45.08	
			51,17.92	
			(-)1,27.16	
1028	आर एंड बी विभाग कश्मीर			
	मूल	59,00.00		
	अनुपूरक	7,50.42	66,50.42	
			53,52.06	
			(-)12,98.36	

अनुदान संख्या 16 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
3054	सड़के तथा पुल					
80	सामान्य					
001	निदेशन तथा प्रशासन			आउटसोर्सिंग के संबंध में अनुपूरक अनुदान के प्रति शून्य व्यय		
0099	सामान्य					
2342	पी एम आर पी सड़कें					
	मूल	35.36				
	अनुपूरक	39.70	75.06	51.42	(-)23.64	
2355	जिला योजना तथा विकास बोर्ड			अनुरक्षण एवं मरम्मत विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत बी ई के प्रति कम व्यय।		
	मूल	87.00				
	अनुपूरक	..	87.00		27.99	(-)59.01
2356	ब्लॉक विकास परिषद्					
	मूल	86.00				
	अनुपूरक	..	86.00		3.00	(-)83.00
2357	हल्का पंचायत					
	मूल	1,48.00				
	अनुपूरक	..	1,48.00	47.25	(-)1,00.75	

पूँजीगत खंड

4.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 2,63,11.31 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय ₹ 20,98,38.39 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 12,58,36.53 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 12,58,36.53 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
5.	पिछले चार वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर बचत भी निम्नानुसार है:-			
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)
(₹ लाख में)				
	2014-2015	12,30,80.97	8,69,83.77	(-)3,60,99.20
	2015-2016	16,85,27.68	11,78,68.24	(-)5,06,59.44
	2016-2017	18,56,99.50	14,36,57.09	(-)4,20,42.41
	2017-2018	20,05,99.50	18,11,09.52	(-)1,94,89.98

अनुदान संख्या 16 (जारी)

6.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय				
01	कार्यालय भवन				
001	निदेशन तथा प्रशासन				अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल अनुमानों के स्तर तक भी नहीं आ सका।
0011	सामान्य				
1027	आर एंड बी विभाग जम्मू				
	मूल	3,04,50.00			
	अनुपूरक	12,21.00	3,16,71.00	1,17,21.24 (-)1,99,49.76	
1028	आर एंड बी विभाग कश्मीर				
	मूल	3,04,50.00			
	अनुपूरक	33,67.78	3,38,17.78	1,52,57.52 (-)1,85,60.26	
1270	यांत्रिक अभियांत्रिकी जम्मू				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
	मूल	3,37.50			
	अनुपूरक	..	3,37.50	2,80.57 (-)56.93	
1276	यांत्रिक अभियांत्रिकी कश्मीर				
	मूल	9,75.00			
	अनुपूरक	..	9,75.00	7,74.26 (-)2,00.74	
5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय				
03	राज्य के राजमार्ग				
101	पुल				अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0011	सामान्य				
2181	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना				
	मूल	47,50.00			
	अनुपूरक	54,50.00	1,02,00.00	98,85.11 (-)3,14.89	
2229	केंद्रीय सड़क निधि				
	मूल	..			
	अनुपूरक	70,00.00	70,00.00	31,62.28 (-)38,37.72	
2342	पी एम आर पी सड़कें				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
	मूल	10,00.00			
	अनुपूरक	..	10,00.00	8,74.24 (-)1,25.76	
2444	शहर तथा कस्बे				अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ
	मूल	1,00,00.00			
	अनुपूरक	92,72.53	1,92,72.53	78,09.92 (-)1,14,62.61	

अनुदान संख्या 16 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय					
05	सड़कें				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
337	सड़क कार्य					
0011	सामान्य					
2471	रिंग रोड					
	मूल	1,05,00.00				
	अनुपूरक	..	1,05,00.00	69,44.84		(-)35,55.16
7.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4059	लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय					
01	कार्यालय भवन					
001	निदेशन तथा प्रशासन				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय।	
0011	सामान्य					
1281	डिजाइन निदेशालय					
	मूल	1,00.00				
	अनुपूरक	..	1,00.00	5,43.10		(+)4,43.10
60	अन्य भवन					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
1717	गैर कार्यात्मक भवन (पी डब्ल्यू डी) जम्मू					
	मूल	5,00.00				
	अनुपूरक	..	5,00.00	8,57.07	(+)3,57.07	
1899	गैर कार्यात्मक भवन (पी डब्ल्यू डी) कश्मीर					
	मूल	5,00.00				
	अनुपूरक	..	5,00.00	10,09.60	(+)5,09.60	
5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय					
03	राज्य के राजमार्ग					
101	पुल				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय।	
0011	सामान्य					
1718	पुलों का पुनर्निर्माण					
	मूल	40,00.00				
	अनुपूरक	..	40,00.00	62,24.93	(+)22,24.93	

अनुदान संख्या 16 (जारी)

8.	निम्नलिखित शीर्षो/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
01	अन्य आवास			
001	निदेशन तथा प्रशासन			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
1027	आर एंड बी विभाग जम्मू		3,08,21.12	
1028	आर एंड बी विभाग कश्मीर		3,00,00.00	
5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
03	राज्य के राजमार्ग			
101	पुल			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
2181	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) मार्ग		4,79,24.30	
05	सड़कें			
337	सड़क कार्य			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
2229	केंद्रीय सड़क निधि		75,30.47	
9.	निम्नलिखित शीर्षो/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
05	सड़कें			
337	सड़क कार्य			
0011	सामान्य			
0515	निर्माण		4,49,68.50	
10.	तथापि प्रावधान का कोई भी हिस्सा मुख्य शीर्ष 3054-सड़कों तथा पुलों के अंतर्गत आरक्षित निधि जमा लेखे में हस्तांतरण के लिए अलग से स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं किया गया था, फिर भी ₹ 3,44,75.00 लाख की राशि निधि लेखे में हस्तांतरित की गई थी, जो कि राजस्व क्षेत्र में प्रावधान से आधिक्य होने के परिणामस्वरूप था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे।			

अनुदान संख्या 16 (जारी)

11.	उचंत संव्यवहार: - अनुदान में व्यय शीर्ष 'उचंत' के अंतर्गत ₹ शून्य लाख शामिल हैं। अनुदान सं. 5-लक्षाख मामलों के विभाग के नोट 5 में उचंत शीर्ष तथा लेखा प्रक्रिया के अंतर्गत संव्यवहार की प्रकृति को समझाया गया है। इस अनुदान में 2018-19 के दौरान शीर्ष के अंतर्गत संव्यवहार का विश्लेषण एक साथ आरंभिक तथा अंत शेष के साथ नीचे दिया गया है:				
	मुख्य लेखा शीर्ष/ विवरण	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	डेबिट 2018-2019	क्रेडिट 2018-2019	31 मार्च 2019 को अंत शेष
(₹ लाख में)					
2059-लोक निर्माण -					
	खरीद	(-)13,48.51	-	-	(-)13,48.51
	भंडार	47,09.42			47,09.42
	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	9,03.02	-	-	9,03.02
	कार्यशाला उचंत	0.28	-	-	0.28
	कुल	42,64.21			42,64.21
2216-आवास-					
	खरीद	(-)9.37	-	-	(-)9.37
	भंडार	61.60	-	-	61.60
	विविध लोक निर्माण अग्रिम	0.89	-	-	0.89
	कार्यशाला उचंत	(-)2.09	-	-	(-)2.09
	कुल	51.03			51.03
3054-सड़कें तथा पुल -					
	खरीद	(-)1,17.88	-	-	(-)1,17.88
	भंडार	(-)3,76.99	-	-	(-)3,76.99
	विविध लोक निर्माण अग्रिम	1,11.05	-	-	1,11.05
	कार्यशाला उचंत	0.01	-	-	0.01
	कुल	(-)3,83.81			(-)3,83.81
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-					
	खरीद	-	-	-	-
	भंडार	0.11	-	-	0.11
	विविध लोक निर्माण अग्रिम	-	-	-	-
	कार्यशाला उचंत	-	-	-	-
	कुल	0.11			0.11
5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजी परिव्यय-					
	खरीद	1.44	-	-	1.44
	भंडार	4.63	-	-	4.63
	विविध लोक निर्माण अग्रिम	(-)1.00	-	-	(-)1.00
	कार्यशाला उचंत	-	-	-	-
	कुल	5.07			5.07

अनुदान संख्या 16 (समाप्त)

12.	लोक निर्माण विभाग के उपकरण तथा संयंत्र, स्थापना प्रभार की समीक्षा:- 2016-17 से 2018-19 के दौरान लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए उपकरण तथा संयंत्र की स्थापना पर व्यय का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है (अन्य विभागों, बाहरी निकायों आदि के लिए किए गए पर्यवेक्षण शुल्क के लिए 1955 में सरकार द्वारा प्रतिशत निर्धारित की गई है जो स्थापना प्रभार के लिए 7.5 से 15 के बीच होता है तथा निर्माण की लागत के आधार पर उपकरण तथा संयंत्र प्रभार के लिए 0.5 तथा 1 के बीच होता है)।					
मुख्य लेखा शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	उपकरण तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए उपकरण तथा संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत	
(₹ लाख में)						
2059-लोक निर्माण "क"						
2016-17	30,67.49	4,64,03.65	15,12.76	19.96	0.65	
2017-18	29,85.41	4,92,71.08	16,50.40	25.60	0.09	
2018-19	33,30.56	7,15,68.51	21,48.84	10.64	0.32	
2216-आवास						
2016-17	46,21.87	40,55.94	87.76	2,11.73	6.01	
2017-18	3,34.67	-	-	-	-	
2018-19	7,71.79	-	-	-	-	
3054-सड़कें तथा पुल						
2016-17	54,52.02	6,41,22.64	11,76.13			
2017-18	-	-	-	-	-	
2018-19	1,00,24.85	16,38,19.48	16,34.13	-	-	
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय "ख"						
2016-17	6,64,87.60	-	-	1,77.99	0.27	
2017-18	2,45,37.11	-	-	-	-	
2018-19	3,04,43.36	-	-	-	-	
5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय						
2016-17	5,90,70.27	-	-	-	-	
2017-18	15,65,72.00	-	-	-	-	
2018-19	7,98,69.81	-	-	-	-	
13.	केंद्रीय सड़क निधि (आर्थिक सहायता)					
	<p>सड़क विकास के लिए निर्धारित मोटर स्पिरिट्स पर उत्पाद शुल्क की आय में से, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि नाम से एक निधि का गठन किया है। इस राशि में से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के लेखे में सहायता-अनुदान (सीआरएफ आर्थिक सहायता) जमा करके राज्य सरकार को आबंटित की जाती है। आबंटन को मुख्य शीर्ष 8449- में जमा किया गया है, अन्य जमा आर्थिक सहायता को केंद्रीय सड़क निधि से कोन्ट्रा डेबिट द्वारा मुख्य शीर्ष 3054 - सड़क तथा पुलों को दिया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत इस तरह के व्यय का आवंटन (आरक्षित के अलावा) से बाहर से किया जाना है तथा जमा शीर्ष अर्थात् 8449- केंद्रीय जमा निधि से अन्य जमा आर्थिक सहायता के बराबर राशि हस्तांतरित करके सेट ऑफ किया गया है।</p> <p>वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सरकार को ₹ 3,44,75.00 लाख का कुल आबंटन किया गया, जिसके प्रति राज्य सरकार द्वारा मार्च 2019 के अंत तक ₹ 5,24,66.00 लाख का अंत शेष छोड़ते हुए ₹ 2,99,48.00 लाख की वास्तविक राशि वितरित की गई।</p>					

अनुदान संख्या 17 - स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2210 चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य

2211 परिवार कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	27,95,13,17	35,49,39,54	(-)1,76,23,72
	37,25,63,26		
अनुपूरक	9,30,50,09		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4210 चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
दत्तमत			
मूल	7,33,80,29	8,74,35,58	(+)20,76,69
	8,53,58,89		
अनुपूरक	1,19,78,60		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 9,30,50.09 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 1,76,23.72 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,76,23.72 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष भी ₹ 1,48,60.55 लाख की बचत हुई थी।				
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य				
<i>01</i>	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0558	जिला चिकित्सा सुविधाएं जम्मू				
	मूल	57,84.20			
	अनुपूरक	12,39.50	70,23.70	69,04.17	(-)1,19.53
0602	राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन जम्मू				
	मूल	2,34.36			
	अनुपूरक	3.00	2,37.36	2,10.97	(-)26.39

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य			
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य			
0610	जिला टी.बी. अधिकारी तथा क्लिनिक जम्मू			
	मूल	8,21.56		
	अनुपूरक	2,40.40	10,61.96	
			10,37.00	
			(-)24.96	
0618	जिला चिकित्सा अधिकारी जम्मू (एच एस)			
	मूल	5,72.73		
	अनुपूरक	1,56.40	7,29.13	
			6,44.37	
			(-)84.76	
0636	निदेशन तथा प्रशासन जम्मू			
	मूल	96,30.77		
	अनुपूरक	34,76.20	1,31,06.97	
			1,28,32.09	
			(-)2,74.88	
0638	निदेशन कार्यालय कश्मीर (डी एच एस के)			
	मूल	1,27,05.37		
	अनुपूरक	31,72.83	1,58,78.20	
			1,49,10.81	
			(-)9,67.39	
104	चिकित्सा भंडार डिपो			
0099	सामान्य			
0598	चिकित्सा भंडार विभाग कश्मीर			
	मूल	1,58.70		
	अनुपूरक	45.00	2,03.70	
			1,91.59	
			(-)12.11	
1279	चिकित्सा भंडार विभाग जम्मू			
	मूल	2,36.41		
	अनुपूरक	58.00	2,94.41	
			2,63.88	
			(-)30.53	
109	विद्यालय स्वास्थ्य योजना			
0099	सामान्य			
0591	विद्यालय स्वास्थ्य योजना जम्मू			
	मूल	42.25		
	अनुपूरक	27.00	69.25	
			55.04	
			(-)14.21	
0643	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं विद्यालय स्वास्थ्य कश्मीर			
	मूल	1,18.00		
	अनुपूरक	48.00	1,66.00	
			1,60.43	
			(-)5.57	

अनुदान संख्या 17(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य			
<i>01</i>	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी</i>			
110	अस्पताल तथा औषधालय			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य			
0557	सी डी अस्पताल जम्मू			
	मूल	13,73.37		
	अनुपूरक	2,56.61	16,29.98	
			14,26.72	
			(-)2,03.26	
0559	चितरंजन दास मोबाइल अस्पताल			
	मूल	4,01.65		
	अनुपूरक	47.00	4,48.65	
			3,55.84	
			(-)92.81	
0562	नए दवाखानों का सुधार तथा आरंभ			
	मूल	32,71.00		
	अनुपूरक	22,97.30	55,68.30	
			53,16.30	
			(-)2,52.00	
0567	हड्डी जॉइंट सर्जरी के लिए सरकारी अस्पताल श्रीनगर			
	मूल	20,84.37		
	अनुपूरक	3,36.22	24,20.59	
			22,05.73	
			(-)2,14.86	
0568	लल देव महिलाओं के लिए अस्पताल श्रीनगर			
	मूल	37,82.77		
	अनुपूरक	13,69.80	51,52.57	
			44,02.24	
			(-)7,50.33	
0576	नए औषधालयों का सुधार तथा आरंभ			
	मूल	3,40.73		
	अनुपूरक	81.60	4,22.33	
			3,63.94	
			(-)58.39	
0585	उप जिला अस्पताल जम्मू			
	मूल	75,84.28		
	अनुपूरक	29,56.50	1,05,40.78	
			1,02,86.25	
			(-)2,54.53	
0622	उप जिला अस्पताल कश्मीर			
	मूल	1,27,39.17		
	अनुपूरक	31,03.65	1,58,42.82	
			1,53,21.77	
			(-)5,21.05	
0625	एस एम एच एस अस्पताल श्रीनगर			
	मूल	99,59.70		
	अनुपूरक	4,92.44	1,04,52.14	
			89,67.76	
			(-)14,84.38	
				वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य			
<i>01</i>	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी</i>			
110	अस्पताल तथा औषधालय			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य			
0660	सी डी अस्पताल श्रीनगर			
	मूल	13,50.15		
	अनुपूरक	3,97.35	17,47.50	
			15,30.12	
			(-)2,17.38	
0662	सरकारी मनोरोग अस्पताल जम्मू			
	मूल	5,01.37		
	अनुपूरक	90.45	5,91.82	
			5,16.55	
			(-)75.27	
0678	सहयोगी अस्पताल श्रीनगर			
	मूल	1,74.03		
	अनुपूरक	41.08	2,15.11	
			1,85.91	
			(-)29.20	
0680	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू			
	मूल	71,80.73		
	अनुपूरक	25,94.12	97,74.85	
			83,57.48	
			(-)14,17.37	
0688	सरकारी मनोरोग अस्पताल श्रीनगर			
	मूल	7,37.37		
	अनुपूरक	3,94.98	11,32.35	
			9,39.96	
			(-)1,92.39	
1293	एस एम जी एस अस्पताल जम्मू			
	मूल	54,47.00		
	अनुपूरक	14,44.81	68,91.81	
			59,05.26	
			(-)9,86.55	
1553	बच्चों का अस्पताल श्रीनगर			
	मूल	14,99.49		
	अनुपूरक	3,14.46	18,13.95	
			16,45.27	
			(-)1,68.68	
1758	सनत नगर अस्पताल			
	मूल	1,83.20		
	अनुपूरक	41.92	2,25.12	
			1,59.00	
			(-)66.12	
1764	जी.बी. पंत अस्पताल			
	मूल	11,08.52		
	अनुपूरक	5,74.74	16,83.26	
			11,27.97	
			(-)5,55.29	

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
2210	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी					
110	अस्पताल तथा औषधालय			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
2261	चितरंजन दास मोबाइल अस्पताल					
	मूल	61.26				
	अनुपूरक	10.37	71.63	44.14	(-)27.49	
200	अन्य स्वास्थ्य योजना			निर्माण घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0641	एकीकरण बाल विकास योजनाएं जम्मू					
	मूल	5,20.80				
	अनुपूरक	2,50.00	7,70.80	6,92.37	(-)78.43	
800	अन्य व्यय			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं					
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन					
	मूल	3,00,00.00				
	अनुपूरक	69,00.00	3,69,00.00	3,22,77.66	(-)46,22.34	
02	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ					
101	आयुर्वेद			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0667	यूनानी तथा आयुर्वेदिक औषधालय कश्मीर (आई एस एम)					
	मूल	52,79.79				
	अनुपूरक	17,47.18	70,26.97	65,26.91	(-)5,00.06	
0681	निदेशन तथा प्रशासन (निदेशक आई एस एम जम्मू एवं कश्मीर)			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय		
	मूल	7,93.20				
	अनुपूरक	6.30	7,99.50		6,94.86	(-)1,04.64
1315	बिस्तर अस्पताल आयुर्वेदिक जम्मू					
	मूल	3,48.20				
	अनुपूरक	..	3,48.20	2,93.45	(-)54.75	
103	यूनानी			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0694	चिकित्सा भंडार आई एस एम कश्मीर					
	मूल	39.50				
	अनुपूरक	1,51.21	1,90.71	1,36.81	(-)53.90	
1837	चिकित्सा भंडार आई एस एम जम्मू					
	मूल	43.73				
	अनुपूरक	62.73	1,06.46		86.67	(-)19.79

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य			
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
101	स्वास्थ्य उप केंद्र			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य			
0580	उप केंद्र कश्मीर			
	मूल	62,84.00		
	अनुपूरक	25,87.00	88,71.00	
			86,76.31	
			(-)1,94.69	
0581	उप केंद्र जम्मू			
	मूल	46,53.75		
	अनुपूरक	35,40.34	81,94.09	
			77,51.02	
			(-)4,43.07	
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मूल सेवाएं)			
0099	सामान्य			
0644	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीनगर			
	मूल	1,98,50.08		
	अनुपूरक	55,77.21	2,54,27.29	
			2,50,52.81	
			(-)3,74.48	
0649	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आर एस पोरा (चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू)			
	मूल	3,13.60		
	अनुपूरक	91.60	4,05.20	
			3,95.73	
			(-)9.47	
2262	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जम्मू (कोट भालवाल)			
	मूल	1,29,01.27		
	अनुपूरक	32,55.29	1,61,56.56	
			1,58,26.21	
			(-)3,30.35	
2356	ब्लॉक विकास परिषद्			एम एंड आर के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय
	मूल	15.00		
	अनुपूरक	..	15.00	
			1.24	
			(-)13.76	
110	अस्पताल तथा औषधालय			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य			
0576	नए औषधालयों का सुधार तथा आरंभ			
	मूल	57,22.35		
	अनुपूरक	14,77.40	71,99.75	
			68,89.74	
			(-)3,10.01	
0577	मोबाइल चिकित्सा इकाई जम्मू			
	मूल	1,51.88		
	अनुपूरक	57.74	2,09.62	
			1,92.59	
			(-)17.03	
0696	यूनानी आयुर्वेदिक औषधालय जम्मू			
	मूल	48,36.58		
	अनुपूरक	9,28.46	57,65.04	
			54,62.66	
			(-)3,02.38	

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तिताँ	
	(₹ लाख में)				
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य				
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी				
200	अन्य स्वास्थ्य योजना			जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति कम जारी	
0099	सामान्य				
2256	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन				
	मूल	30,00.00			
	अनुपूरक	11,00.00	41,00.00	15,00.00	(-)26,00.00
05	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				
105	एलोपैथी			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0166	चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू				
	मूल	1,69,73.74			
	अनुपूरक	55,69.52	2,25,43.26	1,76,37.16	(-)49,06.10
05	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				
105	एलोपैथी			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0305	चिकित्सा महाविद्यालय श्रीनगर				
	मूल	1,40,43.26			
	अनुपूरक	60,50.90	2,00,94.16	1,77,71.25	(-)23,22.91
0586	शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान (हजान ब्लॉक)				
	मूल	12,25.30			
	अनुपूरक	6,52.50	18,77.80	14,79.59	(-)3,98.21
0590	चिकित्सा विज्ञान संस्थान श्रीनगर				
	मूल	3,49,12.10			
	अनुपूरक	80,55.79	4,29,67.89	3,53,94.27	(-)75,73.62
0592	ए एम टी विद्यालय श्रीनगर				
	मूल	2,20.94			
	अनुपूरक	20.43	2,41.37	2,12.89	(-)28.48
0679	प्रिंसिपल डेंटल महाविद्यालय श्रीनगर				
	मूल	25,36.86			
	अनुपूरक	2,53.00	27,89.86	25,81.49	(-)2,08.37
0682	ए एम टी विद्यालय जम्मू				
	मूल	3,34.52			
	अनुपूरक	85.10	4,19.62	3,86.16	(-)33.46

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
05	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105	एलोपैथी			
0099	सामान्य			
1544	प्रिंसिपल एस के आई एम एस चिकित्सा महाविद्यालय बेमिना श्रीनगर			
	मूल	70,16.47		
	अनुपूरक	33,18.73	1,03,35.20	78,48.61
				(-)24,86.59
2023	डेंटल महाविद्यालय जम्मू			
	मूल	17,83.96		
	अनुपूरक	3,82.32	21,66.28	18,56.82
				(-)3,09.46
2453	नए चिकित्सा महाविद्यालय			
	मूल	..		
	अनुपूरक	46,57.30	46,57.30	2,21.03
				(-)44,36.27
06	जन-स्वास्थ्य			
101	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
0099	सामान्य			
0584	मूल स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण			
	मूल	26,90.00		
	अनुपूरक	6,10.10	33,00.10	32,24.92
				(-)75.18
0603	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जम्मू			
	मूल	19,23.26		
	अनुपूरक	7,84.07	27,07.33	25,95.63
				(-)1,11.70
1277	दृष्टि क्षीणता तथा दृष्टिहीनता नियंत्रण जम्मू			
	मूल	5,44.90		
	अनुपूरक	4,68.63	10,13.53	9,02.19
				(-)1,11.34
1300	एस ई टी चिकित्सा (एस पी एम)			
	मूल	5,25.60		
	अनुपूरक	2,35.00	7,60.60	7,32.25
				(-)28.35

वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 17(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तिताँ		
	(₹ लाख में)					
2210	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
06	जन-स्वास्थ्य					
102	खाद्य अपमिश्रण का निवारण			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0648	खाद्य प्रयोगशालाएं कश्मीर					
	मूल	89.12				
	अनुपूरक	0.40	89.52	62.25	(-)27.27	
104	औषधि नियंत्रण			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0654	उप नियंत्रक औषधि तथा खाद्य जम्मू					
	मूल	4,03.33				
	अनुपूरक	2,60.42	6,63.75		5,18.68	(-)1,45.07
0658	उप नियंत्रक तथा खाद्य नियंत्रण संगठन कश्मीर			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
	मूल	4,37.25				
	अनुपूरक	1,61.55	5,98.80		5,93.08	(-)5.72
1294	नियंत्रक औषधि तथा खाद्य जम्मू एवं कश्मीर नियंत्रण संगठन					
	मूल	1,90.51				
	अनुपूरक	1,56.16	3,46.67	3,12.26	(-)34.41	
107	जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0626	मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी					
	मूल	87.74				
	अनुपूरक	18.41	1,06.15		78.21	(-)27.94
0676	जिला मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
	मूल	1,38.95				
	अनुपूरक	3.92	1,42.87		1,29.02	(-)13.85
0689	मुफ़सिल स्वच्छता निवारक संगठन सेट केंद्र केंद्रीय प्रयोगशाला, श्रीनगर					
	मूल	74.00				
	अनुपूरक	1.00	75.00	61.45	(-)13.55	
2267	जिला मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी - नियंत्रक औषधि तथा खाद्य नियंत्रण संगठन			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
	मूल	1,86.63				
	अनुपूरक	65.32	2,51.95		2,22.64	(-)29.31

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य				
06	जन-स्वास्थ्य				
112	जन-स्वास्थ्य शिक्षा			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1545	स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कश्मीर				
	मूल	65.00			
	अनुपूरक	..	65.00	45.55	(-)19.45
200	अन्य प्रणालियां			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0620	रहबर-ए-सेहत जम्मू				
	मूल	2,13.20			
	अनुपूरक	1,15.20	3,28.40	3,06.46	(-)21.94
2211	परिवार कल्याण				
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
2204	निदेशक परिवार कल्याण				
	मूल	9,48.66			
	अनुपूरक	4,45.89	13,94.55	6,68.31	(-)7,26.24
2509	आयुष्मान भारत (ए बी - पी एम जे ए वाई)			जी आई ए के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	..			
	अनुपूरक	7,50.00	7,50.00		3,23.75
003	प्रशिक्षण			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2204	निदेशक परिवार कल्याण				
	मूल	1,57.52			
	अनुपूरक	..	1,57.52	1,18.31	(-)39.21
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
2204	निदेशक परिवार कल्याण				
	मूल	29,75.68			
	अनुपूरक	6,12.97	35,88.65	30,10.13	(-)5,78.52

अनुदान संख्या 17 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी					
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन के संबंध में बी ई तथा अनुपूरक अनुदान से आधिक्य।	
0099	सामान्य					
0579	गांधी नगर अस्पताल जम्मू					
	मूल	9,71.94				
	अनुपूरक	6,32.26	16,04.20	16,90.46		(+)86.26
06	जन-स्वास्थ्य					
102	खाद्य अपमिश्रण का निवारण					
0099	सामान्य					
2480	खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण कश्मीर					
	मूल	39.11				
	अनुपूरक	8.89	48.00	56.51	(+)8.51	
104	औषधि नियंत्रण					
0099	सामान्य					
2265	मोबाइल चिकित्सा सहायता केंद्र कश्मीर-नियंत्रक औषधि तथा खाद्य नियंत्रण संगठन					
	मूल	20.70				
	अनुपूरक	10.30	31.00	36.43	(+)5.43	
06	जन-स्वास्थ्य					
200	अन्य प्रणालियां				वेतन के संबंध में बी ई तथा अनुपूरक अनुदान से आधिक्य।	
0099	सामान्य					
0565	रहबर-ए-सेहत कश्मीर					
	मूल	1,65.50				
	अनुपूरक	57.00	2,22.50	2,32.65	(+)10.15	
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी					
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
2356	ब्लॉक विकास परिषद्			13.00		

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य				
06	जन-स्वास्थ्य				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
2268	मंडलीय पोषण संगठन कश्मीर-नियंत्रक औषधि तथा खाद्य नियंत्रण संगठन			12.22	
2211	परिवार कल्याण				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2509	आयुष्मान भारत (ए बी -पी एम जे ए वाई)			45,56.00	
5.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य				
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
0560	चिकित्सा सहायता केंद्र कश्मीर (डी एच एस के)			12.84	
0614	जिला टी बी अधिकारी तथा टी बी क्लीनिक कश्मीर			70.14	
0627	जिला चिकित्सा सुविधाएं कश्मीर			1.80	
0634	राज्य टी बी कार्यालय, कश्मीर			12.09	
1307	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कश्मीर जे एल एन एम अस्पताल श्रीनगर			1,70.40	
1522	जिला चिकित्सा अधिकारी कश्मीर			1.98	
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी				
110	अस्पताल तथा औषधालय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2504	केसर पर राष्ट्रीय मिशन			2,00.00	
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन			2,20,28.00	
2211	परिवार कल्याण				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1651	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो			5,74.67	

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
2211	परिवार कल्याण		
004	अनुसंधान तथा मूल्यांकन		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
1654	ए एन एम / एल एच वी / ए एम टी स्कूलों का प्रशिक्षण	4,28.02	
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
0581	उप केंद्र जम्मू	37,46.04	
1769	राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो	53.19	
102	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
1770	शहरी परिवार कल्याण केंद्र	1,33.97	
800	अन्य व्यय		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
0581	उप केंद्र जम्मू	24,98.39	
1651	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो	8,19.66	
1652	ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र	76.03	
1769	शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो	3,87.36	

पूँजीगत खंड

6.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 1,19,78.60 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 20,76.69 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, जिसे नियमित किए जाने की आवश्यकता है।				
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे।[नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय				
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं				
800	अन्य व्यय			निर्माण के संबंध में अनुपूरक अनुदान तथा बी ई से आधिक्य	
0011	सामान्य				
1537	निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर				
	मूल	35,65.00			
	अनुपूरक	3,35.00	39,00.00	1,26,99.32 (+)87,99.32	
1543	चिकित्सा संस्थान				
	मूल	25,86.00			
	अनुपूरक	..	25,86.00	30,94.85 (+)5,08.85	

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
01	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i>				
800	अन्य व्यय			निर्माण के संबंध में अनुपूरक अनुदान तथा बी ई से आधिक्य।	
0011	सामान्य				
1544	झेलम वैली चिकित्सा महाविद्यालय				
	मूल	8,00.00			
	अनुपूरक	8,50.00	16,50.00	47,99.31	(+)31,49.31
03	<i>चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>				
200	अन्य प्रणालियां			विभिन्न विस्तृत शीर्षों के संबंध में बी ई के बिना व्यय।	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0192	आयुष योजनाओं का कार्यान्वयन				
	मूल	6,00.00			
	अनुपूरक	..	6,00.00	6,69.10	(+)69.10
8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
01	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i>				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष के 115 निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
0166	चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू				
	मूल	13,60.00			
	अनुपूरक	..	13,60.00	12,14.78	(-)1,45.22
0305	चिकित्सा महाविद्यालय श्रीनगर				
	मूल	21,10.00			
	अनुपूरक	..	21,10.00	19,63.76	(-)1,46.24
1536	निदेशक स्वास्थ्य जम्मू				
	मूल	34,60.00			
	अनुपूरक	4,43.00	39,03.00	27,60.91	(-)11,42.09
1538	औषधि तथा खाद्य नियंत्रण				
	मूल	2,05.29			
	अनुपूरक	..	2,05.29	1,81.95	(-)23.34

अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>01</i>	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i>			
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष के 115 निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1539	भारतीय चिकित्सा पद्धति (आई एस एम)			
	मूल	8,00.00		
	अनुपूरक	..	8,00.00	
			2,96.68	
			(-)5,03.32	
1540	डेंटल महाविद्यालय श्रीनगर			
	मूल	4,34.00		
	अनुपूरक	..	4,34.00	
			2,32.15	
			(-)2,01.85	
1541	सहयोगी अस्पताल श्रीनगर			
	मूल	9,45.00		
	अनुपूरक	..	9,45.00	
			9,36.86	
			(-)8.14	
1542	सहयोगी अस्पताल जम्मू			
	मूल	8,50.00		
	अनुपूरक	..	8,50.00	
			3,85.59	
			(-)4,64.41	
2023	सरकारी डेंटल अस्पताल जम्मू			
	मूल	7,09.00		
	अनुपूरक	..	7,09.00	
			6,89.39	
			(-)19.61	
<i>02</i>	<i>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं</i>			
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र			विस्तृत शीर्ष के 115 निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
0515	निर्माण			
	मूल	3,58,00.00		
	अनुपूरक	..	3,58,00.00	
			9,90.43	
			(-)3,48,09.57	
<i>03</i>	<i>चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>			
105	एलोपैथी			विस्तृत शीर्ष के 115 निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
2453	नए चिकित्सा महाविद्यालय			
	मूल	..		
	अनुपूरक	37,00.00	37,00.00	
			30,65.92	
			(-)6,34.08	

अनुदान संख्या 17 (जारी)

9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं				
200	अन्य स्वास्थ्य सेवाएं				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन			1,58,06.00	
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्र प्रायोजित योजना				
1539	आई एस एम			5,00.00	
03	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				
105	एलोपैथी				
0011	सामान्य				
2517	हस्त कला का विकास			66,50.60	
200	अन्य प्रणालियां				
0011	सामान्य				
0192	आयुष योजनाओं का कार्यान्वयन			67.00	
04	जन-स्वास्थ्य				
101	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1530	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम			12,83.00	
10.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं				
103	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0590	चिकित्सा विज्ञान संस्थान सौरा श्रीनगर			1.20	
02	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं				
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2215	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			2,27,89.71	

अनुदान संख्या 17 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03	<i>चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>	
105	एलोपैथी	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना	
1654	ए एन एम / एल एच वी / ए एम टी विद्यालयों का प्रशिक्षण	15,90.41
2453	नए चिकित्सा महाविद्यालय	2,49,73.63
04	<i>जन-स्वास्थ्य</i>	
101	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना	
1881	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	2,85.42
107	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना	
1538	औषधि तथा खाद्य नियंत्रण	9,20.71
2481	राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	13,93.50

अनुदान संख्या 18 - समाज कल्याण विभाग

राजस्व-

प्रमुख शीर्ष

2055 पुलिस

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236 पोषण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	14,97,30,99	13,84,62,00	(-)4,03,97,36
		17,88,59,36	
अनुपूरक	2,91,28,37		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूँजीगत

प्रमुख शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4236 पोषण पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
दत्तमत			
मूल	3,56,15,58	34,19,34	(-)3,21,96,24
		3,56,15,58	
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 2,91,28.37 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय ₹ 14,97,30.99 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 4,03,97.36 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 4,03,97.36 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2055	पुलिस				
117	आंतरिक सुरक्षा				किए गए व्यय के परिप्रेक्ष्य में अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
0957	आंतरिक सुरक्षा				
	मूल	2,20.62			
	अनुपूरक	5,80.18	8,00.80	94.31	(-)7,06.49

अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
105	विशेष जांच आयोग			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य			
0502	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग			
	मूल	1,69.61		
	अनुपूरक	53.50	2,23.11	
			1,77.96	
				(-)45.15
1791	राज्य महिला आयोग			
	मूल	1,70.90		
	अनुपूरक	10.00	1,80.90	
			1,57.11	
				(-)23.79
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
03	<i>पिछड़ा वर्ग का कल्याण</i>			
102	आर्थिक विकास			वजीफा तथा छात्रवृत्ति के संबंध में बी ई से कम व्यय।
0099	सामान्य			
1827	अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण			
	मूल	21,65.50		
	अनुपूरक	4.64	21,70.14	
			18,69.12	
				(-)3,01.02
1828	पहाड़ी बोलने वाले लोगों का कल्याण			
	मूल	20,86.50		
	अनुपूरक	21.00	21,07.50	
			19,57.89	
				(-)1,49.61
2324	अन्य पिछड़े वर्गों का विकास			वेतन के संबंध में बी ई से कम व्यय।
	मूल	1,65.35		
	अनुपूरक	11.73	1,77.08	
			1,25.62	
				(-)51.46
277	शिक्षा			विभिन्न विस्तृत शीर्षों के संबंध में अप्रयुक्त बजट।
0099	सामान्य			
1080	मरकज़ बाहबूदी ख्वातीन मिसकिन बाग की स्थापना			
	मूल	1,39.27		
	अनुपूरक	1,40.00	2,79.27	
			1,40.00	
				(-)1,39.27
1094	गुजर तथा बकरवाल छात्रावास मिसकिन बाग श्रीनगर			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
	मूल	33.50		
	अनुपूरक	35.00	68.50	
			35.00	
				(-)33.50

अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
1099	महिला व्यावसायिक केंद्र जम्मू					
	मूल	71.62				
	अनुपूरक	20.36	91.98	72.77	(-)19.21	
2036	कुटीर उद्योग विकास केंद्र, जम्मू			अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।		
	मूल	3,26.98				
	अनुपूरक	48.64	3,75.62		2,15.48	(-)1,60.14
2037	कुटीर उद्योग विकास केंद्र, कश्मीर			अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।		
	मूल	1,53.73				
	अनुपूरक	8.27	1,62.00		1,36.50	(-)25.50
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण					
01	पुनर्वास					
202	अन्य पुनर्वास योजना			अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
2433	जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्वास परिषद					
	मूल	1,16.00				
	अनुपूरक	36.60	1,52.60	1,00.00	(-)52.60	
02	समाज कल्याण					
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0244	निदेशन तथा प्रशासन					
	मूल	49.20				
	अनुपूरक	82.59	1,31.79		73.82	(-)57.97
1092	जिला स्तरीय अधिकारी कश्मीर					
	मूल	6,81.52				
	अनुपूरक	1,06.34	7,87.86		7,64.99	(-)22.87
1106	तहसील स्तरीय अधिकारी कश्मीर					
	मूल	6,67.69				
	अनुपूरक	35.89	7,03.58	6,92.68	(-)10.90	
2038	निदेशन तथा प्रशासन कश्मीर					
	मूल	3,53.02				
	अनुपूरक	91.68	4,44.70	4,13.81	(-)30.89	

अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
02	समाज कल्याण				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
2039	निदेशन तथा प्रशासन जम्मू			जी आई ए, एम एंड एस तथा विद्युत प्रभारों के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	3,88.00			
	अनुपूरक	88.20			
	पुनर्विनियोजन	7.10	4,83.30	3,98.82	(-)84.48
2280	जिला स्तरीय अधिकारी / जम्मू			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	4,16.84			
	अनुपूरक	76.69	4,93.53		4,43.40
2281	तहसील स्तरीय अधिकारी / जम्मू				
	मूल	6,88.80			
	अनुपूरक	93.66	7,82.46		7,40.43
101	दिव्यांगों का कल्याण				
0099	सामान्य				
1082	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय				
	मूल	54.66			
	अनुपूरक	18.48	73.14	59.24	(-)13.90
102	बाल कल्याण			बी ई के प्रति कम निर्गम	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2443	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ				
	मूल	81.00			
	अनुपूरक	..	81.00	29.64	(-)51.36
2447	एकीकृत बाल संरक्षण योजना			जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति कम निर्गम	
	मूल	24,03.00			
	अनुपूरक	6,96.00	30,99.00		12,41.81
0099	सामान्य			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0379	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम				
	मूल	6,03.36			
	अनुपूरक	1.63	6,04.99	4,61.18	(-)1,43.81
2044	बाल आश्रम कश्मीर की स्थापना			वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	3,01.19			
	अनुपूरक	35.72	3,36.91		2,79.70

अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02	समाज कल्याण			
0099	सामान्य			
2045	बाल आश्रम जम्मू की स्थापना			
	मूल	3,48.77		
	अनुपूरक	62.70	4,11.47	3,58.18 (-)53.29
103	महिला कल्याण			
0099	सामान्य			
2040	समाज कल्याण केंद्र कश्मीर			
	मूल	7,42.51		
	अनुपूरक	1,40.62	8,83.13	8,61.15 (-)21.98
2041	समाज कल्याण केंद्र जम्मू			
	मूल	9,81.70		
	अनुपूरक	2,08.03	11,89.73	10,07.50 (-)1,82.23
2042	निराश्रित तथा निर्जन महिलाओं के लिए नारी निकेतन आवास कश्मीर			
	मूल	1,27.34		
	अनुपूरक	36.22	1,63.56	1,41.50 (-)22.06
2043	निराश्रित महिलाओं के लिए नारी निकेतन आवास कश्मीर जम्मू			
	मूल	2,50.95		
	अनुपूरक	10.80	2,61.75	2,29.62 (-)32.13
2461	स्वधार गृह योजना			
	मूल	31.10		
	अनुपूरक	..	31.10	23.33 (-)7.78
104	वृद्ध, दुर्बल तथा बेसहाराओं का कल्याण			
0099	सामान्य			
1101	वृद्धावस्था पेंशन (ओ ए पी) (आई एस एस एस) बच्चे कश्मीर			
	मूल	3,61,03.71		
	अनुपूरक	..	3,61,03.71	3,60,07.10 (-)96.61
2048	अध्यक्ष राज्य बोर्ड (100%)			
	मूल	65.24		
	अनुपूरक	..	65.24	25.00 (-)40.24
2282	वृद्धावस्था पेंशन (ओ ए पी) (आई एस एस एस) बच्चे जम्मू			
	मूल	2,79,53.00		
	अनुपूरक	1,01.00	2,80,54.00	2,70,81.47 (-)9,72.53

वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।

जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।

पेंशन लाभों के संबंध में बजट अनुमानों के प्रति कम व्यय।

राज्य शेयर के प्रति कम निर्गम।

पेंशन लाभों के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।

अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
02	समाज कल्याण				
104	वृद्ध, दुर्बल तथा बेसहारी का कल्याण			जी आई ए के अंतर्गत पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ।	
0099	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2429	आसरा				
	मूल	1,00.00			
	अनुपूरक	..			
	पुनर्विनियोजन	(-)7.10	92.90	48.51	(-)44.39
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम				
800	अन्य व्यय			पेंशन लाभों के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2047	निगरानी तथा मूल्यांकन कक्ष जम्मू				
	मूल	25.58			
	अनुपूरक	..	25.58	17.02	(-)8.56
2236	पोषण				
02	पौष्टिक भोजन तथा पेय पदार्थों का वितरण				
101	विशेष पोषण कार्यक्रम			मुख्य शीर्ष 2236-पोषण के अंतर्गत गलत बजट।	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1287	एकीकृत बाल विकास योजना				
	मूल	6,00,00.00			
	अनुपूरक	1,69,70.00	7,69,70.00	53.33	(-)7,69,16.67
0099	सामान्य			वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
1287	एकीकृत बाल विकास योजना				
	मूल	45,21.02			
	अनुपूरक	50,53.08	95,74.10		76,71.79
80	सामान्य				
101	विशेष पोषण कार्यक्रम			मानदेय घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1839	प्रयुक्त पोषण कार्यक्रम जम्मू				
	मूल	9,45.26			
	अनुपूरक	..	9,45.26	7,25.51	(-)2,19.75
2307	प्रयुक्त पोषण कश्मीर				
	मूल	11,90.08			
	अनुपूरक	..	11,90.08		10,67.26

अनुदान संख्या 18 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
02	<i>समाज कल्याण</i>				
102	बाल कल्याण				जी आई ए के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
2447	एकीकृत बाल संरक्षण योजना				
	मूल	2,67.00			
	अनुपूरक	78.00	3,45.00	4,63.12	(+)1,18.12
103	महिला कल्याण				जी आई ए के रूप में किया गया व्यय। डी एफ जी में डी एच के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2461	स्वधार गृह योजना				
	मूल	47.00			
	अनुपूरक	..	47.00	4,47.85	(+)4,00.85
60	<i>अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>				
800	अन्य व्यय				जी आई ए के रूप में किए गए व्यय। डी एफ जी में डी एच के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2372	महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन				
	मूल	63.00			
	अनुपूरक	..	63.00	91.13	(+)28.13
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त बना रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। (नवंबर 2019)				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
02	<i>समाज कल्याण</i>				
102	बाल कल्याण				
0099	सामान्य				
2443	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ			9.00	

अनुदान संख्या 18 (जारी)

5.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
01	<i>पुनर्वास</i>				
102	आर्थिक विकास				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2243	विशेष घटक योजना एस सी / एस टी			2,57.48	
02	<i>अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>				
277	शिक्षा				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1829	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति			78.34	
80	<i>सामान्य</i>				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1829	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति			77.21	
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
02	<i>समाज कल्याण</i>				
102	बाल कल्याण				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0379	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			16.26	
1287	एकीकृत बाल विकास			3,84,67.15*	
1444	प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति			27.81	
1829	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति			6,02.82	
2501	मुख्यालय			1,21.10	
103	महिला कल्याण				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2410	महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन			2,25.58	
03	<i>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>				
102	राष्ट्रीय परिवार हितकर योजना				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2323	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार			29.19	
2387	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना			76.10	
2388	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			21,73.49	
2389	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार हितकर पेंशन योजना			43.80	
2390	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला पेंशन योजना			2,21.05	

- राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 2236-पोषण के अंतर्गत बजट का प्रावधान रखा है

अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
2236	पोषण					
02	पौष्टिक भोजन तथा पेय पदार्थों का वितरण					
101	विशेष पोषण कार्यक्रम					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
1815	पोषण कार्यक्रम					
2339	किशोर लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना (एस ए बी एल ए)					
				12,06.85		
				2,20.65		
पूँजीगत खंड						
6.	पूँजी दत्तमत खंड में ₹ 3,56,15.58 लाख का मूल प्रावधान ₹ 3,21,96.24 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 3,21,96.24 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
7.	निम्नलिखित शीर्षों / योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय					
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
1796	गुज्जर तथा बकरवालों का कल्याण					
	मूल	50.00				
	अनुपूरक	..	50.00	25.65	(-)24.35	
1828	पहाड़ी बोलने वाले लोगों का कल्याण					
	मूल	1,50.00				
	अनुपूरक	..	1,50.00	1,25.75	(-)24.25	
2286	एस सी / एस टी विकास निगम					
	मूल	90.00				
	अनुपूरक	..	90.00	45.00	(-)45.00	
2308	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों का कल्याण कश्मीर					
	मूल	75.00				
	अनुपूरक	..	75.00	25.11	(-)49.89	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
1814	जनजाति उप योजना					
	मूल	59,91.00				
	अनुपूरक	..	59,91.00	2,93.46	(-)56,97.54	

अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02	<i>समाज कल्याण</i>			
102	बाल कल्याण			निर्माण घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
2447	एकीकृत बाल संरक्षण योजना			
	मूल	50.00		
	अनुपूरक	..	50.00	
			41.32	(-)8.68
4236	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02	<i>पौष्टिक खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों का वितरण</i>			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
1287	एकीकृत बाल विकास योजना			
	मूल	25,10.00		
	अनुपूरक	..	25,10.00	
			19,57.80	(-)5,52.20
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं			एम एच 2235- समाज सुरक्षा तथा कल्याण के अंतर्गत व्यय प्रकटन।
1287	एकीकृत बाल विकास योजना			
	मूल	2,57,32.00		
	अनुपूरक	..	2,57,32.00	8.29*
				(-)2,57,23.71
8.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02	<i>अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>			
800	अन्य व्यय			115-निर्माण के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।
0011	सामान्य			
1827	अनुसूचित जाति / जनजाति का कल्याण जम्मू			
	मूल	1,28.39		
	अनुपूरक	..	1,28.39	
			1,55.52	(+)27.13
*	राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 2235-एस एस डब्ल्यू के अंतर्गत व्यय किया			

अनुदान संख्या 18 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय				
60	<i>अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>				
800	अन्य व्यय			115-निर्माण के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।	
0011	सामान्य				
1382	राज्य योजना				
	मूल	2,16.68			
	अनुपूरक	..	2,16.68	2,59.89	(+)43.21
9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)			
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय				
02	<i>अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2446	एस सी तथा ओ बी सी का कल्याण			70.00	
10.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	वास्तविक व्यय			अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)			
4236	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय				
80	<i>सामान्य</i>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1815	पोषण			29.65	
11.	₹ 2,52.51 लाख के बजट अनुमान के प्रति, महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश के लिए लघु शीर्ष 190-सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के अंतर्गत रखे गए तथा एस एस डब्ल्यू पर प्रमुख शीर्ष 4235-पूंजीगत परिव्यय के अधीन अन्य अधीनस्थ उपक्रमों, में शून्य निवेश किया गया है। तथापि, ₹ 1,51.26 लाख का व्यय निवेश के रूप में बुक किया गया है जो राज्य सरकार से प्राप्त निवेश के विवरण के अनुसार सही नहीं है। जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे।				

अनुदान संख्या 19 - आवास तथा शहरी विकास विभाग

राजस्व-

प्रमुख शीर्ष

2217 शहरी विकास

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल	7,13,11,54		7,38,01,68	(-)8,03,48
		7,46,05,16		
अनुपूरक	32,93,62			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूंजीगत

प्रमुख शीर्ष

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	14,87,39,29		4,77,29,56	(-)12,08,42,14
		16,85,71,70		
अनुपूरक	1,98,32,41			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 32,93.62 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 8,03.48 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 8,03.48 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान ₹ 3,04.12 लाख की बचत हुई।				
2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2217	शहरी विकास				
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
0999	मुख्य नगर नियोजक				
	मूल	4,51.25			
	अनुपूरक	1,13.50	5,64.75	4,70.36	(-)94.39

अनुदान संख्या 19 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2217	शहरी विकास					
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास					
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य					
1148	मुख्य वास्तुकार जम्मू एवं कश्मीर					
	मूल	5,24.16				
	अनुपूरक	1,06.76	6,30.92	5,59.85		(-)71.07
1149	मुख्य नगर नियोजक जम्मू					
	मूल	5,44.25				
	अनुपूरक	4.86	5,49.11	4,97.13		(-)51.98
191	स्थानीय निकायों निगमों की सहायता शहरी विकास प्राधिकरण शहर सुधार बोर्ड आदि।					जी आई ए के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य					
1297	शहरी विकास					
	मूल	37.00				
	अनुपूरक	11.00	48.00	21.20	(-)26.80	
1298	डल विकास				जी आई ए का अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ	
	मूल	20,60.00				
	अनुपूरक	4,90.00	25,50.00	10,30.00		(-)15,20.00
1437	जम्मू नगर पालिका				जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	1,44,00.00				
	अनुपूरक	..	1,44,00.00	73,80.00		(-)70,20.00
1438	श्रीनगर नगर पालिका					
	मूल	2,33,00.00				
	अनुपूरक	..	2,33,00.00	1,08,53.03	(-)1,24,46.97	
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं					
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ	
0099	सामान्य					
1139	निदेशक स्थानीय निकाय जम्मू					
	मूल	5,09.00				
	अनुपूरक	1,18.00	6,27.00	5,65.15		(-)61.85
1439	निदेशक स्थानीय निकाय कश्मीर					
	मूल	4,47.25				
	अनुपूरक	76.75	5,24.00	4,57.96	(-)66.04	

अनुदान संख्या 19 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तिताँ
	(₹ लाख में)			
2217	शहरी विकास			
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं			
001	निदेशन तथा प्रशासन			
0099	सामान्य			
2289	सीवरेज जल निकास प्रभार II श्रीनगर			
	मूल	6,03.30		
	अनुपूरक	2,49.14	8,52.44	7,93.01 (-)59.43
2290	यांत्रिक जलनिकास प्रभाग श्रीनगर			
	मूल	15,11.90		
	अनुपूरक	3,01.44	18,13.34	17,21.57 (-)91.77
2293	सीवरेज तथा जल निकास प्रभाग (पश्चिम), जम्मू			
	मूल	7,22.73		
	अनुपूरक	3,87.29	11,10.02	10,04.54 (-)1,05.48
2294	शहरी जल निकास जम्मू			
	मूल	3,28.95		
	अनुपूरक	1,62.00	4,90.95	4,75.13 (-)15.82
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों की सहायता नगर सुधार बोर्ड आदि			
0099	सामान्य			
2034	स्थानीय निकाय संस्था कश्मीर			
	मूल	1,32,00.00		
	अनुपूरक	..	1,32,00.00	62,72.08 (-)69,27.92
2035	स्थानीय निकाय संस्थान जम्मू			
	मूल	89,00.00		
	अनुपूरक	..	89,00.00	45,99.98 (-)43,00.02
80	सामान्य			
001	निदेशन तथा प्रशासन			
0099	सामान्य			
1138	मुख्य अभियंता यू ई ई डी जम्मू एवं कश्मीर			
	मूल	15,64.30		
	अनुपूरक	4,32.20	19,96.50	18,88.32 (-)1,08.18

वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ

जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति कम निर्गम।

वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 19 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2217	शहरी विकास				
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
191	स्थानीय निकायों निगमों की सहायता शहरी विकास प्राधिकरण शहर सुधार बोर्ड आदि।				जी आई ए के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन				
	मूल	6,72.00			
	अनुपूरक	3,28.00	10,00.00	3,16,79.62	(+)3,06,79.62
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं				
001	निदेशन तथा प्रशासन				कार्यालय व्ययों के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
2292	शहरी जल निकास प्रभाग कश्मीर				
	मूल	4,65.15			
	अनुपूरक	2,23.65	6,88.80	7,06.51	
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2217	शहरी विकास				
80	सामान्य				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
2487	भवन केंद्र			10.00	

अनुदान संख्या 19 (जारी)

5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
2217	शहरी विकास				
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
191	स्थानीय निकायों निगमों की सहायता शहरी विकास प्राधिकरण शहर सुधार बोर्ड आदि।				
0099	सामान्य				
0028	दाल विकास			2.23	
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
1297	शहरी विकास			14,79.81	
पूंजीगत खंड					
6.	पूंजी दत्तमत खंड में ₹ 1,98,32.41 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय ₹ 14,87,39.29 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 12,08,42.14 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 12,08,42.14 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय				
01	सरकारी आवासीय भवन				
700	अन्य आवास				
0011	सामान्य				
0893	अन्य आवास योजनाएं				
	मूल	8,60.00			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
	अनुपूरक	..	8,60.00	4,50.13	
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0893	अन्य आवास योजनाएं				
	मूल	51,26.00			
	अनुपूरक	..	51,26.00	1,96.47	

अनुदान संख्या 19 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय					
<i>03</i>	<i>लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास</i>					
051	निर्माण				अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।	
0011	सामान्य					
1297	शहरी विकास					
	मूल	10,34,57.29				
	अनुपूरक	20,26.11	10,54,83.40	2,02,34.37	(-)8,52,49.03	
1299	सीवरेज तथा जल निकास				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	3,50.00				
	अनुपूरक	5,86.00	9,36.00	6,67.62		(-)2,68.38
8.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय					
<i>03</i>	<i>लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास</i>					
051	निर्माण				115-निर्माण के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।	
0011	सामान्य					
1296	जल निकास					
	मूल	15,75.00				
	अनुपूरक	..	15,75.00	91,15.08		(+)75,40.08
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन					
	मूल	14,50.00				
	अनुपूरक	..	14,50.00	41,12.00	(+)26,62.00	

अनुदान संख्या 19 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)
9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास			
051	निर्माण			
0011	सामान्य			
1298	डल विकास		77,55.00	
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन		1,50.00	
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
2035	स्थानीय निकाय संस्थान जम्मू		4,52,36.30	
10.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास			
800	अन्य व्यय			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
1297	शहरी विकास		70,41.00	
2428	स्वच्छ भारत मिशन		59,12.87	

अनुदान संख्या 19 (समाप्त)

11.	आवास तथा शहरी विकास विभाग के उपकरण तथा संयंत्र स्थापना प्रभार की समीक्षा:- वर्ष 2018-19 के दौरान आवास तथा शहरी विकास विभाग में निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना तथा उपकरण तथा संयंत्र पर खर्च का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है:-				
मुख्य लेखा शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	उपकरण तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए उपकरण तथा संयंत्र प्रभार का प्रतिशत
			(₹ लाख में)		
2217 शहरी विकास विभाग					
2016-2017	5,58.89	6,84,70.32	1,22,51.13	3.05	0.55
2017-2018	5,76.70	6,97,16.78	1,20,88.90	-	-
2018-2019	3,43.83	7,34,54.60	2,13,63.64	3.23	-
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय					
2016-2017	15,03.23	-	-	-	-
2017-2018	14,59.91	-	-	-	-
2018-2019	6,46.60	-	-	-	-
4217 शहरी विकास विभाग पर पूंजीगत परिव्यय					
2016-2017	3,68,38.42	-	-	14.37	0.04
2017-2018	4,17,93.43	-	-	-	-
2018-2019	4,70,82.95	-	-	-	-

अनुदान संख्या 20 - पर्यटन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3452 पर्यटन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	1,28,07,31	1,34,98,99	(-)21,17,20
		1,56,16,19	
अनुपूरक	28,08,88		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	4,29,38,88	93,49,32	(-)3,35,89,56
		4,29,38,88	
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 28,08.88 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 21,17.20 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 21,17.20 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर बचत भी विस्तृत रूप निम्नानुसार है :-			
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)
	(₹ लाख में)			
	2013-2014	1,16,59.86	1,04,82.15	(-)11,77.71
	2014-2015	1,23,11.45	1,10,61.83	(-)12,49.62
	2015-2016	1,40,17.38	1,28,63.00	(-)11,54.38
	2016-2017	1,57,09.91	1,48,60.28	(-)8,49.63
	2017-2018	1,71,54.46	1,64,57.84	(-)6,96.62

अनुदान संख्या 20 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
3452	पर्यटन				
01	पर्यटक अवसंरचना				
101	पर्यटक केंद्र				
0099	सामान्य				
1121	निदेशक पर्यटन कश्मीर				
	मूल	3,21.17			
	अनुपूरक	24.49	3,45.66	2,79.28	(-)66.38
2277	निदेशक पर्यटन जम्मू				
	मूल	3,82.39			
	अनुपूरक	1,55.25	5,37.64	5,07.91	(-)29.73
102	पर्यटक आवास				
0099	सामान्य				
0474	निदेशक पर्यटन कश्मीर				
	मूल	10,75.10			
	अनुपूरक	2,67.92	13,43.02	12,40.23	(-)1,02.79
2278	निदेशक पर्यटन जम्मू				
	मूल	3,35.68			
	अनुपूरक	95.92	4,31.60	3,72.01	(-)59.59
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
1120	सम्मेलन परिसर				
	मूल	12,50.00			
	अनुपूरक	4,78.00	17,28.00	15,12.00	(-)2,16.00
1127	गुलमर्ग परियोजना संगठन				
	मूल	3,50.00			
	अनुपूरक	1,22.00	4,72.00	3,84.50	(-)87.50
1232	सोनमर्ग विकास प्राधिकरण				
	मूल	80.00			
	अनुपूरक	50.00	1,30.00	1,10.00	(-)20.00
1932	रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स				
	मूल	3,64.00			
	अनुपूरक	1,75.42	5,39.42	4,64.42	(-)75.00
2403	जम्मू तवी गोल्फ कोर्स				
	मूल	2,60.00			
	अनुपूरक	10.00	2,70.00	2,20.00	(-)50.00

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुपूरक अनुदान जी आई ए के संबंध में अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 20 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
3452	पर्यटन					
80	सामान्य					
001	निदेशन तथा प्रशासन				विस्तृत शीर्ष विज्ञापन एवं प्रचार तथा अमरनाथ यात्रा के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0312	निदेशन तथा प्रशासन					
	मूल	17,77.00				
	अनुपूरक	23.00	18,00.00	11,10.08	(-)6,89.92	
2183	निदेशक पर्यटन जम्मू				विज्ञापन तथा प्रचार के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	3,06.01				
	अनुपूरक	8,67.35	11,73.36	6,16.05		(-)5,57.31
2184	निदेशक पर्यटन कश्मीर					
	मूल	23,84.29				
	अनुपूरक	11.53	23,95.82	19,96.01	(-)3,99.81	
104	प्रसार तथा प्रचार				विज्ञापन तथा प्रचार के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
2279	निदेशक पर्यटन जम्मू					
	मूल	11,34.23				
	अनुपूरक	..	11,34.23	6,86.05	(-)4,48.18	
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
3452	पर्यटन					
01	पर्यटक अवसंरचना					
800	अन्य व्यय				जी आई ए के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।	
0099	सामान्य					
0118	पहलगाम परियोजना संगठन					
	मूल	5,50.00				
	अनुपूरक	4,93.00	10,43.00	11,46.26	(+)1,03.26	
80	सामान्य					
104	प्रसार तथा प्रचार				वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।	
0099	सामान्य					
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर					
	मूल	3,72.44				
	अनुपूरक	..	3,72.44	3,84.62	(+)12.18	

अनुदान संख्या 20 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
3452	पर्यटन					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय				जी आई ए के संबंध में बी ई से आधिक्य व्यय।	
0099	सामान्य					
2091	कोकेरनाग विकास प्राधिकरण					
	मूल	1,65.00				
	अनुपूरक	..	1,65.00	1,94.41		(+)29.41
2198	नए विकास प्राधिकरण					
	मूल	15,00.00				
	अनुपूरक	..	15,00.00	19,52.82	(+)4,52.82	
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
3452	पर्यटन					
01	पर्यटन अवसंरचना					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
2198	अन्य विकास प्राधिकरण			87.50		

पूँजीगत खंड

6.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 4,29,38.88 लाख का मूल प्रावधान ₹ 3,35,89.56 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 3,35,89.56 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
7.	पिछले चार वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर बचत भी विस्तृत रूप से निम्नानुसार है :-			
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)
	(₹ लाख में)			
	2014-2015	2,15,08.25	1,57,91.72	(-)57,16.53
	2015-2016	1,47,98.23	1,43,65.31	(-)4,32.92
	2016-2017	3,72,85.14	1,78,02.65	(-)1,94,82.49
	2017-2018	6,39,64.55	1,19,32.15	(-)5,20,32.40

अनुदान संख्या 20 (जारी)

8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय				
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0646	एस के आई सी सी / एस के आई जी आई				
	मूल	1,12.50			
	अनुपूरक	..	1,12.50	55.25	
				(-)57.25	
0650	पटनी टॉप विकास प्राधिकरण				
	मूल	3,93.75			
	अनुपूरक	..	3,93.75	1,58.57	
				(-)2,35.18	
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर				
	मूल	33,37.13			
	अनुपूरक	..	33,37.13	30,77.81	
				(-)2,59.32	
1232	सोनमर्ग विकास प्राधिकरण				
	मूल	4,50.00			
	अनुपूरक	..	4,50.00	1,80.31	
				(-)2,69.69	
1291	केबल कार निगम				
	मूल	8,73.00			
	अनुपूरक	..	8,73.00	6,05.25	
				(-)2,67.75	
1891	पहलगाम विकास प्राधिकरण				
	मूल	6,75.00			
	अनुपूरक	..	6,75.00	3,46.64	
				(-)3,28.36	
1892	गुलमर्ग विकास प्राधिकरण				
	मूल	4,89.37			
	अनुपूरक	..	4,89.37	3,31.62	
				(-)1,57.75	
1932	रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स				
	मूल	3,37.50			
	अनुपूरक	..	3,37.50	1,00.00	
				(-)2,37.50	
2091	कोकेरनाग विकास प्राधिकरण				
	मूल	3,37.50			
	अनुपूरक	..	3,37.50	2,84.61	
				(-)52.89	

अनुदान संख्या 20 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य					
2183	निदेशक पर्यटन जम्मू					
	मूल	13,09.13				
	अनुपूरक	..	13,09.13	8,24.84		(-)4,84.29
2198	अन्य विकास प्राधिकरण					
	मूल	67,87.50				
	अनुपूरक	..	67,87.50	16,84.25	(-)51,03.25	
9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति आधिक्य व्यय।	
0011	सामान्य					
0651	पर्यटन विकास निगम					
	मूल	3,37.50				
	अनुपूरक	..	3,37.50	4,87.45		(+)1,49.95
2406	श्री अमरनाथ यात्रा					
	मूल	3,00.00				
	अनुपूरक	..	3,00.00	9,74.78	(+)6,74.78	

अनुदान संख्या 20 (समाप्त)

10.	निम्नलिखित शीर्षो/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय				
80	<i>सामान्य</i>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0457	पर्यटन विभाग		19,74.00		
0652	पर्यटन कार्य योजना		2,50,00.00		
2405	कश्मीर गोल्फ कोर्स		7.50		
11	निम्नलिखित शीर्षो/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष				वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय				
80	<i>सामान्य</i>				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2198	अन्य विकास प्राधिकरण		20.44		

अनुदान संख्या 21 - वन विभाग

राजस्व-

प्रमुख शीर्ष

2402 मृदा तथा जल संरक्षण

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

3435 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण

		कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल	6,63,25,48		8,21,91,29	(-)10,16,16
		8,32,07,45		
अनुपूरक	1,68,81,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूँजीगत

प्रमुख शीर्ष

4402 मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय

4406 वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

5425 अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	1,35,84,21		37,22,38	(-)98,61,83
		1,35,84,21		
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 1,68,81.97 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 10,16.16 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 10,16.16 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
2402	मृदा तथा जल संरक्षण				
001	निदेशन तथा प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
1443	मृदा संरक्षण निदेशालय				
	मूल	29,16.86			
	अनुपूरक	11,09.71	40,26.57	39,63.30	(-)63.27

अनुदान संख्या 21 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
2402	मृदा तथा जल संरक्षण					
102	मृदा संरक्षण			मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0355	जल शेड पर आधारित मिट्टी तथा जल संरक्षण					
	मूल	10,86.70				
	अनुपूरक	2,44.60	13,31.30	12,31.33	(-)99.97	
2178	परियोजना निदेशक आई डब्ल्यू डी पी हिल्स II			वेतन घटक के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
	मूल	10,28.26				
	अनुपूरक	12.15	10,40.41		8,80.54	(-)1,59.87
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन					
01	वानिकी					
001	निदेशन तथा प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0349	प्रधान मुख्य संरक्षक					
	मूल	3,44,92.00				
	अनुपूरक	90,91.00	4,35,83.00		4,30,23.84	(-)5,59.16
004	अनुसंधान					
0099	सामान्य					
2177	निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान					
	मूल	11,01.86				
	अनुपूरक	4,09.50	15,11.36	13,62.30	(-)1,49.06	
070	संचार तथा भवन			अनुरक्षण तथा मरम्मत के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0359	संचार तथा भवन					
	मूल	75.00				
	अनुपूरक	..	75.00	48.47	(-)26.53	
101	वन संरक्षण, विकास तथा पुनर्जनन			मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
0099	सामान्य					
0352	वन संरक्षण तथा विकास					
	मूल	86.00				
	अनुपूरक	5.50	91.50	56.50	(-)35.00	

अनुदान संख्या 21 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन			
01	वानिकी			
102	सामाजिक तथा कृषि वानिकी			मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य			
2175	निदेशक वन सुरक्षा बल			
	मूल	1,00,68.36		
	अनुपूरक	28,32.21	1,29,00.57	
			1,19,43.59	(-)9,56.98
2176	निदेशक सामाजिक वानिकी			
	मूल	85,17.36		
	अनुपूरक	30,07.00	1,15,24.36	1,13,81.00
				(-)1,43.36
105	वन उपज			मुख्यतः इमारती लकड़ी के प्रभारों के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0358	वन उपज			
	मूल	4,39.50		
	अनुपूरक	..	4,39.50	3,59.30
				(-)80.20
3435	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण			मुख्यतः टी ई, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रति कम व्यय तथा मानदेय के अंतर्गत अप्रयुक्त बजट।
04	प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण			
103	वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण			
0099	सामान्य			
2152	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड			
	मूल	22,79.36		
	अनुपूरक	..	22,79.36	22,56.71
				(-)22.65
3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन			वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य। आउटसोर्सिंग के संबंध में बजट के प्रति शून्य व्यय
02	पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन			
110	वन्य जीवन संरक्षण			
0099	सामान्य			
0351	पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन			
	मूल	35,92.86		
	अनुपूरक	1,70.30	37,63.16	43,50.04
				(+)5,86.88

अनुदान संख्या 21 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)
3435	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण			
04	प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण			
103	वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण			वेतन घटक के संबंध में बी ई से आधिक्य।
0099	सामान्य			
2179	निदेशक पारिस्थितिकी पर्यावरण तथा दूरस्थ संवेदन			
	मूल	5,99.56		
	अनुपूरक	..	5,99.56	
			6,78.62	
			(+)79.06	
2353	अपीलीय प्राधिकरण जल तथा वायु प्रदूषण			
	मूल	31.30		
	अनुपूरक	..	31.30	
			47.61	
			(+)16.31	
4.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन			
01	वानिकी			
070	संचार तथा भवन			
0099	सामान्य			
2357	हल्का पंचायत			6.00
5.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष		वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
2402	मृदा तथा जल संरक्षण			
102	मृदा संरक्षण			
0099	सामान्य			
0358	वन उपज			85.06
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन			
01	वानिकी			
800	अन्य व्यय			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
0434	वुलर झील के संरक्षण के लिए कार्य योजना			9.60

अनुदान संख्या 21 (जारी)

शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन		
01	वानिकी		
800	अन्य व्यय		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
0480	टी एस डी मोरारी	7.37	
2295	होकेरसर / सुरिनसर / मानसर / पैंगोंग	13.55	
02	पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन		
110	वन्य जीवन परिरक्षण		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
1730	राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य	5,00.68	

पूँजीगत खंड

6.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 1,35,84.21 लाख का मूल प्रावधान ₹ 98,61.83 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 98,61.83 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय					
102	मृदा संरक्षण			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
0266	मृदा संरक्षण (कश्मीर)					
	मूल	4,60.00				
	अनुपूरक	..	4,60.00	3,86.12	(-)73.88	
4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय					
01	वानिकी					
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
0200	वन प्रादेशिक					
	मूल	14,00.00				
	अनुपूरक	..	14,00.00		11,67.07	(-)2,32.93
0213	वन्य जीवन संरक्षण					
	मूल	4,30.00				
	अनुपूरक	..	4,30.00	2,16.52	(-)2,13.48	

अनुदान संख्या 21 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय			
01	वानिकी			
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
2175	निदेशक वन सुरक्षा बल			
	मूल	3,79.66		
	अनुपूरक	..	3,79.66	
			3,32.93	
			(-)46.73	
2176	निदेशक सामाजिक वानिकी			
	मूल	7,09.05		
	अनुपूरक	..	7,09.05	
			6,71.75	
			(-)37.30	
2177	निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान			
	मूल	1,93.00		
	अनुपूरक	..	1,93.00	
			84.24	
			(-)1,08.76	
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
208	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
2152	जम्मू एवं कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड			
	मूल	90.00		
	अनुपूरक	..	90.00	
			80.90	
			(-)9.10	
2153	निदेशक पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा दूरस्थ संवेदन			
	मूल	82.50		
	अनुपूरक	..	82.50	
			53.38	
			(-)29.12	
8.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
102	मृदा संरक्षण			
0011	सामान्य			
0871	एकीकृत जल शेड विकास			5.00

अनुदान संख्या 21 (समाप्त)

शीर्ष					कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय					
01	<i>वानिकी</i>					
101	वन संरक्षण, विकास तथा पुनर्जनन					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0200	प्रादेशिक वन				61,85.00	
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0434	वुलर झील के संरक्षण के लिए कार्य योजना				20,00.00	
02	<i>पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन</i>					
110	वन्य जीवन					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0213	वन्य जीवन संरक्षण				16,50.00	
9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष					वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय					
01	<i>वानिकी</i>					
800	अन्य व्यय					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0434	वुलर झील के संरक्षण के लिए कार्य योजना				4,30.59	
2295	होकेरसर / सुरिनसर / मानसर / पैंगोंग				3.47	
02	<i>पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन</i>					
110	वन्य जीवन					
0011	सामान्य					
2398	वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास				13.20	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
1931	वन्यजीव अभ्यारण्य				2,84.96	

अनुदान संख्या 22 - सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग

राजस्व-

प्रमुख शीर्ष

2700 प्रमुख सिंचाई

2701 मध्यम सिंचाई

2702 लघु सिंचाई

2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत(-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	6,33,51,79	6,55,33,46	(-)1,30,52,48
		7,85,85,94	
अनुपूरक	1,52,34,15		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

प्रमुख शीर्ष

4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	14,40,43,37	2,77,49,13	(-)12,97,93,18
		15,75,42,31	
अनुपूरक	1,34,98,94		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 1,52,34.15 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 1,30,52.48 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,30,52.48 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर विस्तृत बचत भी निम्नानुसार है :-			
वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	
	(₹ लाख में)			
2013-2014	4,92,80.17	3,90,72.73	(-)1,02,07.44	
2014-2015	5,20,87.02	3,89,25.00	(-)1,31,62.02	
2015-2016	5,29,24.44	4,70,00.45	(-)59,23.99	
2016-2017	5,50,59.46	4,80,64.04	(-)69,95.42	
2017-2018	6,00,09.92	4,95,01.16	(-)1,05,08.76	

अनुदान संख्या 22 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
2700	प्रमुख सिंचाई				
01	प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक				
001	निदेशन तथा प्रशासन				मुख्यतः वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0855	सिंचाई जम्मू				
	मूल	9,76.90			
	अनुपूरक	27.50	10,04.40	6,31.49	(-)3,72.91
2701	मध्यम सिंचाई				
04	मध्यम सिंचाई - गैर-वाणिज्यिक				
001	निदेशन तथा प्रशासन				मुख्यतः वेतन के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0849	सिंचाई कश्मीर				
	मूल	51,75.92			
	अनुपूरक	68.70	52,44.62	39,95.94	(-)12,48.68
0855	सिंचाई जम्मू				
	मूल	16,94.60			
	अनुपूरक	92.22	17,86.82	15,27.62	
612	तवी लिफ्ट सिंचाई				ब्याज घटक के संबंध में बी ई के प्रति शून्य व्यय तथा एम एंड आर के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0858	मंडलीय तथा उप उपमंडलीय कार्यालय (जम्मू)				
	मूल	18,90.50			
	अनुपूरक	..	18,90.50	17,70.05	(-)1,20.45
2357	हल्का पंचायत				मुख्यतः एम एंड आर के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
	मूल	15.00			
	अनुपूरक	..	15.00	9.15	
80	सामान्य				
001	निदेशन तथा प्रशासन				मुख्यतः वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
2360	राज्य जल संसाधन नियामक प्राधिकरण				
	मूल	3,15.18			
	अनुपूरक	68.20	3,83.38	3,41.69	(-)41.69

अनुदान संख्या 22 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2702	लघु सिंचाई				
80	<i>सामान्य</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन			मुख्यतः वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0342	मंडलीय तथा उप उपमंडलीय सिंचाई कार्यालय जम्मू				
	मूल	1,37,00.16			
	अनुपूरक	12,63.93	1,49,64.09	1,40,47.27	(-)9,16.82
0845	रवि तवी सिंचाई परिसर जम्मू				
	मूल	34,01.36			
	अनुपूरक	10,48.00	44,49.36	37,62.91	(-)6,86.45
1448	मंडलीय तथा उप उपमंडलीय सिंचाई कार्यालय कश्मीर			मुख्यतः वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	2,47,05.51			
	अनुपूरक	1,10,68.60	3,57,74.11		2,68,60.03
2357	हल्का पंचायत			मुख्यतः एम एंड आर के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	73.00			
	अनुपूरक	..	73.00		39.37
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास				
01	<i>बाढ़ नियंत्रण</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन			मुख्यतः वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0858	मंडलीय तथा उप उपमंडलीय कार्यालय (जम्मू)				
	मूल	36,03.40			
	अनुपूरक	3,85.30	39,88.70	39,51.42	(-)37.28
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर				
	मूल	78,00.26			
	अनुपूरक	12,11.70	90,11.96	84,15.63	(-)5,96.33
4.	तथापि अनुदानों की माँग में अलग प्रावधान का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रमुख शीर्ष 2700-लघु सिंचाई के अंतर्गत विभिन्न नहरों पर किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:				
	नहर का नाम		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
	रणबीर नहर		1,31.00		
	प्रताप नहर		36.69		
	कठुआ फीडर नहर		16.37		

अनुदान संख्या 22 (जारी)

पूँजीगत खंड

5.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 1,34,98.94 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय ₹ 14,40,43.37 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 12,97,93.18 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 12,97,93.18 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6.	पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर बचत भी विस्तृत रूप में निम्नानुसार है :-				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	
		(₹ लाख में)			
	2013-2014	2,89,55.77	2,79,14.99	(-)10,40.78	
	2014-2015	2,79,59.59	2,21,26.76	(-)58,32.83	
	2015-2016	3,83,18.26	3,30,73.75	(-)52,44.51	
	2016-2017	7,85,20.34	4,53,81.78	(-)3,31,38.56	
	2017-2018	13,48,93.83	3,61,02.04	(-)9,87,91.79	
7.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
04	मध्यम सिंचाई - गैर-वाणिज्यिक				
001	निदेशन तथा प्रशासन				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0435	सिंचाई कश्मीर				
	मूल	25,53.19			
	अनुपूरक	..	25,53.19	6,08.24	
				(-)19,44.95	
0855	सिंचाई जम्मू				
	मूल	11,99.40			
	अनुपूरक	..	11,99.40	3,68.04	
				(-)8,31.36	
612	रवि तवी सिंचाई योजना				
0011	सामान्य				
0840	सिंचाई आर टी आई सी जम्मू				
	मूल	9,05.08			
	अनुपूरक	..	9,05.08	3,79.88	
				(-)5,25.20	

अनुदान संख्या 22 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101	सतही जल			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1775	लघु सिंचाई जम्मू			
	मूल	22,25.00		
	अनुपूरक	..	22,25.00	
			12,38.03	
			(-)9,86.97	
1776	लघु सिंचाई कश्मीर			
	मूल	28,56.70		
	अनुपूरक	..	28,56.70	
			20,26.58	
			(-)8,30.12	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
1775	लघु सिंचाई जम्मू			
	मूल	89,00.00		
	अनुपूरक	..	89,00.00	
			23,19.04	(-)65,80.96
1776	लघु सिंचाई कश्मीर			
	मूल	1,13,95.00		
	अनुपूरक	..	1,13,95.00	
			27,16.83	(-)86,78.17
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01	बाढ़ नियंत्रण			
103	सिविल कार्य			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1166	बाढ़ पुनःस्थापन कार्य			
	मूल	9,48,95.75		
	अनुपूरक	1,34,98.94	10,83,94.69	
			1,23.74	
			(-)10,82,70.95	
1450	बाढ़ नियंत्रण विभाग जम्मू			
	मूल	25,82.51		
	अनुपूरक	..	25,82.51	
			15,82.54	
			(-)9,99.97	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर			
	मूल	45,00.00		
	अनुपूरक	..	45,00.00	
			41,23.99	(-)3,76.01
1450	बाढ़ नियंत्रण विभाग जम्मू			
	मूल	42,44.32		
	अनुपूरक	..	42,44.32	
			7,87.71	(-)34,56.61

अनुदान संख्या 22 (जारी)

8.	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ हजार में)				
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
01	बाढ़ नियंत्रण				
103	सिविल कार्य				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर				
	मूल	21,11.00			
	अनुपूरक	..	21,11.00	71,65.63	
9.	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
04	मध्यम सिंचाई - गैर-वाणिज्यिक				
612	रवि तवी सिंचाई योजना				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0840	सिंचाई आर टी आई सी जम्मू			16,43.24	
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0435	सिंचाई कश्मीर			31,32.18	
0855	सिंचाई जम्मू			9,00.00	
10.	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
04	मध्यम सिंचाई - गैर-वाणिज्यिक				
052	मशीनरी तथा उपकरण				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2468	पी एम के एस वाई			28.15	

अनुदान संख्या 22 (जारी)

शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2449	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना				
				39.41	
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
01	बाढ़ नियंत्रण				
103	सिविल कार्य				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1166	बाढ़ पुनःस्थापन कार्य				
				41,67.81	
11.	तथापि अनुदानों की माँग में अलग प्रावधान का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रमुख शीर्ष 4701-पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत विभिन्न नहरों पर किए गए व्यय को मध्यम सिंचाई को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:				
	नहर / योजना का नाम		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
	रणबीर नहर		49.99		
	कठुआ फीडर नहर		23.54		
12.	उचंत लेन-देन : - इस अनुदान में होने वाले व्यय में "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत शून्य शामिल है। 2018-2019 के दौरान इस अनुदान शीर्ष के अंतर्गत लेन-देन का विश्लेषण आरंभिक तथा अंत शेष के साथ नीचे दिया गया है:-				
	मुख्य लेखा शीर्ष /विवरण	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 तक अंत शेष
	(₹ लाख में)				
2701	मध्यम सिंचाई-				
	खरीद	(-)60.663	-	-	(-)60.663
	भंडार	2,46.355	-	-	2,46.355
	विविध पी डबल्यू अग्रिम	54.187	-	-	54.187
	कार्यशाला उचंत	(-)0.270	-	-	(-)0.270
	कुल	2,39.609	-	-	2,39.609
2702	लघु सिंचाई-				
	खरीद	(-)2.032	-	-	(-)2.032
	भंडार	77.776	-	-	77.776
	विविध पी डबल्यू अग्रिम	36.190	-	-	36.190
	कार्यशाला उचंत	-	-	-	-
	कुल	1,11.934	-	-	1,11.934

अनुदान संख्या 22 (जारी)

मुख्य लेखा शीर्ष /विवरण	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 तक अंत शेष	
(₹ लाख में)					
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
	0.110	-	-	0.110	
खरीद					
भंडार	2,07.000	-	-	2,07.000	
विविध पी डबल्यू अग्रिम	3.137	-	-	3.137	
कार्यशाला उचंत	(-)0.003	-	-	(-)0.003	
कुल	2,10.244	-	-	2,10.244	
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
	(-) 2,02.400	-	-	(-) 2,02.400	
खरीद					
भंडार	2,96.279	-	-	2,96.279	
विविध पी डबल्यू अग्रिम	45.391	-	-	45.391	
कार्यशाला उचंत	18.160	-	-	18.160	
कुल	1,57.430	-	-	1,57.430	
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
	-	-	-	-	
खरीद					
भंडार	6.83	-	-	6.83	
विविध पी डबल्यू अग्रिम	0.12	-	-	0.12	
कार्यशाला उचंत	-	-	-	-	
कुल	6.95	-	-	6.95	
13.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के उपकरण तथा संयंत्र स्थापना प्रभार की समीक्षा:- 2016-2017 से 2018-2019 के दौरान सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग में निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना एवं उपकरण तथा संयंत्र पर व्यय का प्रतिशत नीचे दर्शाया किया गया है, (अन्य विभागों, बाहरी निकायों आदि में किए गए कार्यों के लिए पर्यवेक्षण वसूली प्रभार के लिए 1955 में सरकार द्वारा प्रतिशत निर्धारित किए गए, जो 7.5 से 15 के बीच स्थापना प्रभार तथा 0.5 तथा 1 के बीच उपकरण तथा संयंत्र प्रभार के लिए कार्यों की लागत पर निर्भर करता है)				
मुख्य लेखा शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	उपकरण तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए उपकरण तथा संयंत्र प्रभार का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
2700	प्रमुख सिंचाई-				
2016-2017	2,95.52	3,99.12	1,35.06	-	-
2017-2018	2,99.60	4,28.70	1,43.10	-	-
2018-2019	1,84.06	6,31.49	3,43.09	-	-

अनुदान संख्या 22 (समाप्त)

मुख्य लेखा शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	उपकरण तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए उपकरण तथा संयंत्र प्रभार का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
2701	मध्यम सिंचाई-				
2016-2017	4,82.19	61,18.86	12,68.97	11.60	2.41
2017-2018	9,16.39	56,17.00	6,12.90	-	-
2018-2019	7,43.99	68,97.38	9,27.08	-	-
2702	लघु सिंचाई-				
2016-2017	15,26.88	2,99,92.76	19,64.32	84.74	5.55
2017-2018	17,19.15	3,08,99.39	17,97.40	2,18.73	12.70
2018-2019	17,04.03	4,29,86.88	25,22.66	18.54	1.09
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
2016-2017	17,77.78	73,52.87	4,13.60	20.96	1.18
2017-2018	16,13.31	77,64.12	4,81.30	23.67	1.50
2018-2019	16,35.96	1,07,07.54	6,54.51	23.54	1.44
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
2016-2017	50,08.57	-	-	-	-
2017-2018	60,22.59	-	-	-	-
2018-2019	14,57.84	-	-	-	-
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
2016-2017	1,03,40.99	-	-	-	-
2017-2018	1,38,14.27	-	-	-	-
2018-2019	83,39.89	-	-	-	-
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
2016-2017	3,00,32.21	-	-	-	-
2017-2018	1,62,44.45	20.71	0.01	-	-
2018-2019	1,79,51.41	-	-	-	-

अनुदान संख्या 23 - जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

राजस्व-

प्रमुख शीर्ष

2055 पुलिस

2215 जलापूर्ति तथा स्वच्छता

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	12,16,74,52	15,22,38,89	(-)6,59,90
		15,28,98,79	
अनुपूरक	3,12,24,27		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

प्रमुख शीर्ष

4215 जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
दत्तमत			
मूल	6,60,34,43	5,23,23,98	(-)1,37,10,45
		6,60,34,43	
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 3,12,24.27 लाख का अनुपूरक प्रावधान ₹ 6,59.90 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 6,59.90 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष में भी ₹ 43,87.13 लाख की बचत हुई थी।				
2.	निम्नलिखित शीर्ष / योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2055	पुलिस				
117	आंतरिक सुरक्षा			टैंकर सेवा के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0957	आंतरिक सुरक्षा				
	मूल	80.00			
	अनुपूरक	..	80.00	56.09	(-)23.91

अनुदान संख्या 23 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2055	पुलिस				
117	आंतरिक सुरक्षा			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
1002	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जम्मू				
	मूल	6,75.60			
	अनुपूरक	3,47.00	10,22.60	9,94.95	(-)27.65
2215	जलापूर्ति तथा स्वच्छता				
<i>01</i>	<i>जलापूर्ति</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
1001	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कश्मीर				
	मूल	5,96,30.96			
	अनुपूरक	2,04,23.50	8,00,54.46	7,56,62.88	(-)43,91.58
2357	हल्का पंचायत			एम एंड आर के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।	
	मूल	1,30.00			
	अनुपूरक	..	1,30.00		29.87
3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2215	जलापूर्ति तथा स्वच्छता				
<i>01</i>	<i>जलापूर्ति</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन			आउटसोर्सिंग के संबंध में बिना बजट के व्यय।	
0099	सामान्य				
1002	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जम्मू				
	मूल	6,11,57.96			
	अनुपूरक	1,04,53.77	7,16,11.73	7,54,95.11	(+)38,83.38

पूँजीगत खंड

4.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 6,60,34.43 लाख का मूल प्रावधान ₹ 1,37,10.45 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,37,10.45 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। [नवंबर 2019]
----	---

अनुदान संख्या 23 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
	(₹ लाख में)			
4215	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय			
01	<i>जलापूर्ति</i>			
102	ग्रामीण जलापूर्ति			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1001	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर			
	मूल	2,06,30.66		
	अनुपूरक	..	2,06,30.66	
			1,25,14.47	
			(-)81,16.19	
1002	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जम्मू			
	मूल	2,04,03.77		
	अनुपूरक	..	2,04,03.77	
			1,59,61.47	
			(-)44,42.30	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
1002	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जम्मू			
	मूल	1,25,00.00		
	अनुपूरक	..	1,25,00.00	
			1,08,66.60	
			(-)16,33.40	
6.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4215	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय			
01	<i>जलापूर्ति</i>			
102	ग्रामीण जलापूर्ति			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बी ई के प्रति कम व्यय।
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
1001	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर			
	मूल	1,25,00.00		
	अनुपूरक	..	1,25,00.00	
			1,29,81.44	
			(+)4,81.44	
7.	उचंत लेन-देन :- अनुदान में होने वाले व्यय में "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत 'शून्य' शामिल है। उचंत शीर्ष तथा लेखा प्रक्रिया के अंतर्गत लेन-देन की प्रकृति नोट:- 5 के अनुदान संख्या 5-लक्षाख मामलों के विभाग में बताई गई है। 2018-2019 के दौरान इस अनुदान शीर्ष के अंतर्गत लेन-देन का विश्लेषण आरंभिक तथा अंत शेष के साथ नीचे दिया गया है:			

अनुदान संख्या 23 (समाप्त)

मुख्य लेखा शीर्ष/ विवरण	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 तक अंत शेष	
(₹ लाख में)					
2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता					
खरीद	72.75	-	-	72.75	
भंडार	(-)3,73.89	-	-	(-)3,73.89	
विविध लोक निर्माण अग्रिम	2,54.75	-	-	2,54.75	
कार्यशाला उचंत	(-)9.94	-	-	(-)9.94	
कुल	(-)56.33	-	-	(-)56.33	
4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय					
खरीद	(-)6,78.11	-	-	(-)6,78.11	
भंडार	4,05.27	-	-	4,05.27	
विविध लोक निर्माण अग्रिम	94.05	-	-	94.05	
कार्यशाला उचंत	0.01	-	-	0.01	
कुल	(-)1,78.78	-	-	(-)1,78.78	
8.	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपकरण तथा संयंत्र स्थापना प्रभार की समीक्षा:- 2016-2017 से 2018-2019 के दौरान जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना एवं उपकरण तथा संयंत्र पर व्यय का प्रतिशत नीचे दर्शाया किया गया है, (अन्य विभागों, बाहरी निकायों आदि में किए गए कार्यों के लिए पर्यवेक्षण वसूली प्रभार के लिए 1955 में सरकार द्वारा प्रतिशत निर्धारित किए गए, जो 7.5 से 15 के बीच स्थापना प्रभार तथा 0.5 तथा 1 के बीच उपकरण तथा संयंत्र प्रभार के लिए कार्यों की लागत पर निर्भर करता है)।				
मुख्य लेखा शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	उपकरण तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए उपकरण तथा संयंत्र प्रभार का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता					
2016-2017	32,13.17	10,54,77.42	32,82.35	2,91.49	9.07
2017-2018	44,83.38	10,99,14.32	24,51.60	-	-
2018-2019	53,17.00	14,55,50.45	27,37.45	3,20.40	6.03
4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय					
2016-2017	4,79,70.03	-	-	-	-
2017-2018	5,93,11.57	-	-	-	-
2018-2019	5,23,23.98	-	-	-	-

अनुदान संख्या 24 - आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2059 लोक निर्माण

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216 आवास

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	1,95,31,11	2,57,59,85	(-)9,25,83
	2,66,85,68		
अनुपूरक	71,54,57		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			...

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल			
	53,46,00	81,47,98	(-)16,13,46
		97,61,44	
अनुपूरक	44,15,44		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			...

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 9,25.83 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 71,54.57 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 9,25.83 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर बचत भी निम्नानुसार है: -			
वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
(₹ लाख में)				
2013-2014	1,77,85.90	1,74,13.09	(-)3,72.81	
2014-2015	1,91,61.00	1,40,53.27	(-)51,07.73	
2015-2016	2,05,87.42	1,95,57.62	(-)10,29.80	
2016-2017	1,99,77.51	1,47,83.20	(-)51,94.31	
2017-2018	2,34,18.85	2,18,39.40	(-)15,79.45	

अनुदान संख्या 24 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
2059	लोक निर्माण					
80	सामान्य				अनुपूरक अनुदान आउटसोर्सिंग तथा प्रस्तुति के संबंध में अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
103	प्रस्तुत					
0099	सामान्य					
0459	प्रस्तुत					
	मूल	3,50.00				
	अनुपूरक	3,94.22	7,44.22	6,61.66	(-)82.56	
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
800	अन्य व्यय				वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य					
0464	स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली					
	मूल	11,40.73				
	अनुपूरक	3,67.72	15,08.45	13,11.07	(-)1,97.38	
0486	व्यापार एजेंसी मुंबई				एम एंड ई के संबंध में अप्रयुक्त बजट।	
	मूल	93.27				
	अनुपूरक	10.50	1,03.77	88.85		(-)14.92
0790	तोशाखाना				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	37.85				
	अनुपूरक	20.10	57.95	52.24		(-)5.71
0791	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग जम्मू					
	मूल	5,43.00				
	अनुपूरक	1,14.95	6,57.95	5,91.35	(-)66.60	
0792	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग कश्मीर					
	मूल	8,04.00				
	अनुपूरक	82.73	8,86.73	8,32.87	(-)53.86	
0793	निदेशक आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल					
	मूल	5,52.50				
	अनुपूरक	2,08.07	7,60.57	6,09.00	(-)1,51.57	

अनुदान संख्या 24 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2216	आवास				
05	सामान्य पुल आवास				
001	निदेशन तथा प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
0417	संपदा डिवीजन				
	मूल	22,51.34			
	अनुपूरक	5,40.03	27,91.37	26,24.06	
0583	उप निदेशक संपदा				
	मूल	18,38.05			
	अनुपूरक	8,03.05	26,41.10	25,57.67	(-)83.43
053	अनुरक्षण तथा मरम्मत				एम एंड आर के संबंध में अप्रयुक्त अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
0481	अनुरक्षण				
	मूल	30,00.00			
	अनुपूरक	19,10.00	49,10.00	47,44.00	(-)1,66.00
4.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2055	पुलिस				
117	आंतरिक सुरक्षा				वेतन के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
0464	स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली				
	मूल	17,70.00			
	अनुपूरक	8,36.00	26,06.00	26,10.91	(+)4.91
2216	आवास				
05	सामान्य पुल आवास				
001	निदेशन तथा प्रशासन				ओ ई के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य व्यय तथा मजदूरी पर बिना बजट के व्यय हुआ।
0099	सामान्य				
1824	निदेशक संपदा				
	मूल	9,50.37			
	अनुपूरक	67.20	10,17.57	10,77.31	

अनुदान संख्या 24 (समाप्त)

पूँजीगत खंड						
5.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 16,13.46 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 44,15.44 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 16,13.46 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
6.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत अंतर्गत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0793	निदेशक आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल					
	मूल	10,46.00				
	अनुपूरक	2,50.00	12,96.00	7,59.29		(-)5,36.71
1824	निदेशक संपदा					
	मूल	43,00.00				
	अनुपूरक	41,65.44	84,65.44	73,88.69	(-)10,76.75	

अनुदान संख्या 25 - श्रम, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2058 लेखन-सामग्री तथा मुद्रण

2230 श्रम तथा रोजगार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
दत्तमत				
मूल	93,52,87		89,47,26	(-)4,05,61
		93,52,87		
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4058	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय			
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत				
मूल	1,05,03,03		45,54,84	(-)59,48,19
		1,05,03,03		
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 4,05.61 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 93,52.87 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 4,05.61 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
----	---

अनुदान संख्या 25 (जारी)

2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2058	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण				
101	लेखन-सामग्री भंडार की खरीद तथा आपूर्ति			लेखन-सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1627	लेखन-सामग्री डिपो श्रीनगर				
	मूल	5,47.73			
	अनुपूरक	..	5,47.73	4,90.64	(-)57.09

अनुदान संख्या 25 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2230	श्रम तथा रोजगार			
<i>01</i>	<i>श्रम</i>			
001	निदेशन तथा प्रशासन			मुख्य रूप से वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1633	श्रम आयुक्त			
	मूल	3,25.22		
	अनुपूरक	..	3,25.22	
			2,81.55	
			(-) 43.67	
1634	क्षेत्रीय कार्यालय श्रम			
	मूल	13,18.09		
	अनुपूरक	..	13,18.09	
			11,97.54	
			(-) 1,20.55	
102	काम करने की स्थिति तथा सुरक्षा			
0099	सामान्य			
1638	कारखाने			
	मूल	2,20.40		
	अनुपूरक	..	2,20.40	
			93.07	
			(-) 1,27.33	
1639	जिला श्रम कल्याण योजना			
	मूल	1,90.00		
	अनुपूरक	..	1,90.00	
			56.15	
			(-) 1,33.85	
1640	प्रवासी श्रम			
	मूल	2,38.80		
	अनुपूरक	..	2,38.80	
			1,31.26	
			(-) 1,07.54	
103	सामान्य श्रम कल्याण			
0099	सामान्य			
1645	रोजगार बीमा			
	मूल	8,73.90		
	अनुपूरक	..	8,73.90	
			6,47.02	
			(-) 2,26.88	
<i>02</i>	<i>रोजगार सेवा</i>			
001	निदेशन तथा प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1642	रोजगार कार्यालय			
	मूल	4,80.00		
	अनुपूरक	..	4,80.00	
			4,19.28	
			(-) 60.72	

अनुदान संख्या 25 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2058	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण					
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य	
0099	सामान्य					
1625	निदेशक लेखन-सामग्री तथा आपूर्ति					
	मूल	1,55.76				
	अनुपूरक	..	1,55.76	1,90.58		(+)34.82
101	लेखन-सामग्री भंडार की खरीद तथा आपूर्ति					
0099	सामान्य					
1626	लेखन-सामग्री डिपो जम्मू					
	मूल	5,54.14				
	अनुपूरक	..	5,54.14	5,57.17		(+)3.03
103	राजकीय मुद्रणालय					
0099	सामान्य					
1630	रणबीर राजकीय मुद्रणालय जम्मू					
	मूल	17,60.71				
	अनुपूरक	..	17,60.71	20,94.74	(+)3,34.03	
1631	राजकीय मुद्रणालय श्रीनगर				मुख्यतः एम एंड ई के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य	
	मूल	16,06.96				
	अनुपूरक	..	16,06.96	16,58.83		(+)51.87
2230	श्रम तथा रोजगार					
02	रोजगार सेवा				वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य	
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
1641	निदेशक रोजगार					
	मूल	10,81.16				
	अनुपूरक	..	10,81.16	10,88.42		(+)7.26

अनुदान संख्या 25 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
2230	श्रम तथा रोजगार			
02	रोजगार सेवा			
101	रोजगार सेवाएं			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं			
1642	रोजगार कार्यालय			
			41.51	

पूँजीगत खंड

5.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 59,48.19 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 1,05,03.03 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 59,48.19 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
6.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4058	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय			
103	राजकीय मुद्रणालय			
0011	सामान्य			
1625	निदेशक लेखन-सामग्री तथा आपूर्तियाँ			
	मूल	17.63		
	अनुपूरक	..	17.63	1.00
				(-)16.63
1631	राजकीय मुद्रणालय श्रीनगर			
	मूल	1,10.40		
	अनुपूरक	..	1,10.40	86.24
				(-)24.16

विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।

अनुदान संख्या 25 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)						
4250	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
201	श्रम				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य					
1903	श्रम					
	मूल	1,50.00				
	अनुपूरक	..	1,50.00	81.23		(-)68.77
203	रोजगार					
0011	सामान्य					
1642	रोजगार कार्यालय					
	मूल	1,25.00				
	अनुपूरक	..	1,25.00	1,06.35		(-)18.65
1904	रोजगार					
	मूल	1,00,00.00				
	अनुपूरक	..	1,00,00.00	40,82.89	(-)59,17.11	
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)						
4058	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय					
103	राजकीय मुद्रणालय				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य व्यय	
0011	सामान्य					
1630	राजकीय मुद्रणालय जम्मू					
	मूल	1,00.00				
	अनुपूरक	..	1,00.00	1,97.12		(+)97.12

अनुदान संख्या 26 - मत्स्य पालन विभाग

राजस्व-
मुख्य शीर्ष

2405 मत्स्य पालन				
	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	71,08,86		99,65,71	(-)5,99,65
		1,05,65,36		
अनुपूरक	34,56,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूंजीगत
मुख्य शीर्ष

4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत				
	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)
	(₹ लाख में)			
मूल	15,47,00		11,36,89	(-)4,50,11
		15,87,00		
अनुपूरक	40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹5,99.65 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 34,56.50 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 5,99.65 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व दत्तमत खंड में भी हुई निरंतर बचत निम्नानुसार है:-			
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
	(₹ लाख में)			
	2013-2014	51,44.58	50,93.90	(-)50.68
	2014-2015	54,57.25	49,50.32	(-)5,06.93
	2015-2016	74,47.72	68,89.50	(-)5,58.22
	2016-2017	66,62.19	64,89.67	(-)1,72.52
	2017-2018	69,03.68	68,58.91	(-)44.77

अनुदान संख्या 26 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
2405	मत्स्य पालन				
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
0099	सामान्य				
0997	निदेशक मत्स्य पालन				
	मूल	54,35.51			
	अनुपूरक	25,75.50	80,11.01	76,49.63	
1000	उप निदेशक मत्स्य पालन				
	मूल	16,73.35			
	अनुपूरक	8,81.00	25,54.35	23,16.07	(-)2,38.28

पूंजीगत खंड

4.	पूंजीगत दत्तमत खंड में ₹ 40.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 15,47.00 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 4,50.11 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 4,50.11 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान भी ₹ 1,97.61 लाख की बचत हुई।				
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ
0011	सामान्य				
0904	भवन निर्माण कार्य कार्यक्रम				
	मूल	7,87.00			
	अनुपूरक	40.00	8,27.00	7,56.32	(-)70.68
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				बजट अनुमान एस के प्रति कम व्यय
2462	नीली क्रान्ति				
	मूल	6,40.00			
	अनुपूरक	..	6,40.00	1,73.73	(-)4,66.27

अनुदान संख्या 26 (समाप्त)

6.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)		
4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
2462	नीली क्रांति	1,20.00	
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष	वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)		
4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय		
800	अन्य व्यय		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
0910	अन्तर्देशीय मत्स्य पालन	2,06.84	

अनुदान संख्या 27 – उच्चतर शिक्षा विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2203 तकनीकी शिक्षा

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल	8,67,18,40		10,20,37,68	(-)48,19,59
		10,68,57,27		
अनुपूरक	2,01,38,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	2,25,00,00		1,31,88,85	(-)97,04,75
		2,28,93,60		
अनुपूरक	3,93,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 48,19.59 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 2,01,38.87 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 48,19.59 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2202	सामान्य शिक्षा				
03	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा				
102	विश्वविद्यालय को सहायता			विस्तृत शीर्ष जी आई ए के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2435	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय				
	मूल	50.00			
	अनुपूरक	..	50.00	16.64	(-)33.36

अनुदान संख्या 27 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तिताँ	
	(₹ लाख में)				
2202	सामान्य शिक्षा				
03	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा				
102	विश्वविद्यालय को सहायता			विस्तृत शीर्ष जी आई ए के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2460	क्लस्टर विश्वविद्यालय				
	मूल	4,00.00			
	अनुपूरक	80.00	4,80.00	80.00	(-)4,00.00
103	राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान			वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
0534	राजकीय डिग्री महाविद्यालय				
	मूल	4,60,72.00			
	अनुपूरक	1,32,22.00	5,92,94.00		5,46,95.60
2507	मुख्य अध्यापक जी सी ई टी साफापोरा, गांदरबल			जी आई ए के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	मूल	..			
	अनुपूरक	2,72.25	2,72.25		1,08.27
104	गैर-सरकारी महाविद्यालय तथा संस्थानों को सहायता			जी आई ए के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
2264	गांधी मेमोरियल महाविद्यालय (गैर-प्रवासी) श्रीनगर				
	मूल	6,00.00			
	अनुपूरक	2,40.00	8,40.00	8,29.09	(-)10.91
2203	तकनीकी शिक्षा				
001	निदेशन तथा प्रशासन			वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य				
2207	मुख्य अध्यापक जी सी ई टी जम्मू				
	मूल	19,43.40			
	अनुपूरक	1,38.50	20,81.90	20,58.06	(-)23.84

अनुदान संख्या 27 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2202	सामान्य शिक्षा					
03	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा					
102	विश्वविद्यालय को सहायता				जी आई ए के संबंध में अनुदान से आधिक्य व्यय।	
0099	सामान्य					
2361	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय					
	मूल	10,00.00				
	अनुपूरक	4,00.00	14,00.00	14,83.34		(+)83.34
104	गैर-सरकारी महाविद्यालय तथा संस्थानों को सहायता					
0099	सामान्य					
2277	गांधी मेमोरियल महाविद्यालय प्रवासी जम्मू					
	मूल	1,31.00				
	अनुपूरक	93.00	2,24.00	2,34.91		(+)10.91
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
2202	सामान्य शिक्षा					
03	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा					
104	गैर-सरकारी महाविद्यालय तथा संस्थानों को सहायता					
0099	सामान्य					
2460	क्लस्टर विश्वविद्यालय			3,16.66		
पूँजीगत खंड						
5.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 97,04.75 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 3,93.60 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 97,04.75 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					

अनुदान संख्या 27 (समाप्त)

6.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय				
<i>01</i>	<i>सामान्य शिक्षा</i>				
203	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा				विस्तृत शीर्ष कार्यों के संबंध में बजट अनुमान एस के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0297	राज्य योजना विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा				
	मूल	1,95,00.00			
	अनुपूरक	..	1,95,00.00	80,67.89	

7.	निम्नलिखित शीर्ष / योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय				
<i>01</i>	<i>सामान्य शिक्षा</i>				
203	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा				
0011	सामान्य				
0515	निर्माण			30,00.00	
2407	आर यू एस ए			3,93.60	
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय				
<i>01</i>	<i>सामान्य शिक्षा</i>				
203	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2407	आर यू एस ए			51,20.96	

अनुदान संख्या 28 - ग्रामीण विकास विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2236 पोषण

2501 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
दत्तमत				
मूल	4,35,13,87		4,58,07,14	(-)29,78,28
		4,87,85,42		
अनुपूरक	52,71,55			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	26,86,17,71		18,05,20,52	(-)12,57,67,16
		30,62,87,68		
अनुपूरक	3,76,69,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि				..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 29,78.28 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 52,71.55 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 29,78.28 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2236	पोषण			वेतन के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
1839	व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम जम्मु				
	मूल	7,53.00			
	अनुपूरक	1,09.50	8,62.50	8,27.84	(-)34.66

अनुदान संख्या 28 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम				वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान एस के प्रति कम व्यय।	
01	संबद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
0003	आई आर डी पी जम्मू					
	मूल	12,71.00				
	अनुपूरक	..	12,71.00	11,15.98		(-)1,55.02
0004	आई आर डी पी कश्मीर					
	मूल	8,22.00				
	अनुपूरक	..	8,22.00	7,64.50		(-)57.50
800	अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0230	ग्रामीण स्वच्छता					
	मूल	2,66.47				
	अनुपूरक	..	2,66.47	2,50.48		(-)15.99
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
0029	सहायक विकास आयुक्त (कश्मीर)					
	मूल	1,57.52				
	अनुपूरक	0.40	1,57.92	1,16.72	(-)41.20	
0055	कृषि उत्पादन अधिकारी / बी डी ओ एस (कश्मीर)				मुख्यतः वेतन के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान आधिक्य सिद्ध हुआ।	
	मूल	73,60.74				
	अनुपूरक	2,74.06	76,34.80	65,98.43		(-)10,36.37
0105	कृषि उत्पादन अधिकारी / बी डी ओ एस (जम्मू)					
	मूल	69,79.71				
	अनुपूरक	17,21.59	87,01.30	81,22.63	(-)5,78.67	
2357	हल्का पंचायत				एम एंड आर के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
	मूल	16.00				
	अनुपूरक	..	16.00	10.97		(-)5.03
102	सामुदायिक विकास				मुख्य रूप से वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0109	सहायक विकास आयुक्त जम्मू					
	मूल	4,19.91				
	अनुपूरक	..	4,19.91	3,60.26	(-)59.65	

अनुदान संख्या 28 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
102	समुदायिक विकास				
0099	सामान्य				
0111	निदेशक ग्रामीण विकास (जम्मू)				
	मूल	3,27.42			
	अनुपूरक	27.03	3,54.45	3,39.92	(-)14.53
0118	निदेशक ग्रामीण विकास (कश्मीर)				
	मूल	2,49.27			
	अनुपूरक	30.39	2,79.66	2,40.81	(-)38.85
0376	सामुदायिक विकास तथा पंचायत जम्मू				
	मूल	66,88.79			
	अनुपूरक	4,64.16	71,52.95	68,23.93	(-)3,29.02
0574	बैंच मार्क सर्वेक्षण (कश्मीर)				
	मूल	24.72			
	अनुपूरक	0.28	25.00	17.24	(-)7.76
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0097	ग्रामीण अभियंता विभाग (जम्मू)				
	मूल	28,74.38			
	अनुपूरक	2,97.72	31,72.10	25,92.20	(-)5,79.90
0099	जिला पंचायत अधिकारी जम्मू				
	मूल	13,13.10			
	अनुपूरक	25.97	13,39.07	8,10.84	(-)5,28.23
0487	ग्रामीण अभियंता विभाग कश्मीर				
	मूल	8,38.21			
	अनुपूरक	..	8,38.21	6,58.52	(-)1,79.69
0548	जिला पंचायत अधिकारी कश्मीर				
	मूल	14,66.73			
	अनुपूरक	..	14,66.73	4,90.38	(-)9,76.35

अनुदान संख्या 28 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम				वेतन घटक के अंतर्गत मुख्यतः अनुपूरक अनुदान तथा बजट अनुमान से आधिक्य व्यय
102	सामुदायिक विभाग				
0099	सामान्य				
0051	सामुदायिक विकास तथा पंचायत कश्मीर				
	मूल	1,16,25.05			
	अनुपूरक	23,19.30	1,39,44.35	1,45,81.47	(+)6,37.12
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)				
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
101	पंचायती राज				
0099	सामान्य				
1519	पंचायत चुनाव		35.00		
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)				
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
01	<i>संबद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम</i>				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1956	डी आर डी ए		10,55.50		
0099	सामान्य				
1956	डी आर डी ए		9.13		

पूँजीगत खंड

6.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 3,76,69.97 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 26,86,17.71 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 12,57,67.16 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 12,57,67.16 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
----	--

अनुदान संख्या 28 (जारी)

7. पिछले पाँच वर्षों के दौरान हुई निरंतर बचत भी विस्तृत रूप में निम्नानुसार है।					
वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
2013-2014	3,87,21.85		2,02,08.38	(-)1,85,13.47	
2014-2015	18,25,55.77		7,20,98.18	(-)11,04,57.59	
2015-2016	13,08,48.94		8,11,80.14	(-)4,96,68.80	
2016-2017	19,15,38.31		11,17,19.11	(-)7,98,19.20	
2017-2018	23,91,21.36		18,49,85.25	(-)5,41,36.11	
8. निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में मुख्यतः बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय				वित्त आयोग अनुदान के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
101	पंचायती राज				
0099	सामान्य				
0051	सामुदायिक विकास तथा पंचायत कश्मीर				
	मूल	7,79,40.00			
	अनुपूरक	3,72,03.00	11,51,43.00	2,03,73.01	(-)9,47,69.99
102	सामुदायिक विकास				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0704	सामुदायिक विकास कश्मीर				
	मूल	8,35.00			
	अनुपूरक	..	8,35.00	3,65.93	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0230	ग्रामीण स्वच्छता				
	मूल	3,98,05.00			
	अनुपूरक	..	3,98,05.00	1,10,40.21	(-)2,87,64.79
103	ग्रामीण विकास				
0011	सामान्य				
2496	आर यू आर बी ए एन				
	मूल	1,66.00			
	अनुपूरक	..	1,66.00	94.50	(-)71.50
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2496	आर यू आर बी ए एन				
	मूल	15,00.00			
	अनुपूरक	..	15,00.00	4,05.00	(-)10,95.00

अनुदान संख्या 28 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2143	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आर जी ई)				
	मूल	89,49.90			
	अनुपूरक	..	89,49.90	43,03.58	(-)46,46.32
2376	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन				
	मूल	8,35.66			
	अनुपूरक	..	8,35.66	6,50.51	(-)1,85.15
2377	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान				
	मूल	1,50.00			
	अनुपूरक	..	1,50.00	75.00	(-)75.00
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2143	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना				
	मूल	8,59,19.10			
	अनुपूरक	..	8,59,19.10	8,38,09.07	(-)21,10.03
2376	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन				
	मूल	75,21.00			
	अनुपूरक	...	75,21.00	58,54.70	(-)16,66.30
2468	पी एम के एस वाई				
	मूल	1,48,87.08			
	अनुपूरक	..	1,48,87.08	34,51.00	(-)1,14,36.08
9.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय				
102	सामुदायिक विकास				
0011	सामान्य				
0230	ग्रामीण स्वच्छता				
	मूल	20,00.00			
	अनुपूरक	4,66.97	24,66.97	2,25,85.35	(+)2,01,18.38
0384	सामुदायिक विकास जम्मे				
	मूल	8,25.00			
	अनुपूरक	..	8,25.00	23,34.86	(+)15,09.86

विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष कार्यों के संबंध में बजट आंकलनों से आधिक्य व्यय।

अनुदान संख्या 28 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
103	ग्रामीण विकास				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट आंकलनों से आधिक्य व्यय।	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
2473	हिमायत					
	मूल	83,26.89				
	अनुपूरक	..	83,26.89	1,28,15.50		(+)44,88.61
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
2468	पी एम एस के वाई					
	मूल	16,54.11				
	अनुपूरक	..	16,54.11	24,04.11		(+)7,50.00
10.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
103	ग्रामीण विकास					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
2377	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान			13,49.98		
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0871	संबद्ध जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम			15,00.00		
2473	हिमायत			14,52.99		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0871	एकीकृत जलविभाजक विकास कार्यक्रम			1,30,00.00		
11.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
103	ग्रामीण विकास					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
1671	इंदिरा आवास योजना			99,58.19		

अनुदान संख्या 29 - परिवहन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2041 वाहनों पर कर

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	56,14,46	64,43,93	(-)7,09,82
		71,53,75	
अनुपूरक	15,39,29		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..
प्रभारित			
मूल		6,00	0
		6,00	
अनुपूरक	6,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित गई राशि			..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

7055 सड़क परिवहन के लिए ऋण

दत्तमत			
मूल	41,75,00	53,37,67	(-)5,97,73
		59,35,40	
अनुपूरक	17,60,40		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड	
1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 7,09.82 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 15,39.29 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 7,09.82 लाख का कोई भी भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या 29 (जारी)

2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2041	वाहनों पर कर					
001	निदेशन तथा प्रशासन					
0099	सामान्य					
0378	क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त कार्यालय					
	मूल	5,85.60			मुख्य रूप से वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	अनुपूरक	91.53	6,77.13	5,60.12		(-)1,17.01
101	वसूली प्रभार					
0099	सामान्य					
0373	क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त कार्यालय कश्मीर					
	मूल	5,78.00				
	अनुपूरक	1,60.87	7,38.87	6,67.45		(-)71.42
0395	क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त कार्यालय जम्मू					
	मूल	5,05.00				
	अनुपूरक	55.88	5,60.88	5,30.00		(-)30.88
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
114	परिवहन की खरीद तथा अनुरक्षण					
0099	सामान्य					
0393	मोटर गराज					
	मूल	39,45.86			मुख्य रूप से वेतन घटक के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	अनुपूरक	12,31.01	51,76.87	46,87.10		(-)4,89.77
पूँजीगत खंड						
3.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 5,97.73 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 17,60.40 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 5,97.73 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					

अनुदान संख्या 29 (समाप्त)

4.	निम्नलिखित शीर्षो/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन					
800	अन्य					
0011	सामान्य					
0255	राज्य मोटर गराज				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
	मूल	6,00.00				
	अनुपूरक	-	6,00.00	77.93		
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0378	परिवहन आयुक्त कार्यालय					
	मूल	2,00.00			मुख्य रूप से विस्तृत शीर्ष कार्यों के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।	
	अनुपूरक	7,60.40				
			9,60.40	7,69.74		
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय					
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों पर ऋण					
0011	सामान्य					
0944	जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम में निवेश					
	मूल	3,75.00			निर्माण के अंतर्गत बजट अनुमान से आधिक्य व्यय।	
	अनुपूरक	10,00.00	13,75.00	14,90.00		

अनुदान संख्या 30 - जनजाति मामले विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	42,47,61	49,54,61	(-)4,48,62
		54,03,23	
अनुपूरक	11,55,62		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	8,54,00	28,82,87	(+)19,92,58
		8,90,29	
अनुपूरक	36,29		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 4,48.62 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 11,55.62 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 4,48.62 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
03	पिछड़े वर्गों का कल्याण				
102	आर्थिक विकास				
0099	सामान्य				
0442	गुज्जर तथा बकरवल्स के लिए सलाहकार बोर्ड				मुख्यतः वेतन के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
	मूल	1,10.60			
	अनुपूरक	17.85	1,28.45	1,00.82	
1796	गुज्जर तथा बकरवल्स के कल्याण				वजीफा तथा छात्रवृत्ति के संबंध में कुल अनुदान के प्रति कम व्यय।
	मूल	33,26.25			
	अनुपूरक	10,64.56	43,90.81	39,79.75	

अनुदान संख्या 30 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
03	पिछड़े वर्गों का कल्याण				
102	आर्थिक विकास				वजीफा तथा छात्रवृत्ति के अंतर्गत बजट अनुमान से आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
2253	जनजाति मामले के निदेशक				
	मूल	8,10.76			
	अनुपूरक	73.21	8,83.97	9,09.49	(+)25.52
4.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)		
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
02	अनुसूचित जनजाति का कल्याण				
277	शिक्षा				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1444	अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति			5.83	

पूंजीगत खंड

5.	पूंजीगत दत्तमत खंड में ₹ 19,92.58 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में ₹ 36.29 लाख के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। ₹ 19,92.58 लाख के आधिक्य नियमित किए जाने की आवश्यकता है।				
6.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण				
02	अनुसूचित जनजाति का कल्याण				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1814	जनजाति उप योजना				
	मूल	8,54.00			निर्माण के अंतर्गत बजट अनुमान से आधिक्य व्यय।
	अनुपूरक	36.29	8,90.29	14,71.24	

अनुदान संख्या 30 (समाप्त)

7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
02	अनुसूचित जनजाति का कल्याण		
800	अन्य व्यय		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
1827	अनुसूचित जाति / जनजाति जम्मू का कल्याण	14,11.63	

अनुदान संख्या 31 - संस्कृति विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2205 कला तथा संस्कृति

3452 पर्यटन

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	55,84,71	53,61,49	(-)15,34,50
		68,95,99	
अनुपूरक	13,11,28		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	16,87,50	10,95,61	(-)6,17,45
		17,13,06	
अनुपूरक	25,56		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 13,11.28 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 55,84.71 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 15,34.50 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 15,34.50 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	निम्नलिखित शीर्ष / योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2202	सामान्य शिक्षा				
80	सामान्य				
004	अनुसंधान			वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0278	अनुसंधान तथा प्रकाशन (कश्मीर)				
	मूल	4,86.30			
	अनुपूरक	1.00	4,87.30	4,02.73	(-)84.57

अनुदान संख्या 31 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2205	कला तथा संस्कृति					
102	कला तथा संस्कृति को बढ़ावा				अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।	
0099	सामान्य					
0555	कला, संस्कृति तथा भाषाओं की अकादमी को अनुदान					
	मूल	21,00.00				
	अनुपूरक	7,58.00	28,58.00	21,00.00	(-)7,58.00	
104	लेखागार				वेतन तथा प्रकाशन घटकों के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0272	लेखागारों का विकास					
	मूल	9,56.11				
	अनुपूरक	98.00	10,54.11	9,52.15		(-)1,01.96
105	सार्वजनिक पुस्तकालय					
0099	सामान्य					
0221	सरकारी पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष जम्मू					
	मूल	18,03.10				
	अनुपूरक	3,60.21	21,63.31	17,29.22		(-)4,34.09
3452	पर्यटन					
01	पर्यटक संरचना				बजट अनुमान के प्रति सहायता अनुदान घटक का कम जारी होना। जी आई ए अनुपूरक अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।	
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
2299	मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी					
	मूल	1,30.00				
	अनुपूरक	62.00	1,92.00	65.00	(-)1,27.00	
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
02	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				सभी वस्तु शीर्षों के संबंध में मूल बजट अनुमान के प्रति कम व्यय के रूप में अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ।	
110	राजपत्र तथा सांख्यिकीय संस्मरण					
0099	सामान्य					
0468	राज्य राजपत्र					
	मूल	1,09.20				
	अनुपूरक	32.07	1,41.27	1,12.48	(-)28.79	

पूँजीगत खंड

3.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 25.56 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 16,87.50 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका, परिणामस्वरूप ₹ 6,17.45 लाख की अंतिम बचत हुई। ₹ 6,17.45 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
----	--

अनुदान संख्या 31 (समाप्त)

4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय					
04	कला तथा संस्कृति				व्यय के पूंजीगत शीर्षों के संबंध में बजट के अनुचित अनुमान के रूप में कोई राशि पुनःविनियोजित या अभ्यर्पित नहीं की गई है।	
104	लेखागार					
0011	सामान्य					
0272	लेखागार का विकास					
	मूल	5,25.00				
	अनुपूरक	25.56	5,50.56	1,99.88		(-)3,50.68
105	सार्वजनिक पुस्तकालय					
0011	सामान्य					
1890	पुस्तकालयों का निदेशालय					
	मूल	4,12.50				
	अनुपूरक	..	4,12.50	75.20		(-)3,37.30
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)		अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)					
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय					
04	कला तथा संस्कृति				वस्तु शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य व्यय।	
101	ललित कला शिक्षा					
0011	सामान्य					
0117	कला तथा संस्कृति					
	मूल	7,50.00				
	अनुपूरक	..	7,50.00	8,20.53		(+)70.53

अनुदान संख्या 32 - बागवानी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2236 पोषण

2401 फसल पैदावार

2435 अन्य कृषि कार्यक्रम

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	1,42,18,05	1,34,27,50	(-)7,90,55
	1,42,18,05		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4401 फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत (-)
दत्तमत			
मूल	3,86,15,00	1,24,66,11	(-)2,61,48,89
	3,86,15,00		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 7,90.55 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 1,42,18.05 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 7,90.55 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
2236	पोषण			
02	पौष्टिक भोजन तथा पेय पदार्थों का वितरण			
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0063	सामुदायिक कैनिंग तथा फल संरक्षण केंद्र, कश्मीर			
	मूल	2,60.97		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।
	अनुपूरक	..	2,52.78	
2313	सामुदायिक कैनिंग तथा फल संरक्षण केंद्र जम्मू			
	मूल	1,99.80		
	अनुपूरक	..	1,78.26	

अनुदान संख्या 32 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2401	फसल पैदावार					
119	बागवानी तथा सब्जी फसलें				मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निदेशन तथा प्रशासन					
	मूल	73,23.36				
	अनुपूरक	..	73,23.36	63,23.99		(-)9,99.37
2088	निदेशक बागवानी जम्मू					
	मूल	37,86.36				
	अनुपूरक	..	37,86.36	33,13.81	(-)4,72.55	
3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2401	फसल पैदावार					
119	बागवानी तथा सब्जी फसलें				वेतन के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य व्यय तथा आउटसोर्सिंग के संबंध में बजट अनुमान के बिना व्यय।	
0099	सामान्य					
2249	विभागीय बागों तथा नर्सरी का अनुरक्षण					
	मूल	3,24.50				
	अनुपूरक	..	3,24.50	4,84.13	(+)1,59.63	
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम					
01	<i>विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण</i>					
101	विपणन सुविधाएं				वेतन के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य व्यय।	
0099	सामान्य					
0612	बागवानी योजना तथा विपणन					
	मूल	23,23.06				
	अनुपूरक	..	23,23.06	28,74.67	(+)5,51.61	
पूँजीगत खंड						
4.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 2,61,48.89 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 3,86,15.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 2,61,48.89 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					

अनुदान संख्या 32 (जारी)

5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय				
119	बागवानी तथा सब्जी फसलें				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान से कम व्यय।
0011	सामान्य				
2415	राष्ट्रीय बागवानी मिशन				
	मूल	6,00.00			
	अनुपूरक	..	6,00.00	3,30.94	
2450	क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्रों की बहाली				
	मूल	1,66,00.00			
	अनुपूरक	..	1,66,00.00	6,62.69	
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0222	बागवानी निर्माण कार्यक्रम (कश्मीर)				
	मूल	75,00.00			
	अनुपूरक	..	75,00.00	6,90.08	
0612	बागवानी योजना तथा विपणन				
	मूल	56,15.00			
	अनुपूरक	..	56,15.00	14,79.87	
2303	बागवानी निर्माण कार्यक्रम जम्मू				
	मूल	5,00.00			
	अनुपूरक	..	5,00.00	3,19.21	
2472	सोलर ड्रायर				
	मूल	11,00.00			
	अनुपूरक	..	11,00.00	36.25	
6.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय				
119	बागवानी तथा सब्जी फसलें				विस्तृत शीर्ष सहायिकी के अंतर्गत बजट अनुमान के बिना व्यय का प्रकटन।
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2415	राष्ट्रीय बागवानी मिशन				
	मूल	54,00.00			
	अनुपूरक	..	54,00.00	85,96.36	(+)31,96.36

अनुदान संख्या 32 (समाप्त)

7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)		
4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
1191	कोल्ड स्टोरेज	10,00.00	
8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष	वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)		
4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय		
113	कृषि अभियांत्रिकी		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
0054	कृषि सुधार सामग्री	50.72	
800	अन्य व्यय		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
2415	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2.00	

अनुदान संख्या 33 - आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2245 प्राकृतिक आपदाओं से राहत

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	7,56,59,72	6,86,33,90	(-)70,25,82
	7,56,59,72		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	7,10,69,23	80,86,22	(-)6,29,83,01
	7,10,69,23		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 70,25.82 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 7,56,59.72 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 70,25.82 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2055	पुलिस				
001	निदेशन तथा प्रशासन			अनुरक्षण तथा मरम्मत के संबंध में बजट अनुमान के प्रति शून्य व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1057	प्रवासियों पर खर्च				
	मूल	8,38.50			
	अनुपूरक	..	8,38.50	8,21.94	(-)16.56

अनुदान संख्या 33 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2055	पुलिस				
117	आंतरिक सुरक्षा				वेतन और खाद्य अनाज के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1057	प्रवासियों पर व्यय				
	मूल	4,34,00.00			
	अनुपूरक	..	4,34,00.00	3,61,61.12	(-72,38.88)
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
01	<i>पुनर्वास</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1064	प्रांतीय पुनर्वास कार्यालय जम्मू				
	मूल	37.42			
	अनुपूरक	..	37.42	29.89	(-7.53)
3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2055	पुलिस				
117	आंतरिक सुरक्षा				नकद सहायता के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
0872	अन्य योजनाएं				
	मूल	17,00.00			
	अनुपूरक	..	17,00.00	33,80.50	(+)16,80.50
2245	प्राकृतिक आपदाओं से राहत				
80	<i>सामान्य</i>				
001	निदेशन तथा प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य व्यय।
0099	सामान्य				
1073	मुख्य कार्यकारी अधिकारी				
	मूल	83.80			
	अनुपूरक	..	83.80	91.40	(+)7.60

अनुदान संख्या 33 (जारी)

4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
2245	प्राकृतिक आपदाओं से राहत		
80	सामान्य		
102	प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में आकस्मिक योजना		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
2334	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		
	59.06		

पूँजीगत खंड

5.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 6,29,83.01 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 7,10,69.23 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 6,29,83.01 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
01	पुनर्वास				
201	अन्य पुनर्वास योजना				कैपेक्स घटक के संबंध में बजट का गलत अनुमान।
0011	सामान्य				
1755	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त योजना				
	मूल	1,83,48.00			
	अनुपूरक	..	1,83,48.00	53,12.64	
				(-)1,30,35.36	
2165	पुनर्वास				
	मूल	4,75,21.23			
	अनुपूरक	..	4,75,21.23	34.50	
				(-)4,74,86.73	
2334	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण				
	मूल	2,00.00			
	अनुपूरक	..	2,00.00	50.00	
				(-)1,50.00	
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ			
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
01	पुनर्वास				
201	अन्य पुनर्वास योजना				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2334	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण				50,00.00

अनुदान संख्या 33 (समाप्त)

8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]		
शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
01	<i>पुनर्वास</i>		
201	अन्य पुनर्वास योजना		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
2165	पुनर्वास	26,89.08	
9.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ):-		
	1 अप्रैल 2010 से प्रभावी "13वें वित्त आयोग" की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि, के अंतर्गत एक अलग राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, 122- राज्य आपदा राहत निधि का गठन किया गया है। कथित निधि के गठन तथा प्रशासन के लिए योजना के अनुसार, भारत सरकार राज्य द्वारा 10 प्रतिशत के योगदान के साथ 90 प्रतिशत का योगदान करेगी। संबंधित लेखा वर्षों की अनुदान मांगों के प्रति उचित प्रावधान करने के बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण मुख्य शीर्ष 2245 -राहत के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि से निधि लेखे में हस्तांतरण के द्वारा क्रेडिट प्रभावित होता है हालांकि, वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित योगदान निधि से किया गया है।		
	निधि का विवरण	8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि 122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	
		(₹ करोड़ में)	
	01-04-2018 को आरंभिक शेष	7,40.39	
	2018-2019 के दौरान प्राप्तियां	3,31.60	
	2018-2019 के दौरान वितरण	1,68.88	
	31-03-2019 को आरंभिक शेष	9,03.11	
	निवेश का विवरण		
	01-04-2018 को आरंभिक शेष	10.86	
	2018-2019 के दौरान निवेश	शून्य	
	निधि से निकासी	शून्य	
	31-03-2019 को अंत शेष	10.86	

अनुदान संख्या 34 - युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 तकनीकी शिक्षा

2204 खेल तथा युवा सेवाएं

2230 श्रम तथा रोजगार

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	4,63,24,52	4,81,24,20	(-)74,20,57
	5,55,44,77		
अनुपूरक	92,20,25		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत -

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			
दत्तमत			
मूल	2,37,19,89	39,16,64	(-)1,98,03,25
	2,37,19,89		
अनुपूरक	-		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 74,20.57 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 92,20.25 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 74,20.57 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
2203 तकनीकी शिक्षा				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
0099 सामान्य				
0530 तकनीकी शिक्षा का निदेशालय				
मूल	1,25,49.86			वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ
अनुपूरक	37,80.96	1,63,30.82	1,10,26.91	

अनुदान संख्या 34 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2204	खेल तथा युवा सेवाएं				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन तथा प्रशासन				
	मूल	2,88,34.66			वेतन के संबंध में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ
	अनुपूरक	44,20.04	3,32,54.70	3,00,00.74	
2230	श्रम तथा रोजगार				
02	रोजगार सेवा				
001	निदेशन तथा प्रशासन				
0099	सामान्य				
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।
	मूल	20,40.00			
	अनुपूरक	..	20,40.00	8,38.93	
3.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
2204	खेल तथा युवा सेवाएं				
101	शारीरिक शिक्षा				
0099	सामान्य				
0949	खेल परिषद् में सहायता अनुदान				जी आई ए के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य
	मूल	28,50.00			
	अनुपूरक	10,19.25	38,69.25	38,99.00	(+)29.75
4.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2203	तकनीकी शिक्षा				
112	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
1551	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान (आर ई सी तथा जी सी ई टी जम्मू)			42.20	

अनुदान संख्या 34 (जारी)

शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
03	प्रशिक्षण	
101	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना	
2505	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी	22,69.18

पूँजीगत खंड

5.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 1,98,03.25 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 2,37,19.89 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,98,03.25 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय				
01	सामान्य शिक्षा				
201	प्राथमिक शिक्षा				
0011	सामान्य				
1427	शारीरिक शिक्षा				
	मूल	1,44,00.00			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।
	अनुपूरक	..	1,44,00.00	13,90.70	
02	तकनीकी शिक्षा				
105	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान				
0011	सामान्य				
1551	अभियांत्रिकी / तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान (आर ई सी तथा जी सी ई टी जम्मू)				
	मूल	25,00.00			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।
	अनुपूरक	..	25,00.00	17,08.42	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0530	तकनीकी शिक्षा का निदेशालय				
	मूल	37,92.89			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में अप्रयुक्त बजट।
	अनुपूरक	..	37,92.89	2,25.13	

अनुदान संख्या 34 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण			
	मूल	10,27.00		
	अनुपूरक	..	10,27.00	5,67.39
				(-)4,59.61
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02	तकनीकी शिक्षा			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
2400	कौशल विकास मिशन		2,00.00	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
2400	कौशल विकास मिशन		18,00.00	
8.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02	तकनीकी शिक्षा			
104	पॉलिटेक्निक			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना			
2274	पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण		25.00	

अनुदान संख्या 35 - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3435 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	13,35,83	12,23,50	(-)1,12,33
	13,35,83		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

पूंजीगत -

मुख्य शीर्ष

4075 विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

5425 अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
दत्तमत			
मूल	7,26,45,00	33,15,36	(-)6,93,29,64
	7,26,45,00		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			..

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड

1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 1,12.33 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 13,35.83 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,12.33 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
3435	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण				
04	प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण				
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2173	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे ए के ई डी ए				
	मूल	10,57.36			
	अनुपूरक	..	10,57.36	9,17.28	(-)1,40.08

अनुदान संख्या 35 (जारी)

3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
3435	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण					
04	प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण					
800	अन्य व्यय			वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान से आधिक्य।		
0099	सामान्य					
2172	विज्ञान तथा तकनीकी के लिए अतिरिक्त निदेशक परिषद्					
	मूल	2,78.47				
	अनुपूरक	..	2,78.47			3,06.22

पूँजीगत खंड

4.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 6,93,29.64 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 7,26,45.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 6,93,29.64 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
5.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय					
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
0868	वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान					
	मूल	2,00.00				
	अनुपूरक	..	2,00.00			1,30.83
1700	ऊर्जा के नए नवीकरणीय स्रोत					
	मूल	3,25,00.00				
	अनुपूरक	..	3,25,00.00	5,41.10	(-)3,19,58.90	

अनुदान संख्या 35 (समाप्त)

6.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष निर्माण के संबंध में बजट अनुमान के प्रति आधिक्य व्यय।
0011	सामान्य				
0712	सूचना प्रौद्योगिकी				
	मूल	4,00.00			
	अनुपूरक	..	4,00.00	26,43.44	(+)22,43.44
7.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। (नवंबर 2019)				
शीर्ष/			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
0868	सूचना तथा प्रौद्योगिकी		3,95,45.00		

अनुदान संख्या 36 - सहकारी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2425 सहकारिता

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	64,43,56	54,96,36	(-)9,47,20
	64,43,56		
अनुपूरक	-		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			...

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4225 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	5,00,00	3,75,29	(-)1,24,71
	5,00,00		
अनुपूरक	-		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि			...

टीकाएं तथा टिप्पणियां

राजस्व खंड						
1.	राजस्व दत्तमत खंड में ₹ 9,47.20 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 64,43.56 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 9,47.20 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
2.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे। [नवंबर 2019]					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
2425	सहकारिता					
001	निदेशन तथा प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निदेशन तथा प्रशासन					
	मूल	45,50.56				
	अनुपूरक	-	45,50.56	39,98.19		(-)5,52.37
101	सहकारिताओं की लेखापरीक्षा					
0099	सामान्य					
1493	सहकारिताओं की लेखापरीक्षा					
	मूल	11,93.00				
	अनुपूरक	-	11,93.00	10,48.59	(-)1,44.41	

अनुदान संख्या 36 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2425	सहकारिता					
108	अन्य सहकारिताओं को सहायता					
0099	सामान्य					
2174	कुलसचिव सहकारिता				जी आई ए के संबंध में बजट अनुमान के प्रति कम व्यय।	
	मूल	7,00.00	7,00.00	4,50.00		(-)2,50.00
	अनुपूरक	-				
पूँजीगत खंड						
3.	पूँजीगत दत्तमत खंड में ₹ 1,24.71 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 5,00.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ, जो प्रत्याशित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। मुख्य शीर्ष 4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय के अधीनस्थ उप शीर्ष 0369 - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निवेश के अंतर्गत बचत हुई।					

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

आकस्मिकता निधि से लिए अग्रिमों से किया गया व्यय

आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से हुए व्यय की वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी।

————— शून्य —————

परिशिष्ट

लेखाओं में समायोजित व्यय की कटौती सहित वसूलियों

(पृष्ठ

अनुदान की संख्या तथा नाम

बजट अनुमान

राजस्व

पूँजीगत

(₹ हजार में)

5	लद्दाख मामले विभाग	-	81,00
6	विद्युत विकास विभाग	60,00,00	-
12	कृषि विभाग	-	44,00,00
14.	राजस्व विभाग	21,57,00	-
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	-	-
22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	10,50	-
	कुल	81,67,50	44,81,00

- II

के संदर्भ में अनुमानों तथा वास्तविक अनुदान-वार विवरण

XV पर संदर्भित)

राजस्व	वास्तविक		बजट अनुमानों से वास्तविक की तुलना	
	पूँजीगत		अधिक (+) कम (-) राजस्व	अधिक (+) कम (-) पूँजीगत
			(₹ हजार में)	
-	2,89		-	(-)78,11
-	-		(-)60,00,00	-
-	21,83,25		-	(-)22,16,75
-	-		(-)21,57,00	-
-	18,70		-	(+)18,70
-	-		(-)10,50	-
-	22,04,84		(-)81,67,50	(-)22,76,16

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2019
www.cag.gov.in



<http://www.agjk.nic.in>